



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092025-265860
CG-DL-E-01092025-265860

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3881]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 2025/भाद्र 10, 1947

No. 3881]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 2025/BHADRA 10, 1947

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2025

का.आ. 3986(अ).— केन्द्रीय सरकार, आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 3 और धारा 11 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशियों विषयक आदेश, 1948, विदेशियों विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958, विदेशियों विषयक (निर्बंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 और विदेशियों विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, अधिकांत करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आप्रवास और विदेशियों विषयक आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं-- (1) इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) "अनुसूची" से इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) यहां प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम या नियमों में उनके हैं।

अध्याय 1

व्यक्तियों का भारत में प्रवेश, रहना, संचलन और बाहर निकलना

3. भारत में प्रवेश करने या रहने से इनकार करने की शक्ति.-- (1) किसी विदेशी को निम्नलिखित आधारों पर भारत में प्रवेश करने या रहने से इनकार किया जा सकेगा, अर्थात:-

(क) यदि उसे राष्ट्र-विरोधी क्रियाकलापों, जासूसी, बलात्कार और हत्या, मानवता के विरुद्ध अपराध, आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलापों के आरोपों में दोषी ठहराया जाता है, जिसमें ऐसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता या धन-शोधन या हवाला की व्यवस्था करना, स्वापक और मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी, बाल तस्करी सहित मानव तस्करी, नकली यात्रा दस्तावेज और मुद्रा (क्रिप्टो मुद्रा सहित), साइबर अपराध, बाल शोषण या ऐसे अपराधों में शामिल पाया जाना सम्मिलित है;

(ख) यदि वह किसी ऐसे संगठन का सदस्य है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के उपबंधों के अधीन एक विधिविरुद्ध संगठन के रूप में घोषित किया गया है;

(ग) यदि संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के अधीन उसके प्रवेश से इनकार किया जाना है;

(घ) यदि उसे किसी अपराध के लिए भारत से निर्वासित कर दिया गया है या बाहर निकलने की अनुमति दी गई है और भारत में प्रवेश के लिए उसे लगातार विवर्जित किया जा रहा है; या

(ङ) यदि उसका प्रवेश या तो केन्द्रीय सरकार के विनिर्दिष्ट आदेशों के अधीन या किन्हीं विधि प्रवर्तन प्राधिकरणों या अन्य अभिहित सरकारी अभिकरणों द्वारा जारी किए गए आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध है, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(2) उपपैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई आप्रवास अधिकारी, जन सुरक्षा के हित में, आदेश पारित करके भारत में किसी विदेशी के प्रवेश का प्रतिषेध कर सकेगा।

(3) जब भी आप्रवास अधिकारी उप-पैरा (2) के अधीन कोई आदेश पारित करता है, तो वह मामले को तुरंत केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करेगा जो आदेश को रद्द या उपांतरित कर सकेगी।

(4) आप्रवास अधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह किसी विदेशी को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देते समय ठीक समझे और ऐसी शर्तों को केन्द्रीय सरकार द्वारा परिवर्तित या रद्द किया जा सकेगा।

(5) आप्रवास ब्यूरो उन विदेशियों की अद्यतन सूची रखेगा जिनका भारत में प्रवेश निषिद्ध होगा:

परन्तु विदेशियों के नाम, जिनके नाम इस उपपैरा में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार आवधिक रूप से पुनर्विलोकित किए जाएंगे:

परन्तु यह और कि कोई विदेशी जिसका नाम इस उपपैरा में निर्दिष्ट सूची में है, गृह मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार को उसके पुनर्विलोकन के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

4. नाविक और विमान के चालक दल का उतरना- (1) किसी नाविक, जो विदेशी है, को भारत में प्रवेश के लिए उतराई अनुज्ञापत्र या तट अनुमति पास की अपेक्षा होगी, यदि उसके पास वैध भारतीय वीजा नहीं है।

(2) विमान के कर्मीदल, जो विदेशी है, को भारत में प्रवेश के लिए उतराई अनुज्ञापत्र की अपेक्षा होगी, यदि उनके पास वैध भारतीय वीजा नहीं है।

(3) उतराई अनुज्ञापत्र या तट अनुमति पास समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और शर्तों के अनुसार आप्रवास अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(4) इस पैरा के उपबंध पैरा 3 के उपबंधों के अतिरिक्त हैं, न कि उनके अल्पीकरण में।

स्पष्टीकरण- इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "नाविक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो पोत के काम में नियोजित या लगा हुआ है।

5. भारत से प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति.-- (1) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट आधारों के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित आधारों पर भारत से प्रस्थान करने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकेगा, अर्थात:-

(क) यदि किसी न्यायालय द्वारा भारत में उसकी उपस्थिति अपेक्षित है;

(ख) यदि वह उन रोगों से पीड़ित है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा हैं;

(ग) यदि उसका बाहर निकलना किसी विदेशी राज्य के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है; या

(घ) यदि उसे केन्द्रीय सरकार के विनिर्दिष्ट आदेशों के अधीन या किन्हीं विधि प्रवर्तन प्राधिकरणों या अन्य अभिहित सरकारी अधिकरणों द्वारा जारी किए गए आदेश द्वारा भारत से प्रस्थान या निकास की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(2) उपपैरा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आप्रवास अधिकारी आदेश पारित करके किसी विदेशी के प्रस्थान का प्रतिषेध कर सकेगा, जब उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा प्रस्थान लोकहित में नहीं हो सकता है।

(3) जब कभी कोई आप्रवास अधिकारी उप-पैरा (2) के अधीन कोई आदेश पारित करता है तो वह मामले की सूचना तत्काल केन्द्रीय सरकार को देगा जो आदेश को रद्द अथवा उपांतरित कर सकेगी।

(4) आप्रवास ब्यूरो उन लोगों की अद्यतन सूची रखेगा जिन्हें भारत से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. विदेशियों की जांच करने की शक्ति.-- सिविल प्राधिकारी किसी भी विदेशी की भारत में उसके प्रवास के दौरान, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, या उसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेश के लिए या जारी किए गए किसी निदेश या अनुदेश के अधीन जांच कर सकेगा; और उसके पश्चात् ऐसे प्रत्येक विदेशी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अवधि के भीतर सिविल प्राधिकारी के समक्ष ऐसी परीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करे, जैसा कि ऐसा प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे और ऐसी जानकारी प्रस्तुत करे जो उस प्राधिकारी को अपेक्षित हो।

7. बायोमेट्रिक जानकारी का प्रग्रहण करना- (1) वीजा के किसी भी प्रवर्ग के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक विदेशी, जिसके अंतर्गत नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7 के अधीन भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण भी शामिल है, यथास्थिति, वीजा जारी करने वाले प्राधिकारी या भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले प्राधिकारी को, वीजा या भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले अपनी बायोमेट्रिक जानकारी लेने की अनुमति देगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसकी पहचान भारत में रहते हुए विदेशी के रूप में की गई है या विदेशी माना जाता है, वह इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के अभिहित इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर अपनी बायोमेट्रिक जानकारी ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर निम्नलिखित द्वारा लेने की अनुमति देगा:-

(क) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ;

(ख) सिविल प्राधिकारी;

(ग) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी;

(घ) आप्रवास अधिकारी;

(ङ) सीमा सुरक्षा बल; या

(च) तटरक्षक ;

(3) बायोमेट्रिक जानकारी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुसार ली जाएगी।

(4) प्रग्रहण की गई बायोमेट्रिक जानकारी प्रग्रहण करने की तारीख से दस साल के लिए वैध होगी।

(5) जिन विदेशियों के पास फिंगरप्रिंट नहीं हैं या खराब फिंगरप्रिंट हैं, उन्हें छूट दी जाएगी और उनके लिए केवल चेहरे के लक्षण या आईरिस का प्रग्रहण किया जाएगा।

(6) जिन विदेशियों की अंगुलियों की संख्या कम है, वे केवल विद्यमान उंगलियों के फिंगरप्रिंट देंगे।

अध्याय 2

विदेशियों के कुछ क्रियाकलापों पर निर्बंधन

8. निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति.-- (1) सिविल प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकारी यथाविनिर्दिष्ट कोई भी प्राधिकरण, लिखित आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि कोई विदेशी उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा जो निम्नलिखित के संबंध में हैं-

(क) उसका निवास स्थान;

(ख) उसके संचलन;

(ग) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के साथ उसका संबंध; और

(घ) नियमों के नियम 20 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी वस्तुओं का उसके पास होना।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन विदेशियों के निर्वासन तक उनके संचलन को निर्बंधित करने के प्रयोजन के लिए समर्पित धारण केन्द्र या शिविर स्थापित करेंगे।

9. नियोजन पर निर्बंधन.-- (1) कोई विदेशी, संघ या किसी राज्य के मामले संबंधी लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति का हकदार नहीं होगा, सिवाय ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के, जो केन्द्रीय सरकार, उस निमित्त विशेष आदेश द्वारा, यथास्थिति, किसी विदेशी के लिए विनिर्दिष्ट या किसी पद के लिए विनिर्दिष्ट करें।

(2) कोई भी विदेशी, जिसके पास भारत में नियोजन के लिए वैध वीजा है, सिविल प्राधिकारी की अनुमति के बिना, निजी क्षेत्र में ऐसे उपक्रम में नियोजन स्वीकार नहीं करेगा जो विद्युत या जल की आपूर्ति में या पेट्रोलियम क्षेत्र में लगा हुआ है।

(3) निजी क्षेत्र का कोई उपक्रम जो रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नाभिकीय ऊर्जा या मानवाधिकार या इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य क्षेत्र में संलग्न है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी विदेशी को नियोजित नहीं करेगा।

(4) उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट क्षेत्रों में सिविल प्राधिकारी की अनुमति के बिना या उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना इस आदेश के प्रारंभ से पहले नियोजित कोई भी विदेशी, इस आदेश के प्रारंभ होने की तारीख से तीन महीने की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, यथास्थिति, सिविल प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना, ऐसे उपक्रम या क्षेत्र में नियोजित नहीं रहेगा।

(5) उप-पैरा (2) और (3) में निर्दिष्ट किसी भी उपक्रम या क्षेत्र का प्रबंधन सिविल प्राधिकारी को उस उपक्रम या क्षेत्र में नियोजित विदेशी के बारे में ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण के लिए ऐसे अभिलेख और रजिस्टर उपलब्ध कराएगा जो उस प्राधिकारी द्वारा मांगे जाएं।

(6) इस पैरा की कोई बात भारत के कार्डधारक विदेशी नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर लागू नहीं होगी।

10. कुछ क्रियाकलापों पर निर्बंधन-- कोई विदेशी लोक प्रदर्शन के लिए आशयित फीचर फिल्म, वृत्तचित्र फिल्म, रियलिटी टेलीविजन और वेब शो या श्रृंखला, वाणिज्यिक टेलीविजन धारावाहिक या शो और वेब शो या श्रृंखला या किसी अन्य मोड या माध्यम, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए का निर्माण केवल लिखित अनुमति के साथ, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं, करेगा या निर्माण करने का प्रयत्न करेगा या करवाएगा।

11. पर्वतारोहण अभियानों पर निर्बंधन- (1) कोई विदेशी या विदेशियों का समूह, सिवाय उन चोटियों के जिनके मार्ग पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट हैं, -

(क) केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना; और

(ख) अनुसरण किए जाने वाले मार्ग के विनिर्देश, संपर्क अधिकारी की नियुक्ति और फोटोग्राफिक व बेतार संचार उपकरणों का उपयोग जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाए, के बिना

भारत में किसी पर्वत शिखर पर नहीं चढ़ेगा या चढ़ने का प्रयत्न नहीं करेगा।

(2) भारत में किसी भी पर्वत शिखर पर चढ़ने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, नई दिल्ली को दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट आवेदन पत्र में किया जा सकेगा।

(3) चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के राष्ट्रिकों या इन देशों में उद्भव वाले व्यक्तियों को उन चोटियों पर चढ़ने के लिए जो पहली अनुसूची में सम्मिलित हैं, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी।

स्पष्टीकरण- इस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति 'उद्भव' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है-

(i) जो, या जिसके माता-पिता या उसके दादा-दादी/नाना-नानी में से कोई भी, उसमें उल्लिखित देशों में जन्मा था और स्थायी रूप से निवासी था; या

(ii) जो उसमें उल्लिखित देशों के किसी भी समय नागरिक रहे थे।

(4) भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन मार्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगा, संपर्क अधिकारी नियुक्त कर सकता है और ऐसे निर्बंधन लगा सकेगा जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट चोटियों के संबंध में आवश्यक समझे जाएं।

अध्याय 3

अवैध प्रवासियों की रोकथाम, पता लगाना, संचलन निर्बंधित करना और निर्वासन

12. अवैध प्रवासियों के आवागमन और निर्वासन को रोकने, पता लगाने, प्रतिबंध लगाने की शक्ति.- (1) आप्रवास चौकी पर आप्रवास अधिकारी विदेशियों की जांच और वाहक के निरीक्षण सहित कदम उठाएगा, ताकि वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करने का प्रयत्न करने वाले विदेशियों को रोका जा सके।

(2) अभिहित सीमा रक्षक बल या तटरक्षक केन्द्रीय सरकार के अभिहित पोर्टल पर उनकी बायोमेट्रिक जानकारी और उपलब्ध जनसांख्यिकीय ब्यौरे प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें वापस भेजकर भारत में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए कदम उठाएंगे।

(3) सिविल प्राधिकारी, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भारत में अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए कदम उठाएगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे, अर्थात्:-

(क) विदेशियों की जाँच ;

(ख) किसी विमान, पोत या परिवहन के अन्य साधनों का निरीक्षण, यदि उक्त प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई अवैध प्रवासी उसमें यात्रा कर रहा है; और

(ग) किसी स्थान या परिसर का निरीक्षण, यदि उक्त प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई अवैध प्रवासी उस स्थान या परिसर में रह रहा है या छिपा हुआ है।

(4) भारत के भीतर पकड़े गए अवैध प्रवासियों की दशा में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात् -

(क) निर्वासन लंबित रहने पर किसी संदिग्ध अवैध प्रवासी को अधिनियम और नियमों के प्रावधानों और पैरा 8 के अनुसार धारण केन्द्र या शिविर में संचलन करने पर निर्बंधन अधिरोपित किए जाएंगे, जैसा कि उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ख) उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस प्रकार पहचाने गए अवैध प्रवासी को तत्काल निर्वासित करने के लिए उचित कदम उठा सकेंगे, यदि अवैध प्रवासी के पास वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज है;

(ग) वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज के अभाव में, उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी राष्ट्रीयता सत्यापित करने और विदेश मंत्रालय के माध्यम से भारत में संबंधित देश के राजदूतावास या उच्चायोग से अवैध प्रवासी के पक्ष में यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए तुरंत उचित कदम उठा सकेंगे और ऐसे प्राधिकारियों द्वारा देश से अवैध प्रवासी को निर्वासित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे जैसे ही यात्रा दस्तावेज प्राप्त होता है;

(घ) देश में बसे अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने से संबंधित मामलों की निगरानी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रत्येक जिले में इस प्रयोजन के लिए अभिहित एक नोडल अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक की रैंक से नीचे नहीं होगा, द्वारा बारीकी से की जाएगी, और संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के स्तर पर आवधिक रूप से पुनर्विलोकन भी किया जाएगा और ऐसे मामलों, जहां ऐसे अवैध प्रवासियों की राष्ट्रीयता सत्यापन के लिए लंबित है, पर विदेश मंत्रालय के साथ संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे अवैध प्रवासियों की संख्या का विवरण केन्द्रीय सरकार के निर्दिष्ट पोर्टल पर अद्यतन करेंगे, जिनका पता लगाया गया, निर्बंधित किया गया और निर्वासित किया गया तथा ऐसे मामले जिनमें राष्ट्रीयता सत्यापन लंबित है।

(च) आप्रवास ब्यूरो अवैध प्रवासियों के डेटा का अभिरक्षक होगा जो उनकी पहचान, संचलन पर निर्बंधन, निर्वासन और उन मामलों से संबंधित है जिनमें राष्ट्रीयता सत्यापन लंबित है; और

(छ) अवैध प्रवासियों की पहचान, संचलन पर निर्बंधन और निर्वासन से संबंधित मामलों में हितधारकों के साथ समन्वय करने के लिए आप्रवास ब्यूरो नोडल अभिकरण होगा।

स्पष्टीकरण- इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "अवैध प्रवासी" का वही अर्थ होगा जो नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में है।

13. निर्वासन के व्यय.-- जहां किसी विदेशी की दशा में यह निदेश दिया जाता है कि वह भारत में नहीं रहेगा या जहां किसी विदेशी को भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है या उसने बिना अनुमति के भारत में प्रवेश किया है वहां केन्द्रीय सरकार, यदि वह ठीक समझे, भारत से यात्रा के संपूर्ण व्यय या उसके आनुषंगिक व्यय तथा विदेशी और उसके आश्रितों, यदि कोई हों, का प्रस्थान होने तक रखरखाव के संदाय में विदेशी की संपत्ति का कोई धन उपयोजित कर सकेगी या कुर्क कर सकेगी।

अध्याय 4

संरक्षित और निर्बंधित क्षेत्र

14. संरक्षित क्षेत्र या निर्बंधित क्षेत्र.-- (1) प्रत्येक विदेशी को किसी भी संरक्षित क्षेत्र या निर्बंधित क्षेत्र में प्रवेश करने या रहने के लिए अनुज्ञापत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा, जैसा कि, यथास्थिति, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है:

परंतु इस उप-पैरा के प्रावधान निम्नलिखित को और उसके संबंध में लागू नहीं होंगे -

(क) कोई भी व्यक्ति जो भूटान का नागरिक है, सिवाय उसके जो अफगानिस्तान, चीन या पाकिस्तान के उद्भव का है; या

(ख) अफगानिस्तान, चीन या पाकिस्तान के नागरिक या इन देशों में अपने उद्भव वाले व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति जो इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से ठीक पहले पांच साल से अन्यून की अवधि के लिए उस संरक्षित क्षेत्र या निर्बंधित क्षेत्र में साधारण रूप से निवासी रहा है:--

परन्तु यह और कि ऐसा कोई अनुज्ञापत्र किसी ऐसे विदेशी को जारी नहीं किया जाएगा जो अफगानिस्तान, चीन या पाकिस्तान का नागरिक है या जिसका उद्भव इन देशों में है या किसी अन्य देश के नागरिक को, जो केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय इस निमित्त जारी किए गए आदेश, निदेश या अनुदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जारी नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- पहले और दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए, 'उद्भव' पद का वही अर्थ होगा जो पैरा 11 के उपपैरा (3) के स्पष्टीकरण में इसका है।

(2) केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त जारी किए गए आदेश, निदेश या अनुदेश द्वारा, संरक्षित क्षेत्रों या निर्बंधित क्षेत्रों के भीतर आने वाले किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या मार्ग को पर्यटन के लिये खोल सकेगी, जिसका विदेशियों द्वारा आवश्यक अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उक्त आदेश या निदेश या अनुदेश में विनिर्दिष्ट किये जाएँ, भ्रमण किया जा सकता है।

(3) पर्यटन प्रयोजन के लिए खोले गए किसी क्षेत्र सहित किसी संरक्षित क्षेत्र या निर्बंधित क्षेत्र में जाने या ठहरने का इच्छुक प्रत्येक विदेशी पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट आवेदन पत्र में, निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल अर्थात् <https://indianfro.gov.in> या मोबाइल एप्लिकेशन अर्थात्, "भारतीय वीजा सु-स्वागतम" या किसी भी नाम या नामों से जो समय-समय पर इसे, समनुदेशित किया जाए, पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यथास्थिति, संरक्षित क्षेत्र अनुज्ञापत्र या निर्बंधित क्षेत्र अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) संरक्षित क्षेत्र अनुज्ञापत्र या निर्बंधित क्षेत्र अनुज्ञापत्र छठी अनुसूची में प्रदान किए गए प्ररूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा।

(5) संरक्षित क्षेत्र अनुज्ञापत्र या निर्बंधित क्षेत्र अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन प्राप्त करने और ऐसा अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए प्राधिकारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(6) सिविल प्राधिकारी, किसी संरक्षित क्षेत्र या निर्बंधित क्षेत्र के बारे में, आदेश द्वारा-

(क) किसी भी विदेशी या विदेशियों के किसी भी वर्ग को, यथास्थिति, संरक्षित क्षेत्र अनुज्ञापत्र या निर्बंधित क्षेत्र अनुज्ञापत्र के बिना क्षेत्र में प्रवेश करने या रहने से प्रतिबंधित कर सकेगा;

(ख) निम्नलिखित के संबंध में क्षेत्र में प्रवेश करने या होने के कारण किसी विदेशी या विदेशियों के वर्ग पर ऐसी शर्तें या निर्बंधन अधिरोपित करना, जो वह ठीक समझे-

(1) पुलिस या किसी नौसेना, सैन्य या वायु सेना प्राधिकारी को रिपोर्ट करना;

- (2) सर्वेक्षण करना या रेखाचित्र या छायाचित्र बनाना;
- (3) किसी भी उपकरण, या किसी भी विवरण की अन्य वस्तु का उपयोग या कब्जा;
- (4) भूमि का अधिग्रहण या क्षेत्र के भीतर भूमि में कोई हित;
- (5) कोई अन्य मामला या बात जिसके बारे में वह सार्वजनिक सुरक्षा के हित में आवश्यक समझते हुए, शर्तें या निर्बंधन अधिरोपित करे;

(ग) किसी गृहस्थ या अन्य व्यक्ति पर यह दायित्व अधिरोपित कर सकेगा कि वह पुलिस या किसी नौसेना, सेना या वायु सेना प्राधिकारी को उसकी गृहस्थी में या उसके कब्जे वाले या उसके नियंत्रणाधीन किसी परिसर में किसी विदेशी की उपस्थिति और ऐसे किसी विदेशी के संबंध में ऐसे किसी विदेशी का प्रस्थान और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, की रिपोर्ट करे:

परन्तु सिविल प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के किसी साधारण या विनिर्दिष्ट निदेश के अधीन रहते हुए, किसी विदेशी व्यक्ति को इस उपपैरा के अधीन अधिरोपित किन्हीं या सभी शर्तों या निर्बंधनों से छूट देते हुए विशेष अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा।

अध्याय 5

प्रतिषिद्ध स्थान

15. प्रतिषिद्ध स्थान- (1) कोई भी विदेशी, सिविल प्राधिकारी या ऐसे स्थान पर अधिकारिता रखने वाले रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की अनुज्ञा के बिना, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा 2 के खंड (8) में यथा परिभाषित किसी प्रतिषिद्ध स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, भ्रमण या निवास नहीं करेगा।

(2) किसी भी प्रतिषिद्ध स्थान पर जाने या निवास करने का आशय रखने वाला प्रत्येक विदेशी पैरा 14 के उपपैरा (3) में यथानिर्दिष्ट अभिहित ऑनलाइन पोर्टल पर या मोबाइल एप्लिकेशन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पांचवीं अनुसूची में प्रदान किए गए प्ररूप में प्रतिषिद्ध स्थान अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) छठी अनुसूची में प्रदान किए गए प्ररूप में प्रतिषिद्ध स्थान परमिट इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा।

(4) जहां कोई विदेशी, इस आदेश के प्रारंभ की तारीख को, किसी प्रतिषिद्ध स्थान में निवास कर रहा है और उसे वहां निवास करते रहने की अनुमति नहीं है, तो वह, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि सिविल प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, स्वयं को ऐसे स्थान से हटा देगा।

(5) सिविल प्राधिकारी या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे प्रतिषिद्ध स्थान में किसी गृहस्थ या अन्य व्यक्ति पर पुलिस या किसी नौसेना, सेना या वायु सेना प्राधिकारी को उसकी गृहस्थी में या उसके कब्जे वाले या उसके नियंत्रणाधीन किसी परिसर में किसी विदेशी की उपस्थिति और ऐसे किसी विदेशी के प्रस्थान और ऐसे विदेशी के संबंध में ऐसी अन्य विशिष्टियों की रिपोर्ट देने की बाध्यता अधिरोपित कर सकेगा, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(6) छावनी में सेनाओं की कमान में तत्समय के लिए सैन्य अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी विदेशी को ऐसे समय के भीतर छावनी से खुद को हटाने का निदेश दे सकता है जैसा कि इस तरह के आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

अध्याय 6

विदेशी अधिकरण

16. विदेशी अधिकरण का गठन (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट, आदेश द्वारा, इस प्रश्न को, कि क्या कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अर्थात्तरगत विदेशी है या नहीं इसकी राय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विदेशी विषयक अधिकरण को संदर्भित कर सकेगा।

(2) नागरिकता नियम, 2009 के नियम 19 के उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी भी विदेशी नागरिक अधिकरण को यह प्रश्न भेज सकता है कि क्या भारतीय मूल का व्यक्ति, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 6क की उप-धारा (3) के अधीन किसी भी अपेक्षा का अनुपालन करता है।

(3) नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 की अनुसूची के पैरा 8 में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति इस आदेश के अधीन गठित विदेशी विषयक अधिकरण के समक्ष उसमें विनिदष्ट निबन्धनों और शर्तों पर अपील कर सकेगा।

(4) विदेशी विषयक अधिकरण ऐसे तीन सदस्यों से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें न्यायिक अनुभव होगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार नियुक्त करना ठीक समझे।

(5) जहां विदेशी अधिकरण में दो या अधिक सदस्य होते हैं, जिनमें से एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।

17. पैरा 16 के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट प्रश्नों के निपटान की प्रक्रिया- (1) विदेशी विषयक अधिकरण उस व्यक्ति पर, जिससे प्रश्न संबंधित है, उन मुख्य आधारों की एक प्रति, जिस पर वह विदेशी होना अभिकथित है, तामील करेगा और उसे अभ्यावेदन करने और अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा और ऐसे साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् जो प्रस्तुत किए जाएं और ऐसे व्यक्तियों की सुनवाई के पश्चात् जिन्हें सुना जाना वांछिव, विदेशी अधिकरण संदर्भ के क्रम में इस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी राय अग्रेषित करेगा।

(2) विदेशी विषयक अधिकरण उस व्यक्ति को, जिससे प्रश्न संबंधित है, अर्थात् कार्यवाही प्राप्त करने वाले को कारण बताओ नोटिस देगा।

(3) उपपैरा (2) में निर्दिष्ट सूचना, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पैरा 16 के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रश्न के निदेश की प्राप्ति के दस दिन के भीतर तामील की जाएगी।

(4) यह उपदर्शित करते हुए कि यह सिद्ध करने की कार्यवाही प्राप्तकर्ता पर यह भार है कि वह विदेशी नहीं है, अंग्रेजी में और राज्य की राजभाषा में भी सूचना तामील की जाएगी।

(5) नोटिस निम्नलिखित रीति से कार्यवाही प्राप्तकर्ता को तामील किया जाएगा, अर्थात्: -

(क) नोटिस उस पते पर तामील किया जाएगा जहां कार्यवाही प्राप्तकर्ता अंतिम बार रहता था या कथित तौर पर रहता है या लाभ के लिए काम करता है, और निवास स्थान के परिवर्तन के मामले में, जिसे कथित व्यक्ति द्वारा अन्वेषण अभिकरण को लिखित रूप में विधिवत सूचित किया गया है, यह ऐसे बदले हुए पते पर तामील किया जाएगा;

(ख) यदि नोटिस की तामील के समय कार्यवाही प्राप्तकर्ता पते पर नहीं पाई जाती है, तो नोटिस कार्यवाही करने वाले के परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को दिया जा सकता है और इसे कार्यवाही प्राप्तकर्ता पर तामील किया जाना समझा जाएगा;

(ग) जहां कार्यवाही प्राप्तकर्ता के परिवार के वयस्क सदस्य को नोटिस दिया जाता है, प्रक्रिया सर्वर सेवा के प्रमाण के टोकन के रूप में नोटिस के दूसरी प्रति पर वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा;

(घ) यदि कार्यवाही प्राप्तकर्ता के परिवार का वयस्क सदस्य यथास्थिति, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने से इनकार करता है, प्रक्रिया सर्वर विदेशी अधिकरण को इसकी रिपोर्ट करेगा;

(ङ) यदि कार्यवाही प्राप्तकर्ता या उसके परिवार का कोई उपलब्ध वयस्क सदस्य नोटिस स्वीकार करने से इंकार करता है तो प्रक्रिया सर्वर उस संबंध में विदेशी विषयक अधिकरण को उस स्थान के किसी व्यक्ति के नाम और पते के साथ एक रिपोर्ट देगा, जो नोटिस दिए जाने के लिए ऐसा प्रयास करते समय उपस्थित था, परन्तु यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति उपलब्ध हो और ऐसी सेवा का साक्षी बनने के लिए तैयार हो और प्रक्रिया सर्वर ऐसे साक्षी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा, यदि वह विद्यमान है और हस्ताक्षर करने या अपने अंगूठे की छाप लगाने के लिए तैयार है ;

(च) यदि कार्यवाही प्राप्तकर्ता ने अन्वेषण अभिकरण को सूचित किए बिना निवास स्थान या कार्य स्थान बदल दिया है, तो प्रक्रिया सर्वर बाहरी दरवाजे या घर के किसी अन्य विशिष्ट भाग पर नोटिस की एक प्रति चिपकाएगा जिसमें कार्यवाही करने वाला आमतौर पर रहता है या अंतिम निवास करता है या कथित तौर पर रहता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है या व्यवसाय करता है, और मूल को विदेशी अधिकरण को वापस कर देगा, जिसमें से इसे एक रिपोर्ट के साथ जारी किया गया था या उस पर यह कहते हुए उपाबध किया गया था कि उसने प्रतिलिपि चिपका दी है, जिन परिस्थितियों में उसने ऐसा किया है, और व्यक्ति का नाम और पता, यदि कोई हो, जिसके द्वारा घर की पहचान की गई थी और जिसकी उपस्थिति में प्रति चिपका दी गई थी;

(छ) जहां कार्यवाही प्राप्तकर्ता या उसके परिवार का कोई वयस्क सदस्य निवास पर नहीं पाया जाता है, नोटिस की एक प्रति उसके निवास के एक विशिष्ट स्थान पर चिपकाई जाएगी, जिसे इलाके के एक सम्मानित व्यक्ति द्वारा देखा जाएगा, उसकी उपलब्धता और इच्छा के अधीन उस संबंध में साक्षी होने के लिए और प्रक्रिया सर्वर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान उस रीति से प्राप्त करेगा जिसमें ऐसी सेवा प्रभावित है;

(ज) जहां कार्यवाही प्राप्तकर्ता विदेशी अधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है, नोटिस उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सेवा के लिए भेजा जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही करने वाला रहता है या अंतिम निवास करता है या अंतिम बार ज्ञात है कि उसने निवास किया है या लाभ के लिए काम किया है और प्रक्रिया सर्वर तब ऊपर दी गई रीति से नोटिस की तामील का कारण बनेगा;

(झ) यदि कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या नोटिस की तामील का साक्षी बनने का इच्छुक नहीं है या अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाने से इनकार करता है, तो प्रक्रिया सर्वर उस प्रभाव के लिए एक हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र या सत्यापन दर्ज करेगा, जो इस तरह की अनुपलब्धता, अनिच्छा और इनकार का पर्याप्त प्रमाण होगा;

(ञ) खंड (i) में निर्दिष्ट हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र या सत्यापन की प्राप्ति पर, विदेशी अधिकरण ऐसे निर्देशों के साथ ऐसे संदर्भों को वापस कर देगा जैसा कि वह उस प्राधिकारी को ठीक समझता है जिसने कार्यवाही का पता लगाने और उक्त विदेशी अधिकरण के समक्ष पेश करने के लिए संदर्भ दिया है।

(6) जहां कार्यवाही प्राप्तकर्ता विदेशी विषयक अधिकरण के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है और वह अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करता है वहां विदेशियों विषयक अधिकरण ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर सकेगा और तदनुसार मामले का विनिश्चय कर सकेगा।

(7) ऐसे मामले में जहां नोटिस विधिवत तामील किया जाता है, कार्यवाही प्राप्तकर्ता विदेशी अधिकरण के समक्ष प्रत्येक सुनवाई पर यथास्थिति, व्यक्तिगत रूप से या उसके द्वारा नियुक्त वकील के माध्यम से, विदेशी अधिकरण के समक्ष उपस्थित होगा ।

(8) विदेशी विषयक अधिकरण कार्यवाही करने वाले को कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए दस दिन का समय देगा और अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए और दस दिन का समय देगा।

- (9) विदेशी विषयक अधिकरण दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कमीशन पर साक्षियों की परीक्षा के लिए प्रार्थना करने से मना कर सकेगा, यदि विदेशी विषयक अधिकरण की राय में, कार्यवाहियों में विलंब करने के लिए ऐसा अनुरोध किया जाता है।
- (10) विदेशी विषयक अधिकरण ऐसे साक्ष्य लेगा जो संबंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए जाएं।
- (11) विदेशी विषयक अधिकरण ऐसे व्यक्तियों की सुनवाई करेगा जिनकी उसकी राय में सुनवाई अपेक्षित है।
- (12) विदेशी विषयक अधिकरण किसी भी दलील पर और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए मामले का स्थगन दे सकता है।
- (13) जहां कार्यवाही प्राप्तकर्ता अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश करने में विफल रहता है कि वह विदेशी नहीं है और अपने दावे के संबंध में जमानत की व्यवस्था करने में भी सक्षम नहीं है, तो कार्यवाही प्राप्तकर्ता को निरुध किया जाएगा और धारण केंद्र में रखा जाएगा।
- (14) विदेशी विषयक अधिकरण, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पैरा 16 के उपपैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी से संदर्भ की प्राप्ति के साठ दिन की अवधि के भीतर मामले का निपटान करेगा।
- (15) मामले की सुनवाई हो जाने के बाद, विदेशी विषयक अधिकरण यथाशीघ्र अपनी राय यथासाध्य शीघ्र इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को संदर्भ क्रम में अग्रेषित करेगा।
- (16) विदेशी अधिकरण के अंतिम आदेश में निर्दिष्ट प्रश्न पर उसकी राय होगी, जो तथ्यों और निष्कर्ष का संक्षिप्त विवरण होगा।

18. पैरा 16 के उपपैरा (2) में निर्दिष्ट प्रश्नों के निपटान की प्रक्रिया (1) विदेशी विषयक अधिकरण, पैरा 16 के उपपैरा (2) में निर्दिष्ट प्रश्न पर अपनी राय देने से पहले, उस व्यक्ति को, जिसके संबंध में राय मांगी गई है, अपने मामले के समर्थन में अभ्यावेदन करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा और ऐसे साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, जो प्रस्तुत किए जाएं और ऐसे व्यक्तियों को सुनने के पश्चात् जो सुनवाई के लिए वांछित हों, विदेशी अधिकरण संदर्भ के क्रम में इस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को अपनी राय अग्रेषित करेगा।

(2) विदेशी विषयक अधिकरण ऐसे साक्ष्य ले सकेगा जो नागरिकता नियम, 2009 के नियम 19 के उपनियम (1) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाएं, जिसने विदेशी विषयक अधिकरण को निदेश दिया है।

(3) विदेशी अधिकरण दोनों पक्षों को सुन सकता है।

(4) विदेशी विषयक अधिकरण पैरा 16 के उपपैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से निदेश की प्राप्ति के साठ दिन की अवधि के भीतर मामले का निपटान करेगा।

(5) मामले की सुनवाई हो जाने के बाद, विदेशी विषयक अधिकरण यथाशीघ्र अपनी राय यथासाध्य अधिकारी या प्राधिकारी को संदर्भ क्रम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(6) विदेशी अधिकरण के अंतिम आदेश में निर्दिष्ट प्रश्न पर उसकी राय होगी, जो तथ्यों और निष्कर्ष का संक्षिप्त विवरण होगा।

(7) इस आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विदेशी विषयक अधिकरण को समयबद्ध रीति से मामलों के शीघ्र निपटान के लिये अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

19. पैरा 16 के उपपैरा (3) में निर्दिष्ट अपील के निपटान की प्रक्रिया- (1) नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 में संलग्न अनुसूची के पैरा 8 के अधीन अपील को प्राथमिकता देते समय, आवेदक अपील के आधारों के साथ भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के प्राधिकारियों से प्राप्त अस्वीकृति आदेश की प्रमाणित प्रति प्रदान करेगा।

- (2) विदेशी विषयक अधिकरण द्वारा ऐसे अभ्यावेदन को स्वीकार किये जाने पर अपीलकर्ता, या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी विधिक व्यवसायी के माध्यम से या अपीलार्थी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी संबंध के माध्यम से उपस्थित हो सकेगा।
- (3) राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक प्लीडर नियुक्त कर सकेगी।
- (4) विदेशी विषयक अधिकरण सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी करेगा और उक्त सूचना की एक प्रति राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता और अपीलार्थी को भी भेजी जाएगी।
- (5) जिला मजिस्ट्रेट अपीलार्थी द्वारा दायर दावों या आपत्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से उपस्थित होने वाले प्लीडर को भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अभिलेखों सहित अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और दस्तावेजों और भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों सहित मूल रूप में उपलब्ध कराएगा।
- (6) यदि नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 में संलग्न अनुसूची के पैरा 8 के अधीन कोई अपील नहीं की जाती है तो जिला मजिस्ट्रेट पैरा 16 के उपपैरा (1) के निबंधनों के अनुसार अधिनियम के अर्थात्तरगत यह प्रश्न विदेशी विषयक अधिकरण को उसकी राय के लिए संदर्भित कर सकेगा कि वह व्यक्ति विदेशी है या नहीं।
- (7) ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या पैरा 16 के उपपैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा किसी विदेशी विषयक अधिकरण को पहले ही संदर्भ किया जा चुका है, वे विदेशी विषयक अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने के पात्र नहीं होंगे।
- (8) यदि किसी विदेशी विषयक अधिकरण ने पहले ही किसी व्यक्ति के बारे में विदेशी के रूप में राय दे दी है तो ऐसा व्यक्ति किसी विदेशी विषयक अधिकरण में अपील फाइल करने का पात्र नहीं होगा।
- (9) जिला मजिस्ट्रेट की ओर से, प्लीडर विदेशी अधिकरण के समक्ष भारतीय नागरिकों के रिकॉर्ड के राष्ट्रीय रजिस्टर को पेश करेगा।
- (10) अभिलेख प्रस्तुत करने पर, यदि विदेशी विषयक अधिकरण अपील में योग्यता पाता है, तो वह अपीलार्थी और जिला मजिस्ट्रेट को सुनवाई की तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और ऐसी तारीख अभिलेखों के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर होगी।
- (11) जिला मजिस्ट्रेट विदेशी विषयक अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में उसकी ओर से कार्रवाई करने के लिये किसी अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेगा।
- (12) सुनवाई के दौरान, विदेशी अधिकरण अपीलकर्ता, राज्य सरकार की ओर से पेश होने वाले प्लीडर और जिला मजिस्ट्रेट के प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो, को अपना मामला पेश करने का युक्तियुक्त अवसर देगा, जिसके अंतर्गत उनके मामले के समर्थन में कोई अभ्यावेदन फाइल करना या दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करना भी है।
- (13) उपपैरा (6) में उल्लिखित अपील या संदर्भ का निपटान करते समय, विदेशी अधिकरण को पैरा 17 के उप-पैरा (9), (11) और (12) द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा।
- (14) विदेशी विषयक अधिकरण अपीलकर्ता, राज्य सरकार की ओर से उपस्थित होने वाले प्लीडर और जिला मजिस्ट्रेट के प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो, की सुनवाई के पश्चात् अपील का निपटान करेगा:
- परंतु विदेशी अधिकरण भी, यदि अपील अस्वीकृत कर दी जाती है, तो यह स्पष्ट निष्कर्ष देगा कि अपीलकर्ता अधिनियम के अर्थ के भीतर विदेशी है या नहीं।
- (15) विदेशी विषयक अधिकरण के अंतिम आदेश में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:-

(क) इस विषय पर उसकी राय कि क्या अपीलार्थी भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में सम्मिलित किए जाने का पात्र है या नहीं और इसमें यह भी अंतर्विष्ट होगा कि क्या अपीलार्थी, यदि उसकी अपील अस्वीकृत कर दी जाती है, तो वह अधिनियम के अर्थात्तरगत विदेशी है या नहीं;

(ख) तथ्यों और निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण जिसके आधार पर विदेशी विषयक अधिकरण अपने विनिश्चय पर पहुंचा है।

(16) विदेशी विषयक अधिकरण का अन्तिम आदेश अभिलेखों को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर दिया जाएगा।

(17) इस आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विदेशी विषयक अधिकरण को मामलों के समयबद्ध रीति से शीघ्रता से निपटान के लिये अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

20. एकपक्षीय आदेश को रद्द करने की प्रक्रिया--(1) जहां विदेशी विषयक अधिकरण ने कार्यवाही प्राप्तकर्ता के उपस्थित न होने के लिए एकपक्षीय आदेश पारित किया है और उसके पास विदेशी विषयक अधिकरण के समक्ष उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण है तो वह कार्यवाही प्राप्तकर्ता के आवेदन पर, यदि उक्त आदेश के तीस दिन के भीतर फाइल किया जाता है, अपने एकपक्षीय आदेश को निरस्त कर सकेगा और तदनुसार मामले का विनिश्चय कर सकेगा।

(2) कार्यवाही प्राप्तकर्ता यह दावा करते हुए कि वह विदेशी नहीं है, विदेशी अधिकरण के निर्णय का पुनवलोकन करने के लिए तीस दिन के भीतर विदेशी विषयक अधिकरण को आवेदन फाइल कर सकेगा और विदेशी विषयक अधिकरण ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपने निर्णय का पुनवलोकन कर सकेगा और गुण-दोष के आधार पर मामले का विनिश्चय कर सकेगा।

(3) इस आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विदेशी विषयक अधिकरण को समयबद्ध रीति से मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्तियां होंगी।

21. विदेशी विषयक अधिकरण की शक्तियां- निम्नलिखित विषयों के संबंध में विदेशी विषयक अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां और भारतीय नागरिक सुरक्षा साहित्य, 2023 (2023 का 46) के अधीन प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:-

(क) किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना और लागू करना और शपथ पर उसकी अन्वेषण करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की आवश्यकता होती है;

(ग) किसी भी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(घ) कार्यवाही करने वाले को व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष उपस्थित होने का निदेश देना;

(ङ) यदि वह उसके समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है तो कार्यवाही करने वाले के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करना।

पहली अनुसूची

[पैरा 11(1), (3) और (4) देखें]

विदेशियों द्वारा पर्वतारोहण अभियानों के लिए खोली गई पर्वत चोटियों की सूची

1. हिमाचल प्रदेश

क्र. सं.	चोटी का नाम	ऊंचाई (मीटर में)	देशान्तर	अक्षांश	टिप्पणियां
1	सीबी-9	6108	77 27'	32 34'	मनाली-बटाल (आरएच)-बीसी-सी-I, सी-II, सी-III और शिखर सम्मेलन का प्रयास
2	सीबी-10 (तारा पहाड़)	6227	77 28'	32 36'	मनाली-छत्रु-छोटा दारा-बटाल (आरएच)-बीसी-सी-आई, सी-II और शिखर सम्मेलन का प्रयास
3	सीबी-11	5955	77 31'	32 22'	यथोक्त
4	सीबी-12	6258	77 33'	32 20'	यथोक्त
5	सीबी-13	6164	77 33'	32 21'	यथोक्त
6	सीबी-13क	6240	77 33'	32 21'	यथोक्त
7	सीबी-14	6078	77 34'	32 32'	यथोक्त
8	सीबी-16	5825	77 31'	32 19'	- यथोक्त -
9	सीबी-20	5695	77 31'	32 24'	- यथोक्त -
10	सीबी-22	5720	77 33'	32 24'	मनाली-छत्रु-छोटा दारा-बटाल (आरएच)-लिंडर-बीसी-सी-I, सी-II और शिखर सम्मेलन का प्रयास
11	सीबी-26	5840	77 29'	32 20'	बटाल (आरएच)-बी सी-सी-I, सी-II, और शिखर
12	सीबी-31	6096	77 28'	62 25'	मनाली-छत्रु-छोटा दारा-बटाल (आरएच)-बीसी-सी-आई, सी-II और शिखर सम्मेलन
13	सीबी-32	5639	77 27'	32 26'	मनाली-छत्रु-छोटा दारा-बटाल (आरएच)-बीसी-सी-आई, सी-II और शिखर सम्मेलन
14	सीबी-33 (मीनार)	6185	77 29'	32 28'	बटाल (आरएच)-डेक्का-बीसी-सी-आई, सी-II, और शिखर
15	सीबी-34	5635	77 31'	32 28'	- यथोक्त -

16	सीबी-35	5568	77 30'	32 29'	मनाली- बटाल (आरएच)-बीसी-सी-आई, सी-II, और शिखर
17	अनाम चोटी	5510	77 17'	32 28'	मनाली- दारचा-जिस्पा-बीसी-सी-I, सी-II, और शिखर सम्मेलन
18	अनाम चोटी	5852	77 14'	32 28'	- यथोक्त -
19	अनाम चोटी	5765	77 09'	32 33'	मनाली- दारचा-जिस्पा-बीसी-सी-I, सी-II, और शिखर सम्मेलन
20	अनाम चोटी	5860	77 38'	32 15'	मनाली- ग्राम्फो छतरू (आरएच)- जीतंग-पुटीरुनिशिगरी (बीसी)-सी-आई और शिखर सम्मेलन का प्रयास
21	देवाचन	6265	77 33'	32 14'	कुल्लू-मणिकरण (आरएच)-तोसाराम-बेस कैंप-सी-I, सी-II और सी-III और शिखर सम्मेलन का प्रयास
22	पापसुरा	6440	77 33'	32 12'	मनाली (आरएच)-मणिकरण (आरएच)-तोस (गांव)-शमशी-सारी-बीसी-एबीसी-सी-I, सी-II और सी-III और शिखर सम्मेलन का प्रयास
23	व्हिटे सेल (धरणासुर)	6420	77 34'	32 12'	कुल्लू (आरएच)-मणिकरण (आरएच)-तोस (गांव)-शमशी-सारी-बीसी-एबीसी-सी-I, सी-II और सी-III और शिखर सम्मेलन का प्रयास
24	अनाम चोटी	5790	77 38'	32 14'	मनाली-ग्राम्फो- छतरू (आरएच)-धोता दारा-बीसी, सी-आई, सी-II और शिखर सम्मेलन का प्रयास
25	टाइगर टोथ	5980	77 36'	32 18'	मनाली-बटाल बेस कैंप-I, सी-II, सी-III और शिखर सम्मेलन का प्रयास

26	अनाम चोटी	5360	77 47'	32 08'	बताल-कराचा- बारासिगरी ग्लेशियर-सी- I, सी-II और शिखर सम्मेलन का प्रयास
27	अनाम चोटी	6090	77 42'	32 14'	ग्रामफो-छोटा दारा-बटाल (एचआर) - करचा नाला- बीसी-सी-आई, सी-II और शिखर सम्मेलन का प्रयास
28	इंद्र सैन	6223	77 24'	31 12'	मनाली (आरएच)- जगतसुख (आरएच)- अछिका-सेरी-तैंता-बीसी- सी-I, सी-II, सी-III, सी- IV और शिखर सम्मेलन का प्रयास
29	देव टिब्बा	6001	77 23'	32 11'	मनाली (आरएच)- जगतसुख (आरएच)- अछिका-सेरी-तैंता-बीसी- सी-आई, सी-II, (दुहंगन कोल), सी-III, और शिखर सम्मेलन का प्रयास
30	अलीरत्नानी टिब्बा	5470	77 26'	32 05'	कुक् (आरएच)-मलान्सा बीसी-सी-आई, सी-II और शिखर सम्मेलन का प्रयास
31	हनुमान टिब्बा	5932	77 02'	32 20'	मनाली-सोलांग-धुंडी (आरएच)-ब्यास कुन बीसी-एबीसी
32	मनाली	5640	77 03'	32 24'	धुंडी (आरएच)-ब्यास कुंड (बीसी)-सी-I, सी-II और शिखर सम्मेलन का प्रयास
33	मेकरबेह	6069	77 04'	32 25'	मंडी-पलचान-धुंडी (आरएच)- ब्यास कुंड बीसी-I, सी-II, सी-III और शिखर प्रयास
34	शिकारबेह	6200	77 03'	32 23'	- यथोक्त -
35	बेहाली जोत	6245	76 35'	32 50'	उदयपुर (आरएच) - मडगांव- बीसी (ताल गो) सी- II और शिखर सम्मेलन का प्रयास

36	मेंथोसा	6443	76 42'	32 55'	मनाली - रोहतांग दर्रा- तांडी- उदयपुर (आरएच) - नियारमल्लाह- उर्गोस्विल (अंतिम विला) बीसी-सी-I, सी-II और शिखर सम्मेलन का प्रयास
37	फवरंग	6172	76 47'	32 44'	मनाली - रोहतांग दर्रा- तांडी- उदयपुर (आरएच) - नियारमल्लाह- उर्गोस्विल (अंतिम विला) बीसी-सी-I, सी-II और शिखर सम्मेलन का प्रयास
38	अनाम चोटी	5472	76 47'	31 44'	मनाली-तांडी-उदयपुर- मियार नाला-करपट बीसी-सी-I, सी-II और शिखर सम्मेलन का प्रयास
39	अनाम चोटी	5598	76 48'	32 46'	-करना-
40	अनाम चोटी	5666	76 50'	62 45'	उर्गस- चालिरी वन- गंगूपानाला- बीसी-सी-I, सी-II फिर शिखर सम्मेलन
41	खरचा पर्वत	6270	77 43'	32 21'	मनाली बटाल (आरएच) - बीसी-एबीसी-सी-आई- शिखर शिविर और शिखर सम्मेलन का प्रयास
42	सांत्वना शिखर		77 23'	32 12'	कुल्लू- मनाली (आरएच)- चिक्का- चंद्रताल- बीसी- सी-II फिर शिखर सम्मेलन
43	हनुमान टिब्बा I	5932	77 02'	32 21'	मनाली-धुंडी- ब्यासकुंड- बीसी-सी-I, सी-II फिर शिखर
44	हनुमान टिब्बा-II	5366	77 02'	32 21'	-करना-
45	कुल्लू मकालू	6350			पर्वतारोहण
46	कुल्लू पुमोरी	6481			पर्वतारोहण
47	कुल्लू ईगर	5646			ट्रेकिंग
48	डिबिबोकरी पिरामिड	6408			पर्वतारोहण

49	फ्लूटेड पीक	6137			पर्वतारोहण
50	हुन्गुमा	5952			ट्रेकिंग
51	पिरामिड	6036			पर्वतारोहण
52	पार्वती दक्षिण	5806			ट्रेकिंग
53	रुबल कांग	6150			पर्वतारोहण
54	शिगरी पर्वत	6526			पर्वतारोहण
55	हिम शंकु	6311			पर्वतारोहण
56	सो डोम	5980			ट्रेकिंग
57	शितिधर	5294			ट्रेकिंग
58	आशागिरी	6100			पर्वतारोहण
59	सीबी-17	5875			ट्रेकिंग
60	सीबी-18	5915			ट्रेकिंग
61	सीबी-19	5890			ट्रेकिंग
62	सीबी -48 (तमू)	5904			ट्रेकिंग
63	सीबी-49 (तिलकल्हाड़)	5964			ट्रेकिंग
64	सीबी-50	6096			पर्वतारोहण
65	सीबी-52	5944			ट्रेकिंग
66	सीबी-53 (शर्मिली)	6000			पर्वतारोहण
67	सीबी-54	6069			पर्वतारोहण
68	सीबी-55 (शर्मिली)	5956			ट्रेकिंग
69	सीबी-57 (टपुगिरी)	5791			ट्रेकिंग
70	केआर-1	6157			पर्वतारोहण
71	केआर-2	6187			पर्वतारोहण
72	केआर-3	5154			ट्रेकिंग
73	केआर-4	6340			पर्वतारोहण
74	केआर -5 (सीबी - 7)	6258			पर्वतारोहण
75	केआर-6	5187			ट्रेकिंग
76	केआर-7	6096			पर्वतारोहण
77	केआर-8	6005			पर्वतारोहण
78	लाल्ना	6265			पर्वतारोहण
79	एम-1	5730			ट्रेकिंग
80	एम-2	5925			ट्रेकिंग
81	एम-3	5925			ट्रेकिंग

82	एम-4 (मुलकिला)	6571			पर्वतारोहण
83	एम-5	6370			पर्वतारोहण
84	एम-6	6182			पर्वतारोहण
85	एम-7 (तारागिरी)	6279			पर्वतारोहण
86	एम-8	6096			पर्वतारोहण
87	एम-9	5736			ट्रेकिंग
88	एम-10	5852			ट्रेकिंग
89	मुलकिला (एम 04)	6517			पर्वतारोहण
90	टी -1	5669			ट्रेकिंग
91	टी -2	6035			पर्वतारोहण

2. जम्मू -कश्मीर

क्र. सं.	चोटी का नाम	ऊंचाई (मीटर में)	देशान्तर	अक्षांश	टिप्पणियां
1	बोबांग	5971	76.133333	33.416667	लेह-हरपास-किजई नाला- नागदल झील-सी- I, सी-II शिखर सम्मेलन का प्रयास
2	तनक पीक	5948	76.1	33.8	कारगिल- (बीसी)-शंकु-पैन (आर एच) से बीसी-सी-I, सी-II फिर शिखर सम्मेलन
3	यान	6230	76.066667	33	लेह (आरएच)- ग्या- ग्यामरनाला- कोंगमारुले- निमलिंग- शांग- शांगफी- बीसी-एबीसी फिर शिखर
4	ईगर	6001	76.096295ई	35.578045एन	पर्वतारोहण
5	सेरो किश्तवार	6200	76.5769ई	33.3489एन	पर्वतारोहण
6	चोमोचिओर	6322	76.6500ई	33.3500एन	पर्वतारोहण
7	कैलाश	6400	75.6827ई	32.8700एन	पर्वतारोहण
8	सोने का समय	6200	76.349111ई	33.351966एन	पर्वतारोहण
9	उमासी	6020	किश्तवाड़ और जांस्कर के बीच ग्रेट हिमालयन रेंज में स्थित उमासी ला दर्रा		पर्वतारोहण
10	कालीधार, किश्तवाड़ (शिखर)	5900	76.6000ई	33.3500एन	ट्रेकिंग
11	डंडागोपोरम	6100	76.5900ई	33.3600एन	पर्वतारोहण
12	फवरंग मंगलवार	6062	76.3167ई	33.3333 एन	पर्वतारोहण
13	टुपेंदु I	5700	75.8300ई	33.3500एन	ट्रेकिंग
14	टुपेंदु II	5600	75.8300ई	33.3500एन	ट्रेकिंग

15	किशतवाड शिवलिंग	6040	76.4456ई	33.3841एन	पर्वतारोहण
16	बरमाह पीक	5813	76.051111ई	33.506389एन	ट्रेकिंग

3.. लहाख

क्र. सं.	चोटी का नाम	ऊंचाई (मीटर में)	देशान्तर	अक्षांश	टिप्पणियां
1	नुन	7135	76.016667	33.983333	(पूर्व-लेह-कारगिल-पानीखर-गुलमोटोंगस (आरएच)-बीसी-सी-I, सी-II, सी-III और शिखर सम्मेलन का प्रयास
2	कुन	7077	76.05	34.016667	लेह-कारगिल-पनिखर-गुलमोटोंगस (आरएच)-बीसी-सी-I, सी-II, सी-III और शिखर सम्मेलन का प्रयास
3	शिखरिका	6955	76.083333	34.016667	- यथोक्त -
4	हवाईट निडिल	6420	76.066667	33.983333	लेह-कारगिल-पनिखर-गुलमोटोंगस (आरएच)-बीसी-सी-I, सी-II, सी-III और शिखर सम्मेलन का प्रयास
5	जेड -2 शिखर	6152	76.2	33.783333	कारगिल- गुलमोटोंगास-रिंगडूम- लालुंग ग्लेशियर-बीसी-सी-I, सी-II फिर शिखर
6	जेड -3 हिल	6270	76.316667	33.7	कारगिल- गुलमोटोंगास-हसकीरा ग्लेशियर- सी- I, सी-II फिर शिखर
7	जेड-आई	6155	76.133333	33.933333	- यथोक्त -
8	जेड-8	6050	76.333333	33.833333	-यथोक्त-
9	कांगडी	5508	77.466667	34	लेह- स्टॉक विल- (आरएच)-बीसी-एबीसी-सी-I, सी-II और शिखर सम्मेलन का प्रयास
10	कांगडी	5900	77.483333	33.95	-करना-

11	शिंंगुगो		76.966667	33.466667	कारगिल- पदम- पिब्टिंग सी-आई, सी-II फिर शिखर सम्मेलन
12	लिंगसरमो	6955	76.081111	34.1725	(क्रम संख्या 15 से 118 - मानचित्र संख्या) 52-ख-04
13	रुंगोफार्का	6395	76.059444	34.034722	52-बी-04
14	तेचाफार्का	6495	76.093889	34.033611	52-बी-04
15	भाग 6148	6148	76.035556	34.046944	52-बी-04
16	शफात 1	6800	76.085278	34.011111	52-बी-04
17	फोटोकसर	6080	76.796667	34.028333	52-बी-16
18	शफात 1	6302	76.111944	33.943889	52-सी-01
19	शफात 3	6155	76.139444	33.937778	52-सी-01
20	चिलिंग 1	6349	76.162222	33.811944	52-सी-01
21	चिलिंग 2	6253	76.166667	33.819167	52-सी-01
22	लालुंग 1	6243	76.236944	33.759722	52-सी-01
23	लालुंग 2	6126	76.200556	33.783333	52-सी-01
24	लालुंग 3	6157	76.2	33.756111	52-सी-01
25	भाग 6048	6048	76.254722	33.798889	52-सी-05
26	भाग 6197	6197	76.262778	33.784444	52-सी -05
27	भाग 6274	6274	76.254722	33.817778	52-सी-05
28	भाग 6485	6485	76.339167	33.756667	52-सी-05
29	भाग 6067	6067	76.261111	33.768333	52-सी-05
30	भाग 6035	6035	76.305	33.7	52-सी-06
31	भाग 6000	6000	76.403056	33.646389	52-सी-06
32	भाग 6125	6125	76.365556	33.630833	52-सी-06
33	भाग 6080	6080	76.365556	33.621944	52-सी-06
34	भाग 6240	6240	76.371667	33.584444	52-सी-06
35	हाग्शु 1	6515	76.465278	33.545833	52-सी-06
36	भाग 6035	6035	76.479722	33.526389	52-सी-06
37	भाग 6157	6157	76.816389	33.417222	52-सी-15
38	भाग 6162	6162	76.808889	33.398333	52-सी-15
39	भाग 6184	6184	76.807222	33.389722	52-सी-15
40	भाग 6431	6431	76.813056	33.385833	52-सी-15
41	भाग 6436	6436	76.794722	33.367222	52-सी-15

42	भाग 6028	6028	76.859167	33.371667	52-सी-15
43	भाग 6107	6107	76.785556	33.334444	52-सी-15
44	भाग 6022	6022	76.768889	33.328333	52-सी-15
45	भाग 6018	6018	77.069722	33.760278	52-जी-01
46	भाग 6126	6126	77.017222	33.030556	52-जी-01
47	भाग 6034	6034	77.050278	33.790278	52-जी-02
48	भाग 6075	6075	77.209167	33.641944	5 2-जी-02
49	भाग 6120	6120	77.150833	33.68	52-जी-02
50	भाग 6150	6150	77.176389	33.6625	52-जी-04
51	भाग 6020	6020	77.037222	33.156667	52-जी-04
52	भाग 6140	6140	77.030833	33.133333	52-जी-04
53	भाग 6165	6165	77.015556	33.1225	52-जी-04
54	भाग 6045	6045	77.038333	33.113611	52-जी-04
55	भाग 6080	6080	77.0025	33.105278	52-जी-04
56	भाग 6070	6070	77.033889	33.075833	52-जी-04
57	भाग 6180	6180	77.008056	33.073611	52-जी-04
58	भाग 6005	6005	77.052222	33.009722	52-जी-04
59	भाग 6060	6060	77.086944	33.015278	52-जी-05
60	भाग 6125	6121	77.441944	33.986667	52-जी-09
61	कंग्यात्से 2	6210	77.551944	33.7525	52-जी-10
62	कंग्यात्से 1	6401	77.558333	33.748056	52-जी-10
63	भाग 6090-1	6069	77.581667	33.738611	52-जी-10
64	भाग 6265	6265	77.574444	33.725278	52-जी-10
65	भाग 6340	6340	77.561111	33.717778	52-जी-10
66	भाग 6280	6280	77.550833	33.725278	52-जी-10
67	भाग 6090-2	6090	77.538333	33.74	52-जी-10
68	भाग 6225	6225	77.591389	33.702222	52-जी-10
69	भाग 6000	6000	77.584722	33.711944	52-जी-10
70	भाग 6190	6190	77.570278	33.706389	52-जी-1 0
71	भाग 6230	6230	77.545833	33.704167	52-जी-10
72	भाग 6170	6170	77.546944	33.673333	52-जी-10
73	भाग 6025	6025	77.580556	33.673056	52-जी-10
74	भाग 6040	6040	77.583333	33.645278	52-जी-10
75	भाग 6030	6030	77.595556	33.625278	52-जी-10
76	भाग 6120	6120	77.598333	33.61	52-जी-10
77	ख्याम 1	6101	77.655278	33.503056	52-जी-10

78	ख्याम 2	6100	77.664444	33.523333	52-जी-11
79	ज़ारा 1	6130	77.6325	33.490833	52-जी-11
80	ज़ारा 2	6000	77.635278	33.476111	52-के-03
81	भाग 6163	6163	78.220278	33.489167	52-के-03
82	भाग 6045	6045	78.120278	33.353611	52-के-03
83	भाग 6126	6126	78.123333	33.341667	52-के-03
84	भाग 6029	6029	78.155833	33.337778	52-के-03
85	भाग 6148	6148	78.1075	33.329167	52-के-03
86	भाग 6230	6230	78.158889	33.322778	52-के-03
87	भाग 6335	6335	78.18	33.330278	52-के-03
88	भाग 6280	6280	78.184167	33.313611	52-के-03
89	भाग 6385	6385	78.198611	33.306667	52-के-03
90	भाग 6205	6205	78.212222	33.293611	52-के-03
91	भाग 6260	6260	78.215278	33.281667	52-के-03
92	भाग 6090	6090	78.223333	33.300833	52-के-03
93	भाग 6045	6045	78.243333	33.305833	52-के-03
94	भाग 6050	6050	78.239167	33.286667	52-के-04
95	भाग 6069	6069	78.016944	33.07	52-के-04
96	भाग 6069	6069	78.003056	33.096111	52-के-04
97	भाग 6012	6012	78.1325	33.2325	52-के-04
98	भाग 6150	6150	78.121389	33.198333	52-के-04
99	भाग 6135	6135	78.141667	33.190833	52-के-04
100	भाग 6205	6205	78.163333	33.181389	52-के-04
101	भाग 6030	6030	78.174167	33.192778	52-के-04
102	भाग 6005	6005	78.178333	33.204444	52-के-04
103	भाग 6100	6100	78.077222	33.012778	52-के-04
104	भाग 6060	6060	78.095	33.069167	52-के-04
105	भाग 6080	6080	78.105833	33.058611	52-के-04
106	भाग 6000	6000	78.116667	33.070833	52-के-04
107	भाग 6035	6035	78.161667	33.058333	52-के-04
108	भाग 6105	6105	78.154167	33.044722	52-के-04
109	भाग 6380	6380	78.174444	33.138333	52-के-04
110	भाग 6355	6355	78.174444	33.124444	52-के-04
111	भाग 6020	6020	78.196667	33.143889	52-के-04
112	भाग 6130	6130	78.204167	33.159722	52-के-04
113	भाग 6094	6094	78.205278	33.1625	52-के-04

114	भाग 6100	6100	78.216667	33.123889	52- के-04
115	गोलापकांग	5900	77 28' 33"	33 57' 35"	ट्रैकिंग

4. सिक्किम

क्र.सं.	चोटी का नाम	ऊंचाई (मीटर में)	देशांतर	अक्षांश	टिप्पणियां
1	जोपोनो	5936			ट्रैकिंग
2	कोक्तांग	6147			पर्वतारोहण
3	नेपाल चोटी	7168			पर्वतारोहण
4	पिरामिड चोटी	7123			पर्वतारोहण
5	तालुंग	7349			पर्वतारोहण
6	तालुंग दक्षिण 1	6970			पर्वतारोहण
7	तालुंग दक्षिण 2	7388			पर्वतारोहण
8	तम्बू चोटी	7365			पर्वतारोहण
9	तिंगचेनखांग	6010			पर्वतारोहण
10	ज़ेम् चोटी	7038			पर्वतारोहण

5. उत्तराखंड

क्र. सं.	चोटी का नाम	ऊंचाई (मीटर में)	देशांतर	अक्षांश	टिप्पणियां
1	पनवालीद्वार	6663	79 57'	30 17'	सोंग (आरएच) - खाती-द्वालियो-फुकिया-बेस कैंप-सी- 1, सी- 2 और शिखर प्रयास
2	नंदा देवी पूर्व	7437	79 59'	30 21'	मुनस्यारी (आरएच)-नीलामी- हैमर (विलेज)-नसनपट्टी भदेलिगवार बीसी-सी- 1, सी- 2, सी- 3 और शिखर प्रयास
3	नंदाखाट	6545	79 58'	30 18'	भरारी (आरएच) लोहारखेत- खाती - द्वाली-(ग्राम)- बेस कैंप सी- 1, सी- 2, सी- 3 शिखर प्रयास
4	मृगथुनि	6855	79 49'	30 17'	भरारी (आरएच) लोहारखेत- खाती - द्वाली-

					(ग्राम)- बेस कैम्प सी- 1 , सी- 2, सी- 3 शिखर प्रयास
5	मैकटोली	6803	79 52'	30 16'	-वही-
6	त्रिशूल- 1	7120	79 46'	30 18'	घाट (आरएच) - सितेल- सुतोल- लाट कोपरी- चांदनिया घाट- बीसी-सी- 1 , सी- 2, सी- 3 शिखर प्रयास
7	त्रिशूल-2	6690	79 46'	30 17'	-वही-
8	त्रिशूल- 3	6008	79 48'	30 17'	-वही-
9	थरकोट	6099	79 49'	30 13'	भरारी (आरएच) - खाती वाया ढाकुरी- जटोलिया- सुंदर- डूंगा- सुखरन गुफा बीसी सी- 1 , सी- 2, सी- 3 और शिखर प्रयास
10	नंदा घुंटी	6390	79 43'	30 20'	देबल (आरएच) - हेमकुंड (बीसी) - रूपकुंड - रोंटी सैडल के माध्यम से नंदा घुंटी का प्रयास
11	रोंटी	6063	79 43'	30 22'	-वही-
12	भनोती	5645	79 50'	30 12'	भरारी (आरएच) - लोहारखेत - ढाकुरी - खाती (ग्राम) - बेस कैम्प - सी-1, सी-2, और शिखर प्रयास
13	बलजुरी	5922	79 57'	30 15'	भरारी (आरएच) - लोहारखेत - ढाकुरी - खाती (ग्राम) - बेस कैम्प - सी- 1 , सी- 2, सी- 3 और शिखर प्रयास
14	नंदा कोट	6861	80 04'	30 16'	सोंग (आरएच) लोहारखेत- ढाकुरी दर्रा- खाती (ग्राम)- द्वाली- सी- 1 , सी- 2 और शिखर प्रयास
15	लेप्साधुरा	5913	80 04'	30 14'	-वही-
16	अनाम चोटी		77 16'	32 32'	डोम्फू गोम्पा (आरएच) - खोकसरनाईटेम्पला दर्रा (बीसी) - सीआई शिखर प्रयास
17	बारा सुखा		78 36'	31 04'	उत्तरकाशी- डूंगा- पुरा (आरएच)- टांगुआ- रानिया- बेस कैम्प- सी- 1 और सी- 2 तब शिखर प्रयास

18	रुदुगौरा	5819	78 52'	30 56'	गंगोत्री (दाहिना) - तपोवन (बीसी) तब चोटी
19	स्वर्गट्रोहिनी- 1	6252	78 30'	31 06'	देहेरदुन- नटवार और संसिरी (आरएच) - तियल-ओसाला-बीसी, बीसी- 1 और शिखर प्रयास
20	स्वर्गट्रोहिनी- 2	6278	78 30'	31 06'	-वही-
21	बंदरपुंची	6320	78 33'	31 00'	-वही-
22	श्रीकांत	6133	78 48'	30 57'	उत्तरकाशी- भटवारी- सुक्की (आरएच) - हासिल- तेल गाद नाले के साथ- बीसी- 1 , बीसी- 2 और शिखर प्रयास
23	गंगोत्री- 1	6672	78 50'	30 55'	गंगोत्री (आरएच) - रुदुआगिरा नाला-बीसी-सी- 1 -सी- 2 और शिखर प्रयास
24	गंगोत्री- 2	6590	78 51'	30 54'	-वही-
25	गंगोत्री- 3	6577	78 52'	30 48'	-वही-
26	जोनाली	6632	78 51'	30 52'	-वही-
27	जोगिन- 1 (6465)	6465	78 55'	60 52'	-वही-
28	जोगिन- 2	6342	78 55'	30 53'	गंगोत्री (आरएच) - रुदुआगिरा नाला-बीसी-सी- 1 -सी- 2 और शिखर प्रयास
29	जोगिन- 3	6166	78 56'	30 52'	-वही-
30	थलयसागर	6964	78 59'	30 51'	-वही-
31	मांडा	6568	79 00'	59 55'	गंगोत्री-चिरबास-बीसी- 1 , बीसी- 2 और शिखर प्रयास
32	मेरु उत्तर	6450	79 02'	59 52'	गंगोत्री-चिरबास-गौमुख-तपोवन बीसी- 1 , बीसी- 2 और शिखर प्रयास
33	मेरु पूर्व	6261	79 02'	29 52'	-वही-
34	कीर्ति स्तम्भ	6270	79 01'	30 49'	गंगोत्री-चिरबास-गौमुख-बीसी- 1 , बीसी- 2 और शिखर प्रयास
35	भटेखुंटा	6578	79 02'	30 48'	गंगोत्री-चिरबास-गौमुख-बीसी- 1 , बीसी- 2 और शिखर प्रयास
36	केदारनाथ	6962	79 04'	30 47'	-वही-

37	केदार गुंबद	6830	79 04'	30 48'	गंगोत्री-चिरबास-गौमुख-बीसी- 1 , बीसी- 2 और शिखर प्रयास
38	करचाकुंड	6632	79 07'	30 46'	-वही-
39	शिवलिंग	6543	79 04'	30 52'	गंगोत्री-गौमुख-नंदावन-बीसी- 1 , बीसी- 2 और शिखर प्रयास
40	भगीरथ-1	6856	79 09'	30 51'	-वही-
41	भागीरथ-2	6512	79 09'	30 51'	-वही-
42	भगीरथ- 3	6454	79 08'	30 52'	गंगोत्री-गौमुख-नंदावन-बीसी- 1 , बीसी- 2 और शिखर प्रयास
43	वासुकी परहाल	6792	79 10'	30 52'	-वही-
44	सतोपकंठ	7075	79 13'	30 50'	-वही-
45	सुदर्शन पर्वत	6507	79 05'	30 58'	गंगोत्री -गौमुख-बीसी- 1 , बीसी- 2 और शिखर प्रयास
46	चंगावांग	6866	79 55'	30 29'	जोशीमठ (आरएच)- लता विलेज बेल्टा- लताखार्क-डिब्रूगट्टा- ऊपरी देवडी-बीसी- सी- 1 , सी- 2 और शिखर प्रयास
47	नीलकंठ	6597	79 24'	30 43'	जोशीमठ- बद्रीनाथ- बीसी- 1 और शिखर प्रयास
48	चौखम्बा- 1	7886	79 15'	30 43'	जोशीमठ- माना गांव-बीसी- 1 , बीसी- 2, बीसी- 3 और शिखर प्रयास
49	चौखम्बा-2	7070	79 15'	30 43'	-वही-
50	चौखम्बा- 3	6995	79 15'	30 43'	-वही-
51	चौखम्बा- 4	6854	79 15'	30 43'	-वही-
52	चांगुच	6322	80 02	30 17'	भरारी (आरएच)- लोहारखेत- खाती- द्वाली (गांव)- बेस कैम्प-सी- 1 , सी- 2 और शिखर प्रयास
53	स्टॉक कांगड़ी	6150	77 28'	33 59'	ट्रेकिंग लेह-स्टोक गांव (आरएच)- टीसी- 2-बीसी-सी- 1 -सी- 2 और शिखर प्रयास
54	लद्दाखी (हि.प्र.)		77 03'	32 22'	ट्रेकिंग

					धुंडी(आरएच)-व्यास कुंड - (बीसी) एबी-सी- 1 - और शिखर प्रयास
55	फ्रेंडशिप	6284	77 12'	32 23'	ट्रेकिंग धुंडी(आरएच)-व्यास कुंड - (बीसी) एबी-सी- 1 - और शिखर प्रयास
56	अवालांचे	6443			पर्वतारोहण
57	भृगुपंथ	6772			पर्वतारोहण
58	भृगु पर्वत	6041			पर्वतारोहण
59	कालीढांग	6375			पर्वतारोहण
60	यान्बुक	5953			ट्रेकिंग
61	रतनगारियन	5858			ट्रेकिंग
62	चिरबास पर्वत	6529			पर्वतारोहण
63	महालय पर्वत	5947			ट्रेकिंग
64	रुदुगैरा	5819			ट्रेकिंग
65	बालाकुन	6471			पर्वतारोहण
66	बन्दरपंच पश्चिम	6102			पर्वतारोहण
67	बेउतरहोली	6352			पर्वतारोहण
68	बेतारथोली दक्षिण	6318			पर्वतारोहण
69	भग्न्यु	5706			ट्रेकिंग
70	गरुर पर्वत	6504			पर्वतारोहण
71	गरूर फोर्कड	6267			पर्वतारोहण
72	कालंका	6931			पर्वतारोहण
73	पारबती पर्वत	6257			पर्वतारोहण
74	पावागढ	5306			ट्रेकिंग
75	पूर्वीदुनागिरि	6489			पर्वतारोहण
76	ऋषि पहाड़	6992			पर्वतारोहण
77	नारायण पर्वत	5965			ट्रेकिंग
78	नर पर्वत	5855			ट्रेकिंग
79	काला चोटी	6387			पर्वतारोहण
80	डांगथल	6050			पर्वतारोहण
81	देवीस्थान- 1	6678			पर्वतारोहण
82	देवीस्थान- 2	6529			पर्वतारोहण
83	देवटोली	6788			पर्वतारोहण
84	दूनागिरी	7066			पर्वतारोहण
85	हरदेओल	7151			पर्वतारोहण

86	जान्हुकोट	6806			पर्वतारोहण
87	कीर्ति स्तम्भ	6270			पर्वतारोहण
88	लम्चिर	5662			ट्रेकिंग
89	लामचिर दक्षिण	5209			ट्रेकिंग
90	लैंपक साउथ	6324			पर्वतारोहण
91	महालय पर्वत	5947			ट्रेकिंग
92	मांडा- 1	6568			पर्वतारोहण
93	मांडा- 2	6529			पर्वतारोहण
94	मांडा- 3	6510			पर्वतारोहण
95	नंदा भनार	6269			पर्वतारोहण
96	नंदा खानी	6029			पर्वतारोहण
97	नंदा लपाक	5782			ट्रेकिंग
98	पंचाचूली- 1	6355			पर्वतारोहण
99	पंचाचूली- 2	6904			पर्वतारोहण
100	पंचाचूली- 3	6312			पर्वतारोहण
101	पंचाचूली- 4	6334			पर्वतारोहण
102	पंचाचूली-5	6437			पर्वतारोहण
103	ऋषि कोट	6236			पर्वतारोहण
104	एसएएफ मीनल	6911			पर्वतारोहण
105	श्रीकंठ	6133			पर्वतारोहण
106	सुमेरु पर्वत	6330			पर्वतारोहण

दूसरी अनुसूची

[अनुच्छेद 11(2) देखिए]

भारत में पर्वत चोटियों पर चढ़ने के लिए पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र
अभियान ब्यौरे

अभियान ब्यौरे		टिप्पणियां
1.	चढ़ाई जाने वाली चोटी का नाम और ऊंचाई (निर्देशांक सहित) वैकल्पिक चोटी और ऊंचाई (निर्देशांक सहित) (यदि जिस चोटी के लिए अनुज्ञा मांगी जा रही है वह बुकिंग के लिए उपलब्ध नहीं है)	
2.	आयोजक का निवास/नागरिकता/मूल देश	
3.	रूट चार्ट	(भौगोलिक मानचित्र)
4.	तारीख सहित यात्रा कार्यक्रम(मूल देश से शुरू)	संलग्न करें
5.	नेता की विशिष्टियां	संलग्न रूपविधान में दें
6.	दल के सदस्यों की विशिष्टियां	संलग्न रूपविधान में दें
7.	प्राप्त बीमा कवर	हां/नहीं

8.	क्या अभियान के नेता और सदस्य भारतीय दूतावास/उच्चायोग या मिशन में ई-पर्वतारोहण वीजा के लिए आवेदन करेंगे या नियमित कागज़ी वीजा के लिए आवेदन करेंगे? नियमित कागज़ी वीजा के लिए आवेदन करने की स्थिति में, निकटतम भारतीय दूतावास/उच्चायोग या मिशन का नाम और स्थान जहाँ वीजा के लिए आवेदन जमा किया जाएगा (पता और संपर्क ब्यौरे स्पष्ट रूप से उपदर्शित करें)	
9.	भाड़े का हैंडलिंग अभिकरण (नाम, पता और ईमेल आईडी)	
10.	दल में चिकित्सक / पराचिकित्सकीय	हां/नहीं
11.	भारत लाए जा रहे पर्वतारोहण उपस्कर, कपड़े, खाद्य सामग्री और अन्य सामान	संलग्न करें
12.	व्यापक रूप से अभियान के वित्तपोषण का स्रोत	
13.	क्या वॉकी-टॉकी सेट या अन्य समान उपस्कर भारत लाए जाएँगे? यदि हां, तो इसके लिए आवेदन पत्र भरकर संलग्न करें।	

(नेता के हस्ताक्षर)

पता:

नाम

तारीख

नेता और दल के सदस्यों की विशिष्टियां (नेता और दल के प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग)

पास पोर्ट साइज
फोटो

1.	नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	राष्ट्रीयता	
4.	पता	
5.	दूरभाष नंबर और ईमेल आईडी	
6.	जन्म तिथि और आयु	
7.	उपजीविका/वृत्ति	
8.	पासपोर्ट संख्या	
9.	पासपोर्ट जारी करने का स्थान और तारीख	
10.	पासपोर्ट की समाप्ति तारीख	

11.	निकटतम संबंधी का नाम और पता/दूरभाष नंबर/ईमेल आईडी (क्षति/मृत्यु की स्थिति में सूचित करने के लिए)	
12.	पर्वतारोहण और ट्रेकिंग का अनुभव (ब्यौरे संलग्न करें)	

तारीख:

(हस्ताक्षर)

स्थान:

नाम

टिप्पण :-

(1) भारत में किसी अभियान के आगमन की प्रस्तावित तारीख से कम से कम नब्बे दिन पहले भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान को निम्नलिखित पते पर आवेदन भेजा जा सकेगा :-

मानद सचिव, भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान, 6, बेनिटो जुआरेज़ रोड, आनंद निकेतन के सामने, नई दिल्ली - 110021, भारत।

ईमेल: d 1 rector@ 1 ndmount.org

(2) प्रत्येक विदेशी अभियान दल के साथ एक संपर्क अधिकारी अवश्य होना चाहिए, चाहे वह चोटी संरक्षित/निर्बंधित क्षेत्र में या खुले क्षेत्र में हो।

(3) अन्य सभी निबंधनों और शर्तों के लिए, कृपया भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान की वेबसाइट [www. 1 ndmount.org](http://www.1ndmount.org) देखें।

तीसरी अनुसूची

[अनुच्छेद 14 (1) देखिए]

संरक्षित क्षेत्र

क्रमसं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संरक्षित क्षेत्र
1	अरुणाचल प्रदेश	राज्य का संपूर्ण क्षेत्र
2.	हिमाचल प्रदेश	जैसा कि परिशिष्ट में उपदर्शित किया गया है
3.	जम्मू - कश्मीर	आंतरिक रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच, जैसा कि परिशिष्ट में उपदर्शित किया गया है
4.	लद्दाख	आंतरिक रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच, जैसा कि परिशिष्ट में उपदर्शित किया गया है
5.	मणिपुर	राज्य का संपूर्ण क्षेत्र
6.	मिजोरम	राज्य का संपूर्ण क्षेत्र
7.	नगालैंड	राज्य का संपूर्ण क्षेत्र

8.	राजस्थान	जैसा कि परिशिष्ट में उपदर्शित किया गया है
9.	सिक्किम	राज्य का संपूर्ण क्षेत्र
10.	उत्तराखंड	आंतरिक रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बीच, जैसा कि परिशिष्ट में उपदर्शित किया गया है

तीसरी अनुसूची का परिशिष्ट

हिमाचल प्रदेश

क्र.सं.	गांव का नाम	राजस्व गांव का नाम	पटवार मंडल	तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<u>किन्नोर जिला</u>				
1.	कुन्नू	कुन्नू	थांगी	मूरंग
2.	चारंग	चारंग	थांगी	मूरंग
3.	नेसांग	नेसांग	कानम	पूह
4.	डुबलिंग	डुबलिंग	पूह	पूह
5.	डबलिंग	डबलिंग	पूह	पूह
6.	खाब	खाब	नामगिया	पूह
7.	नामगिया	नामगिया	नामगिया	पूह
8.	ताशिगांग	ताशिगांग	नामगिया	पूह
9.	का	का	यांगथांग में लियो	पूह
10.	यांगथांग	यांगथांग	यांगथांग में लियो	पूह
11.	मलिंग	मलिंग	यांगथांग में लियो	पूह
12.	नाको	नाको	यांगथांग में लियो	पूह
13.	मलिंग डोगरी	मलिंग डोगरी	यांगथांग में लियो	पूह
14.	चेंगो	चेंगो	चेंगो	पूह
<u>लाहोल और स्पीति जिला</u>				
1.	धनखड	शाम	-	स्पीति
2.	शिचिलिंग	शाम	-	स्पीति
3.	पोह	शाम	-	स्पीति
4.	ताबो	शाम	-	स्पीति
5.	लारी	शाम	-	स्पीति
6.	समदो	शाम	-	स्पीति
7.	कोरिक	शाम	-	स्पीति
8.	ग्यू	ग्यू	-	स्पीति
9.	प्रक्षेपण	ग्यू	-	स्पीति

जम्मू - कश्मीर

आंतरिक रेखा	भू-निर्देशांक	
	देशांतर	अक्षांश
उस बिंदु से जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (तत्कालीन NH 1A) पंजाब/जम्मू - कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सीमा को पार करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (तत्कालीन NH 1A) के साथ जम्मू तक - रणवीर नहर मार्ग के साथ अखनूर तक - चिनाब नदी के साथ चिनाब और अंस नदी के संगम तक - चिनाब के साथ पूर्व की ओर चंद्रभागर से बिछियारीर के साथ इसके संगम तक	74° 46' 11"	30° 10' 45"
रियासी/अनंतनाग जिले की सीमा तक-	74°34' 30"	33° 30' 28"
पीरपंजाल रेंज से बिंदु 12947 तक निम्नलिखित -	74° 31' 52"	33° 32' 28"
खाबी की गली -	74° 31' 39"	33° 33' 56"
पीरपंजाल पास-	74° 31' 16"	33° 37' 54"
बिंदु 15569 -	74° 32' 29"	33° 40' 52"
छोटी गली -	74° 30' 19"	33° 42' 56"
बिंदु 15560 -	74° 28' 04"	30° 45' 02"
बिंदु 15357-	74° 27' 15"	33° 45' 26"
असधार मार्ग गली -	74° 27' 45"	33° 46' 21"
नूरपुर गली -	74° 27' 32"	33° 47' 52"
पथरी की गली -	74° 26' 30"	33° 49' 22"
बिंदु 14756 -	74° 25' 38"	33° 49' 48"
खारा की गली -	74° 24' 45"	33° 51' 29"
चिन्नाम गली -	74° 24' 18"	33° 52' 50"
जामियां वाली गली -	74° 24' 04"	33° 55' 29"
चोरपंजाल दर्रा -	74° 21' 53"	33° 57' 27"
देवहारी गली -	74° 20' 22"	33° 57' 14"

बिंदु 12890 -	74°19' 02"	33° 57' 27"
नीलकंठ गली -	74°18' 33"	33° 59' 02"
बिंदु 13780 -	74°18' 38"	34°00' 06"
ज़जसूर गली -	74° 18' 07"	34° 01' 04"
गुरदली गली -	74° 16' 52"	34° 01' 44"
खानपथरी -	74° 15' 48"	34° 03' 02"
मारपथरी -	74° 15' 42"	34° 04' 03"
बिंदु 11385 -	74° 15' 20"	34° 04' 39"
वहां से उत्तर दिशा में उड़ी-बरमुला सीमा के साथ -	74° 15' 55"	34° 08' 09"
सड़क सीमा क्रॉसिंग तक -	74° 16' 26"	34°10' 54"
ज़ैनपुर गांव -	74°15' 55"	34° 11' 16"
उत्तर दिशा में ट्रैक के साथ बिंदु 8000 तक -	74° 16' 39"	34° 13' 34"
सड़क के साथ सड़क जंक्शन तक -	74° 16' 45"	34° 14' 33"
सड़क के साथ रीड ट्रैक जंक्शन तक -	74° 16' 48"	34° 15' 35'
दक्षिण पश्चिम में कनवारन और ट्रैक क्रॉसिंग तक ट्रैक के साथ -	74° 16' 28"	34° 15' 25"
उत्तर दिशा में कनवारन के साथ नाला जंक्शन तक -	74° 16' 48"	34° 16' 19"
गांव टाकियाकामाशाह -	74° 16' 21"	34° 16' 36"
पश्चिम की ओर पज़लपुर गांव की ओर जाने वाली पटरी के साथ -	74° 13' 59"	34° 17' 25"
उत्तर की ओर शेखपुरा गांव की ओर जाने वाली पटरी के साथ -	74° 13' 55"	34° 19' 36"
- ड्रांगसो गांव की ओर जाने वाली पटरी के साथ -	74° 12' 50"	34° 20' 35"
सड़क मार्ग से जंक्शन की ओर जाने वाली पटरी के साथ -	74° 12' 45"	34° 21' 11"
-ट्रैक से सड़क मार्ग जंक्शन तक -	74° 11' 46"	34° 23' 53"
नाला जंक्शन --	74° 11' 37"	34° 24' 02"
नाला के साथ पश्चिम की ओर नाला जंक्शन तक -	74° 10' 10"	34° 24' 03"
उत्तर की ओर ट्रैक के साथ बिंदु 6288 तक -	74° 09' 38"	34° 25' 35"
ट्रैक के साथ गांव ककरोसा तक -	74° 09' 47"	34° 27' 03"
पश्चिम की ओर ट्रैक के साथ गांव त्रात पुरा तक -	74° 06' 55"	34° 28' 00"
ट्रैक जंक्शन -	74° 06' 21"	34° 28' 22"

उत्तर पूर्व से शुलूर गांव तक -	74° 07' 02"	34° 29' 08"
सड़क जंक्शन तक ट्रैक के साथ -	74° 07' 13"	34° 29' 58"
लावोदुर्ग के साथ उत्तर की ओर इसके स्रोत तक -	74° 07' 50"	34° 33' 58"
रिज लाइन के साथ बिंदु 10639 तक -	74° 07' 55"	34° 34' 39"
पुताखान गली -	74° 07' 13"	34° 29' 58"
नवां गली -	74° 11' 16"	34° 36' 22"
कनारी खान -	74° 12' 05"	34° 37' 35"
प्वाइंट 11824 -	74° 12' 20"	34° 38' 45"
सफा वाली गली -	74° 13' 48"	34° 37' 57"
कृपाणवाली -	74° 15' 00"	34° 38' 12"
अथम गली -	74° 17' 09"	34° 38' 29"
प्वाइंट 11443 -	74° 21' 49"	34° 39' 04"
पुरा गली -	74° 23' 19"	34° 39' 07"
ज़िमिंदरखान -	74° 25' 20"	34° 37' 14"
नाव गली -	74° 27' 19"	34° 36' 19"
ग्रैंग -	74° 31' 53"	34° 34' 57"
प्वाइंट 11485 -	74° 31' 33"	34° 33' 20"
प्वाइंट 11472 -	74° 32' 08"	34° 31' 40"
प्वाइंट 11397 -	74° 34' 16"	34° 30' 44"
पैदल मार्ग से प्वाइंट 7106 तक -	74° 36' 50"	34° 29' 01"
पिंगराथारी के माध्यम से -	74° 35' 34"	34° 30' 26"
और गांव खोरी -	74° 36' 09"	34° 29' 47"
बोनार के साथ-साथ मदमतिर के साथ इसके जंक्शन तक -	74° 39' 09"	34° 26' 46"
उत्तर-पूर्व में मदमतिर के साथ विजुनार के साथ इसके जंक्शन तक -	74° 42' 07"	34° 29' 35"
मदमत्ती नदी के किनारे नाला जंक्शन तक -	74° 50' 52"	34° 30' 02"

सलनई नाला और शोनशफॉल नाला के साथ-साथ -	74° 56' 27"	34° 27' 51"
वहां से पूर्व की ओर सोगपुटधर रिज की शेष रेखा के साथ बिंदु 13750 तक -	75° 05' 38"	34° 24' 10"
नाला जंक्शन -	75° 08' 13"	34° 24' 26"
लोकुत बैब नार तक -	75° 11' 55"	34° 22' 40"
शिखर रेखा के साथ उत्तर की ओर बिंदु 14670 तक -	75° 12' 12"	34° 28' 11"
प्वाइंट 15630 -	72° 17' 45"	34° 21' 54"
बीओटी कुलांगन दर्रा तक जिला सीमा का अनुसरण -	75° 17' 45"	34° 22' 35"
कारू.उपशी, उपशी से 1 मील दक्षिण तक - तत्पश्चात् उपशी मनाली रोड के पश्चिम से लद्दाख/ हिमाचल प्रदेश सीमा पर चुमिकगिआर्सा तक ।		
<u>अनुबंध</u>		
उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, किसी विदेशी को निम्नलिखित की अनुमति होगी: -		
(क) पंजाब/जम्मू और कश्मीर की सीमा और जम्मू-अखनूर रोड के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (पूर्ववर्ती एनएच 1ए) पर यात्रा करने की अनुमति, परंतु वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करे: -		
(i) जम्मू से अखनूर तक उसकी संचलन रणबीर नहर के पश्चिम की सड़क तक ही सीमित रहेगी; और		
(ii) जम्मू और अखनूर कस्बों में उसकी संचलन इन कस्बों की नगरपालिका की सीमाओं तक ही सीमित रहेगी।		
(ख) तिया तिमोसगाम, रिज़ोंग, लिकिर, फ्यांग, शंकर, चेमरे, ग्या, मिरू और रुमत्से स्थित गोम्पाओं का दौरा ऐसी शर्तों के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जाएं, अधीन रहकर करेगा 1		

लद्दाख

आंतरिक रेखा की स्थिति	भू-निर्देशांक	
	देशान्तर	अक्षांश
प्वाइंट 14850 - कारगिल जिले में ज़ोजिला पास के शून्य बिंदु के पास स्थित है	75°24' 08"	34°17'17"
प्वाइंट 15310 - कारगिल जिले के ज़ोजिला पास के पास कहीं स्थित है	75° 27' 09"	34°17' 08"
लेह जिले के लेह शहर में ज़ोजिला -द्रास-कारगिल-बोदखरबू-खलसी-नीमू लेह सड़क से एक मील उत्तर की तरफ (क्षेत्र के अंतर्गत गोम्पा है) में या तक कहीं स्थित है	77° 35' 09"	34° 11' 00"

राजस्थान

क्रं संख्या	राजस्व जिला	तहसील	ब्लॉक	उपमंडल	तहसील के संरक्षित क्षेत्र का विवरण
जिला : जैसलमेर					
1	जैसलमेर	पोकरण	-	-	एनएच 11 के केवल पश्चिम दिशा में स्थित क्षेत्र
2	जैसलमेर	जैसलमेर	-	-	तहसील जैसलमेर का "वह भू भाग जो एनएच 11 के पश्चिम में स्थित है" एवं वह भू भाग जो जैसलमेर शहर मुख्यालय से तहसील फतेहगढ़ की सीमा तक गुजर रहे एनएच 68 के पश्चिम दिशा ओर स्थित है "
3	जैसलमेर	रामगढ़	-	-	सम्पूर्ण तहसील रामगढ़
4	जैसलमेर	सम	-	-	सम्पूर्ण तहसील सम
5	जैसलमेर	फतेहगढ़	-	-	तहसील फतेहगढ़ का एनएच 68 के केवल पश्चिम दिशा में स्थित क्षेत्र
जिला : बीकानेर					
1	बीकानेर	खाजूवाला	खाजूवाला	खाजूवाला	-
2	बीकानेर	छतरगढ़	खाजूवाला / पूगल	छतरगढ़	-
3	बीकानेर	पूगल	पूगल	पूगल	-
4	बीकानेर	बजू	बजू	बजू	-
जिला : श्रीगंगानगर					
1	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	1. हिन्दुमलकोट 2. मिर्जेवाला 3. चूनावढ़	-
2	श्रीगंगानगर	श्रीकरणपुर	श्रीकरणपुर	केसरिसिंघपुर	-
3	श्रीगंगानगर	पदमपुर	पदमपुर	1. बींझबायला 2. रिडमलसर	-
4	श्रीगंगानगर	गजसिंहपुर	पदमपुर	-	-
5	श्रीगंगानगर	रायसिंहनगर	रायसिंहनगर	1. मुकलावा 2. समेजा कोठी	--
6	श्रीगंगानगर	अनूपगढ़	अनूपगढ़	-	-
7	श्रीगंगानगर	घडसाना	घडसाना	-	-
8	श्रीगंगानगर	रावला	घडसाना	365 हैड	-

9	श्रीगंगानगर	श्रीविजयनगर	श्रीविजयनगर	जैतसर	-
10	श्रीगंगानगर	सूरतगढ़	सूरतगढ़	राजियासर (एनएच 62 के केवल पश्चिम दिशा में स्थित क्षेत्र)	-
जिला : बाड़मेर					
1	बाड़मेर	सेडवा	सेडवा	फागलिया	-
2	बाड़मेर	धनाऊ	चोहटन	-	-
3	बाड़मेर	चोहटन	चोहटन	लीलसर	-
4	बाड़मेर	रामसर	रामसर	-	-
5	बाड़मेर	गडरारोड	गडरारोड	हरसाणी	-
6	बाड़मेर	शिव	शिव (एनएच 68 के पश्चिम का भाग)	-	-
जिला : फलौदी					
1	फलौदी	बाप	बाप	नोख	-
जिला : जालोर					
1	जालोर	सांचोर	सांचोर	-	-
2	जालोर	चितलवाना	चितलवाना	-	-
जिला : बालोतरा					
1	बालोतरा	पचपदरा	बालोतरा	बालोतरा	ग्राम: सांभरा रकबा: 400-0, 2614-10, 272-00, 248-00,756-10, 575-02, 47-00, 375-00, 17-08 पूर्व खसरा- 302/ 280 व अन्य राजस्व ग्राम मंडापुरा सीमा लगती है पश्चिम खसरा - 283/164, 291/29 उत्तर खसरा – अन्य राजस्व ग्राम चंपावेरी

					के खसरान 32/125, 33/126, 34/127, 181/34, 219/34, 182/34, 220/34, 221/34 दक्षिण खसरा - 302/280
2	बालोतरा	पचपदरा	बालोतरा	बालोतरा	ग्राम – साजियाली, रुपजा, कंठवाडा रकबा – 561-07, 06- 18, 1148-12, 09- 00, 04-14, 50- 00, 04-05, 584- 14, 04-15, 06-17, 1698-04, 03-11, 407-08, 03-07, 582-03, 08-16, 625-00 पूर्व खसरा – अन्य राजस्व ग्राम सांभरा पश्चिम खसरा – 151/1, 109/1, 107/1, 110/1, 158/100, 160/100, 162/2, 163/8, 165/8, 166/8, 179/9, 180/9, 99, 98, 97, 91, 95, 94, 125/18, 170/20, 88, 195/84, 194/84, 193/84, 192/84, 105, 197/32, 126/31,

					127/31, 80, 145/79, 147/49, 148/79, 149/79, 78, 58, 178/77, 177/77, 76, 70, 71, 72, 73 उत्तर खसरा – अन्य राजस्व ग्राम चंपाबेरी दक्षिण खसरा – अन्य राजस्व ग्राम सांभरा
3	बालोतरा	पचपदरा	बालोतरा	बालोतरा	ग्राम – वरिया, वरेचा रकबा – खसरा नंबर. 333/125 रकबा 0.2291 हेक्टेयर पूर्व खसरा – 249/125 पश्चिम खसरा – 249/125 उत्तर खसरा – 123, 247/122 दक्षिण खसरा – 249/125

नोट : संरक्षित क्षेत्रों का उपर्युक्त विवरण निम्नलिखित अपवादों के अधीन है: -

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62, 11 और 68 पर स्थित शहरों, कस्बों और गांवों के परिधीय क्षेत्र, जिनसे होकर यह गुजरता है;

(ख) सूरतगढ़, बीकानेर, फलोदी, पोकरण, जैसलमेर, बाड़मेर और सांचौर की शहर सीमाएँ।

(ग) जैसलमेर जिले में निम्नलिखित गांव और पर्यटन के आकर्षण के क्षेत्र:

अमरसागर, लुद्रवा, कुलदरा, बड़ा बाग (काली पट्टी), अकाल, सैम, उंडा और खुहड़ी

उत्तराखण्ड

आंतरिक रेखा की स्थिति	भू-निर्देशांक	
	देशान्तर	अक्षांश
सिंगा घाटी से -	78° 18' 48"	31° 16' 47"
रिज के साथ प्वाइंट 5424 मीटर तक-	78° 20' 30"	31° 16' 48"
उसी रिज के साथ 5890 मीटर की ऊंचाई तक -	78° 29' 30"	31° 11' 45"
उसी रिज के साथ इसके जंक्शन तक पर्वत स्कंध -	78° 37' 37"	31° 13' 20"
वहां से दक्षिण की ओर पर्वत स्कंध के साथ बिंदु 5959 मीटर तक -	78° 36' 30"	31° 08' 55"
छोटे शीर्ष तक जाने वाली पर्वत स्कंध के साथ -	78° 40' 25"	31° 07' 14"
इसके बाद यह एक छोटे से पर्वत स्कंध के साथ नीचे उतरती है और बिंदु - पर सियान गाड से मिलती है	78° 39' 10"	31° 05' 50"
सियान गाड के बाएं किनारे से भागीरथी नदी के साथ इसके जंक्शन तक -	78° 48' 20"	31° 02' 20"
भागीरथी नदी के दाहिने किनारे से होते हुए एक छोटे नाले के साथ इसके संगम तक -	78° 47' 47"	31° 02' 33"
फिर नाला के साथ उत्तर की ओर ऊपर की ओर 4515 मीटर की ऊंचाई तक -	78° 48' 21"	31° 04' 04"
शीर्ष तक जाने वाले पर्वत स्कंध के साथ -	78° 51' 26"	31° 05' 30"
इसके बाद यह रिज के साथ दक्षिण की ओर मुड़कर 4573 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है -	78° 52' 27"	31° 01' 40"
फिर यह नदी की चोटी के साथ नीचे उतरकर जध गंगा तक जाती है -	78° 52' 40"	31° 03' 04"
नदी पार करें और 4710 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ें -	78° 55' 05"	31° 01' 10"
रिज के साथ पूर्व की ओर काली ढांग तक 6373 मीटर -	79° 00' 35"	31° 02' 33"
चिरबास पर्वत की ओर पहाड़ी के किनारे-	79° 03' 15"	31° 02' 12"
रिज के साथ-साथ मत्री तक, 6721 मीटर -	79° 04' 25"	31° 00' 52"
श्री कालीश तक पर्वतमाला के साथ, 6932 मीटर -	79° 10' 46"	31° 01' 04"
दक्षिण पूर्व की ओर एक रिज के साथ 6796 मीटर की दूरी तक-	79° 12' 40"	30° 57' 58"
मानाधार के साथ इसके जंक्शन तक , रिज के साथ दक्षिण की ओर चौखंबा III तक। 6974 मीटर -	79° 16' 35"	30° 43' 30"
रिज के साथ पूर्व की ओर नीलकण-था तक 6596 मीटर -	79° 24' 35"	30° 43' 45"
रिज के साथ प्वाइंट 5965 मीटर तक -	79° 26' 35"	30° 45' 35"

इसके बाद यह अलकनंदा नदी तक पहाड़ी से नीचे उतरती है। नदी को पार करके 5564 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है -	79° 29' 55"	30° 45' 45"
रिज के साथ प्वाइंट 5485 मीटर तक -	79° 37' 42"	31° 46' 41"
पटावन तक रिज के साथ, 6127 मीटर -	79° 42' 27"	30° 45' 15"
रिज के साथ हाथी पर्वत तक, 6727 मीटर -	79° 42' 20"	30° 41' 07"
रिज के साथ दक्षिण की ओर 5780 मीटर की ऊंचाई तक-	79° 43' 40"	30° 37' 37"
रिज के साथ छोटे शीर्ष तक -	79° 45' 28"	30° 38' 10"
इसके बाद यह धौली गंगा तक उतरती है -	79° 48' 20"	30° 36' 15"
धौली गंगा के किनारे बिंदु तक -	79° 47' 00"	30° 35' 25"
वहां से ऊपर की ओर जाने वाली चढ़ाई तक -	79° 50' 06"	30° 35' 00"
चांगबांग की ओर पहाड़ी के किनारे -	79° 66' 26"	30° 30' 00"
रिज के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर 6992 मीटर की ऊंचाई तक -	79° 59' 50"	30° 32' 24"
रिज के साथ दक्षिण की ओर भामछू तक, 20680 फीट -	80° 01' 2"	30° 26' 58"
उसी रिज के साथ बिंदु तक -	79° 59' 17"	30° 19' 00"
दक्षिण-पूर्व की ओर रिज के साथ नंदाकोट तक, 22510 फीट -	80° 03' 37"	30° 17' 10"
लासपा डीएच आरए तक, 19850 फीट -	80° 05' 08"	30° 13' 24"
दक्षिण-पूर्व की ओर रिज के साथ कागुडी भेल तक -	80° 09' 25"	30° 10' 28"
उत्तर-पूर्व की ओर नाला जंक्शन तक 6820 फीट -	80° 15' 10"	30° 11' 20"
वहां से उत्तर की ओर रिज के साथ 16286 फीट की ऊंचाई तक -	80° 14' 55"	30° 17' 40"
रिज के साथ बिंदु बम्बा धुरा तक, 20780 फीट -	80° 17' 00"	30° 26' 29"
दक्षिण-पूर्व की ओर रिज के साथ 19630 फीट की ऊंचाई तक -	80° 22' 52"	30° 22' 10"

वहां से पहाड़ी के किनारे-किनारे 18470 फीट ऊंचे रालम धुरा तक -	80° 23' 14"	30° 18' 05"
राजरम्बा तक रिज के साथ, 21446 फीट -	80° 22' 34"	30° 15' 15"
रिज के साथ दक्षिण की ओर 22650 फीट की ऊंचाई तक -	80° 25' 40"	30° 1 ½' 52"
रिज के साथ बिंदु 21120 फीट तक -	80° 28' 24"	30° 1 ½' 25"
रिज के साथ दक्षिण की ओर 19920 फीट की ऊंचाई तक -	80° 27' 50"	30° 09' 34"
रिज के साथ बिंदु 18940 फीट तक -	80° 29' 00"	30° 07' 14"
रिज के साथ बैसी खाल तक 12830 फीट-	80° 28' 34"	30° 03' 26"
रिज के साथ दक्षिण की ओर शीर्ष तक -	80° 26' 10"	29° 57' 40"
वहां से दक्षिण की ओर बिंदु 12492 फीट -	80° 23' 58"	29° 56' 06"
वहां से दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बिंदु तक जाएं -	80° 23' 05"	29° 47' 05"
यह काली नदी और गोरी गंगा नदी के संगम तक उतरती है।	80° 22' 46"	29° 45' 00"
भारत नेपाल सीमा पर		

चौथी अनुसूची

[पैरा 14(1) देखें]

प्रतिबंधित क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य	प्रतिबंधित क्षेत्र
1.	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	केंद्र शासित प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र
2.	तिब्बती बस्तियाँ, मठ, संस्थान, भिक्षुणी विहार और अन्य स्थान, जैसा कि नीचे दिया गया है:	

(अ) तिब्बती बस्तियाँ

अरुणाचल प्रदेश

1. तेनजिंगांग/बोमडिला - पीओ तेनजिंगांग/कालकाटांग, जिला।

वेस्ट कामेंग, पिन-790002

2. डार्जिलिंग / टिंडोलोंग / तेजू , पीओ । टिंडोलोंग, तेजू, जिला। लोहित,
पिन - 792001
3. चॉफ्रिलिंग/मियाओ - पीओ मियाओ, जिला। चांगलांग, पिन-792122
हिमाचल प्रदेश
4. फुंटसोक्लिंग/ डलहौजी - मध्य बकरोटा, डलहौजी पिन - 176304, जिला। चंबा
5. तिब्बती चोलसम इंडस्ट्रियल सोसायटी / भूपुर गांव भूपुर, पिन- 173025, तहसील पांवटा साहिब, जिला। सिरमौर
6. शाक्य तिब्बती समाज / पुरुवाला - गांव - गोरखवाला, डाकघर - पुरुवाला, पिन - 173025, तहसील पांवटा साहिब, जिला। सिरमौर
7. खाम कथोक तिब्बती सोसायटी / सातौन - ग्राम सातौन, पिन - 173029, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
8. तिब्बती गैपावेलफेयर सोसाइटी / कामराव - ग्राम तिलोरधर, कामराव, तहसील कामराव, जिला। सिरमौर
9. डोलंजी - डोलंजी, तहसील पच्छाद, जिला। सिरमौर
10. पालरबलिंग/डोभी - डाकघर डोभी, फाटी, तहसील मांडलगढ,
पिन-175129, जिला कुल्लू
11. यांगचेनगात्सेलिंग/ पंथाघाटी-लोअर पंथाघाटी, पिन- 171009, शिमला
12. ताशीलिंग/ पंडोह - मुहालसियोगपंडोह, जिला। मंडी
13. नांगचेन/ चौंतडा - डाकघर चौंतरा, तहसील जोगिंदरनगर, पिन-175015, जिला। मंडी
14. ताशीजोंग - पीओ ताशीजोंग, तहसील बैजनाथ, पिन-176125, जिला। कांगड़ा

15. बीर - पीओ बीर, तहसील बैजनाथ, पिन-176125, जिला कांगड़ा

16. डीगे डिवीजन - पीओ बीर, तहसील बैजनाथ, पिन-176125, जिला कांगड़ा

लद्दाख

17. सोनमलिंग टीआर बस्ती निम्नलिखित चार स्थानों पर स्थित है - लेह, पिन- 194101।

(i) चोगलामसर (4 शिविर)

(ii) एग्लिंग

(iii) स्पितुक

(iv) चांगथांग क्षेत्र

(आठ समूह/शिविर) निम्नानुसार हैं:-

(a) बिलासलसा

(b) कोयुल

(c) डुंगती

(d) न्योमा

(ई) सुमडो

(च) समद

(ऋ)लामसंगन्याक

(लृ) सामान्य क्षेत्र: हैनली

सिक्किम

18. खुनफेनलिंग/रबांगला, पीओ रबांगला, पिन - 737139,

जिला दक्षिण सिक्किम

उत्तराखंड

19. डेकाइलिंग/सहस्रधारा - पोकुल्हान, पिन - 248001, पीएस राजपुर, सहस्रधारा रोड, जिला। देहरादून

20. धोंडुप्लिंग / क्लेमेंट टाउन – ग्राम असरोड़ी, क्लेमेंट टाउन, पिन – 248002, जिला देहरादून

21. लिंगत्सांग / मांडूवाला - मांडूवाला, पिन 248007, पीएस सहसपुर, जिला। देहरादून

22. डोएगुए- यूग्येलिंग/लखनवाला/हरबर्टपुर (3 कैम्प), लखनवाला, डाकघर जस्सोवाला, जिला देहरादून

(क) लखनवाला

(b) भालूवाला

(ग) खेड़ा

23. ढोंडेनलिंग / मंगलूवाला / नालापानी - नालापानी, पिन - 248001, पीएस रायपुर, जिला। देहरादून

24. तिब्बती नेहरू मेमोरियल फाउंडेशन / चंद्रभानी / दोखम धारावाली पीएस पटेल नगर, पिन - 248001, जिला।

देहरादून

कर्नाटक

25. डोएगुलिंग/मुंडगोड तातिहल्ली, पिन - 581411, तालुक मुंडगोड,

जिला उत्तर कन्नड़

26. ढोंडेनलिंग/कोल्लेगल - तालुक कोल्लेगल, पिन - 571457, जिला चामराजनगर

27. तिब्बती डिकी लासो/बायलाकुप्पे – डाकघर बायलाकुप्पे, पिन – 571104, पेरियापटना तालुक, जिला मैसूर

28. लुगसंगसमडुपलिंग / बायलाकुप्पे - पीओ बायलाकुप्पे, पिन - 571104, पेरियायापटना तालुक, जिला। मैसूर

29. रबगैलिंग/हंसूर - पीओ गुरुपुरा, पिन-571188, हंसूर तालुक, जिला। मैसूर

पश्चिम बंगाल

30. तिब्बती शरणार्थी स्वयं सहायता केंद्र (टीआरएसएचसी), दार्जिलिंग, हिलसाइड,
27, वेस्ट लेबोंग कार्ट रोड, दार्जिलिंग

31. ताशीलिंग/सोनादा, दार्जिलिंग, पेट्रोल पंप, पीओ सोनादा,
पीएस जोरे बंगला, जिला दार्जिलिंग

ओडिशा

32. फुंटसोक्लिंग , पीओ । चंद्रगिरि, पिन - 761017, जिला। गजपति

छत्तीसगढ़

33. फेंडेलिंग/मैनपाट- रोपाखार, पीओ कमलेश्वरपुर,
पिन - 497127 , जिला । सरगुजा

महाराष्ट्र

34. नांग्येलिंग/भंडारा - ति. ग्राम बुटाई, तहसील गोठानगांव,
पीएस केशोरी, जिला गोंदिया

(आ) तिब्बती मठों

उत्तराखंड

1. ताशीकाइल मठ, तिब्बती कॉलोनी, क्लेमेंट टाउन, देहरादून
2. माइंडरोलिंग मठ/ न्यिंगमापा महाबुद्ध विहार, तिब्बती कॉलोनी, क्लेमेंट टाउन, देहरादून
3. ड्रिकुंगकाग्यू जंगचुपलिंग मठ, सहस्रधारा रोड, कुल्हान, देहरादून
4. न्नोर पाल इवार्नचोडेन मठ, मांडूवाला, देहरादून

हिमाचल प्रदेश

5. नामग्याल मठ, मैकलोडगंज, जिला कांगड़ा
6. कीर्ति जेपा दत्संग (कीर्ति मठ), मैकलोडगंज, जिला कांगड़ा
7. डिप त्से चोकलिंग मठ, मैकलोडगंज, जिला कांगड़ा
8. नेचुंग मठ, गैंगचेनक्वियशोंग, धर्मशाला, जिला कांगड़ा
9. गादोंगसालजेडलिंगमठ, गैंगचेनक्वियशोंग, धर्मशाला, जिला कांगड़ा
10. ग्युतो तांत्रिक मठ, सिद्धबाड़ी, जिला कांगड़ा
11. चाइम गत्सलिंग मठ, नोरबुलिंगका/सिद्धपुर, जिला कांगड़ा
12. शालू मठ/ड्रबटेनपेडेमजेपेगट्सल इंस्टीट्यूट, त्रिलोकपुर, जिला कांगड़ा
13. पालपुंगशेरबलिंग मठ, भट्ट, जिला कांगड़ा
14. निंगमापा मठ, रिवालसर, जिला मंडी
15. ढाकपो शेड्रपलिंग मठ, काईस, जिला कुल्लू
16. जोनांग थाकटेन फुनस्टॉक चोलिंग मठ, संजौली, जिला शिमला

(इ) संस्थान, भिक्षुणी विहार और अन्य स्थान**कर्नाटक**

1. अतीशा चैरिटेबल ट्रस्ट (शुग्देन देवता के अनुयायियों द्वारा बसाई गई भूमि), मैसूर, एसवाई.नं. 187/188, अरासिनाकेरे गांव, मारबल्ली पोस्ट, जयापुरा होबली, मैसूर – 570008

उत्तराखंड

2. 225, तिब्बती महिला केंद्र, राजपुर रोड, देहरादून
3. शाक्य केंद्र, राजपुर रोड, देहरादून

हिमाचल प्रदेश

4. गाडेनफोडंग (डीएल का निजी कार्यालय), मैकलोडगंज, जिला कांगड़ा
5. बौद्ध द्वंद्व्वात्मक संस्थान, मैकलोडगंज, जिला कांगड़ा
6. जामयांग चोलिंग ननरी, मैकलोडगंज, जिला कांगड़ा

7. गडेन चोलिंग ननरी , मैक्लोडगंज , जिला कांगड़ा
8. केंद्रीय तिब्बती प्रशासन परिसर , गंगचेनकिशोंग , धर्मशाला, जिला कांगड़ा
9. तिब्बती वर्क्स और अभिलेखागार पुस्तकालय, गंगचेनकिशोंग, धर्मशाला, जिला कांगड़ा
10. मेन-त्से-खांग, गंगचेनकिशोंग, धर्मशाला, जिला कांगड़ा
11. अपर टीसीवी स्कूल, नड्डी, जिला कांगड़ा
12. तुशिता ध्यान केंद्र, धर्मकोट, मैक्लोडगंज, जिला कांगड़ा
13. धम्म सिखरा विपश्यना केंद्र, धर्मकोट, मैक्लोडगंज, जिला कांगड़ा
14. शुगसेब ननरी, गरोह
15. डोलमलिंग ननरी, सिद्धपुर, जिला कांगड़ा
16. तिब्बती संस्कृति अकादमी, जीवनी एवं अनुसंधान केंद्र, पुस्तकालय, नोरबुलिंगका संस्थान का प्रशासनिक कार्यालय और कार्यशाला, सिद्धपुर, जिला कांगड़ा
17. तिब्बती हस्तशिल्प केंद्र, नोरबुलिंगका/सिद्धपुर, जिला कांगड़ा
18. जोनांग दुखोर जोरद्रुक गोमद्रा चोखोर लिंग/ बौद्ध एजुकेशनल सोसाइटी, सिद्धपुर, जिला कांगड़ा
19. उच्च तिब्बती अध्ययन महाविद्यालय, सारा, जिला कांगड़ा
20. कर्मा द्रुबग्युथरगे लिंग ननरी, त्रिलोकपुर, जिला कांगड़ा
21. डोंग्युगत्सल लिंगननरी , पाधिआरकर , पालमपुर, जिला कांगड़ा
22. टीसीवी स्कूल, गोपालपुर, जिला कांगड़ा
23. ज़िगर द्रुकपा काग्यू बौद्ध अध्ययन एवं ध्यान संस्थान, रिवालसर, जिला मंडी
24. जंगडोकपालरी और रिट्रीट सेंटर, रिवालसर, जिला मंडी
25. ड्रिकुंगकाग्यूड धर्म मंदिर कल्याण सोसायटी, रिवालसर, जिला मंडी
26. टीसीवी स्कूल, सुजा, जिला मंडी
27. देचेन चोकोरलिंग महावीर ट्रस्ट, शरबाई, भुंतर, जिला कुल्लू
28. पालपुंगकमत्संगयेशीराबयेलिंग ननरी, बजौरा, जिला कुल्लू
29. नगग्युरसमतेनचोखोरलिंग, पांगन, मनाली, जिला कुल्लू

टिप्पण :

(1) निम्नलिखित 8 तिब्बती बस्तियों में जाने वाले विदेशियों को इस आदेश के पैरा 14 में उल्लिखित परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी गई है, इस शर्त के अध्याधीन कि संबंधित तिब्बती बस्ती को नियमों के नियम 17 में यथाविहित प्ररूप 3 में विदेशी की आगमन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से स्थानीय एसआईबी इकाई और संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) / विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) को अनुबंधित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करनी होगी:-

तिब्बती बस्तियाँ –

छत्तीसगढ़ राज्य में मैनपाट (सरगुजा जिला) और फेंडेलिंग (सरगुजा जिला)।

महाराष्ट्र राज्य में भंडारा (अब गोंदिया) (गोंडिया जिला)।

ओडिशा राज्य में चंद्रगिरि, टैंकिलिपदर, लाबरसिंग, जीरांगो और महेंद्रगढ़ (सभी गजपति जिले में)।

(2) इस अनुसूची में सम्मिलित बस्तियों/मठों/संस्थानों में दिन के समय बिना परमिट के जाने की अनुमति होगी, जैसा कि इस आदेश के पैरा 14 में उल्लेख किया गया है, परंतु बस्तियों/मठों/संस्थानों को आगंतुक का विवरण, नाम, माता-पिता, जन्म तारीख, राष्ट्रियता, पासपोर्ट नंबर और वीजा नंबर संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ)/विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) को प्रस्तुत करना होगा।

(3) इस अनुसूची में सम्मिलित संस्थानों में अध्ययन के लिए आने वाले विदेशी छात्रों को 3 वर्ष की वैधता वाला परमिट जारी किया जा सकता है, परंतु संबंधित संस्थान छात्र की वास्तविकता प्रमाणित कर दे।

(4) अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में, जहाँ संपूर्ण क्षेत्र इस आदेश के अंतर्गत आता है, इस अनुसूची में सम्मिलित तिब्बती बस्तियों, मठों, संस्थाओं, भिक्षुणियों के विहारों और अन्य स्थानों पर जाने के लिए परमिट प्रदान करना, इन राज्यों में जाने के लिए अपेक्षित परमिट के विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि विदेशियों को इन राज्यों में तिब्बती बस्तियों, मठों, संस्थाओं, भिक्षुणियों के विहारों और अन्य स्थानों पर जाने से पहले राज्य के अन्य क्षेत्रों से होकर यात्रा करनी होगी। ऐसे मामलों में, विदेशियों को इन राज्यों में जाने के लिए अलग से संरक्षित क्षेत्र परमिट भी प्राप्त करना होगा।

पांचवीं अनुसूची

[पैरा 14(3) और 15(2) देखें]

संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) / प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) / निषिद्ध स्थान परमिट (पीआर पीपी) के लिए आवेदन

पत्र

आवेदक का नाम श्रीमान/श्रीमती/सुश्री	
राष्ट्रीयता	
पासपोर्ट संख्या	
पेशा	
भारत में पता	
विदेश का पता	
संपर्क संख्या	
ईमेल आईडी	
प्रतिबंधित/संरक्षित/निषिद्ध क्षेत्र के लिए आवेदन करना (श्रेणी निर्दिष्ट करें)	
उक्त क्षेत्र के भीतर भ्रमण हेतु प्रस्तावित स्थान	

प्रस्तावित यात्रा की अवधि :	से: को:
आने का उद्देश्य	
संरक्षित क्षेत्र या प्रतिबंधित क्षेत्र या निषिद्ध स्थान, जहां जाने का प्रस्ताव है, में संगठन के प्रभारी प्राधिकारी से अनापत्ति/आमंत्रण पत्र (निषिद्ध क्षेत्र परमिट के लिए अनिवार्य)	

आवेदक के हस्ताक्षर

छठी अनुसूची

[पैरा 14(4) और 15(3) देखें]

संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/ प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी)/ निषिद्ध स्थान परमिट (पीआर पीपी) का प्रारूप

- एक. सेवा संख्या
दो. पूर्ण में नाम
तीन. पिता का नाम
चार. मां का नाम
पाँच. तारीख और जन्म स्थान
छः. लिंग
सात. वर्तमान राष्ट्रियता
आठ. पासपोर्ट की संख्या और समाप्ति तारीख
नौ. वीजा की संख्या और समाप्ति
दस. वीजा का प्रकार और वैधता
ग्यारह. सेवा प्रदान की गई
बारह. अवलोकन
तेरह. शुल्क का कारण
चौदह. शुल्क (भारतीय रुपये में)
पंद्रह. नियोक्ता/संस्था/व्यवसाय/चिकित्सा पता
सोलह. पति/पत्नी और बच्चों का नाम और उनकी राष्ट्रियता (यदि आगंतुक के साथ हों):

क्र.सं.	नाम के साथ	जन्म तारीख (दिन/मास/वर्ष)	रिश्ता	राष्ट्रीयता	पासपोर्ट नं.

अनुमत क्षेत्र:

क्रम. नहीं।	क्षेत्र प्रकार (संरक्षित/ प्रतिबंधित/ निषिद्ध)	राज्य	ज़िला	क्षेत्र	मान्य तारीख (दिन/मास/वर्ष)	मान्य के लिए (दिन/मास/वर्ष)	उद्देश्य

दिनांक:

प्राधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर

[फा. सं. 25022/04/2025-एफ.।]

नितेश कुमार व्यास, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 1st September, 2025

S.O. 3986(E).— In exercise of the powers conferred by section 7 read with sections 3 and 11 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025) and in supersession of the Foreigners Order, 1948, the Foreigners (Protected Areas) Order, 1958, the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963 and the Foreigners (Tribunals) Order, 1964, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Immigration and Foreigners Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In this Order, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025);

(b) “Schedule” means the Schedules annexed to this Order.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act or rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or rules.

CHAPTER I

ENTRY INTO, STAY IN, MOVEMENT WITHIN AND EXIT FROM INDIA OF PERSONS

3. Power to refuse entry into or stay in India.— (1) A foreigner may be refused entry into or stay in India on the following grounds, namely:—

- (a) if he is convicted on charges of anti-national activities, espionage, rape and murder, crime against humanity, terrorist and subversive activity including arranging financial support or money-laundering or hawala for such activities, trafficking in narcotics and psychotropic substances, human trafficking including child trafficking, racketeering in fake travel document and currency (including crypto currency), cyber crime, child abuse or found involved in such offences;
- (b) if he is a member of an organisation which has been declared as an unlawful association under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) by the Central Government;
- (c) if his entry is to be denied under United Nations mandate;
- (d) if he has been deported or granted exit from India for any offence and continues to be debarred for entry in India; or
- (e) if his entry is prohibited either under specific orders of the Central Government or by an order issued by any law enforcement authorities or other designated Government agencies as may be authorised by the Central Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), an Immigration Officer may, in the interest of public safety, prohibit the entry of any foreigner into India by passing an order.

(3) Whenever the Immigration Officer passes an order under sub-paragraph (2), he shall report the matter forthwith to the Central Government which may cancel or modify the order.

(4) The Immigration Officer may impose such conditions as he thinks fit while granting leave to a foreigner to enter into India and such conditions may be varied or cancelled by the Central Government.

(5) The Bureau of Immigration shall maintain an updated list of foreigners whose entry into India shall be prohibited:

Provided that the names of foreigners whose names are included in the list referred to in this sub-paragraph shall be reviewed periodically in accordance with the procedure as may be specified by the Central Government:

Provided further that a foreigner whose name figures in the list referred to in this sub-paragraph, may submit a representation to the Central Government in the Ministry of Home Affairs for its review.

4. Landing of seaman and crew of aircraft.— (1) A seaman, who is a foreigner shall require a Landing Permit or a Shore Leave Pass for entry into India, if he is not in possession of a valid Indian visa.

(2) The crew of an aircraft, who is a foreigner shall require a Landing Permit for entry into India, if he is not in possession of a valid Indian visa.

(3) The Landing Permit or Shore Leave Pass shall be issued by the Immigration Officer as per the procedure and conditions specified by the Central Government from time to time.

(4) The provisions of this paragraph are in addition to, and not in derogation of, the provisions of paragraph 3.

Explanation.— For the purposes of the this paragraph, “seaman” means a person employed on, or engaged in the working of a vessel.

5. Power to grant permission to depart from India.— (1) In addition to the grounds specified in first proviso to sub-section (2) of section 3 of the Act, a person may be refused permission to depart from India on the following grounds, namely:—

- (a) if his presence is required in India by any court;
- (b) if he is suffering from diseases which are danger to public health or safety;
- (c) if his exit may adversely affect relations with a foreign State; or
- (d) if he cannot be allowed to depart or exit from India either under specific orders of the Central Government or by an order issued by any law enforcement authorities or other designated Government agencies as may be authorised by the Central Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the Immigration Officer may prohibit the departure of a foreigner by passing an order, when he is satisfied that such departure may not be in the public interest.

(3) Whenever an Immigration Officer passes an order under sub-paragraph (2), it shall report the matter forthwith to the Central Government which may cancel or modify the order.

(4) The Bureau of Immigration shall maintain an updated list of persons who shall not be granted permission to depart from India.

6. Power to examine foreigner.— The civil authority may examine any foreigner during his stay in India, for the purposes of the Act, or of rules or Order made thereunder or under any direction or instruction issued; and thereupon it shall be the duty of every such foreigner to present himself for such examination to the civil authority within such period as such authority may specify and furnish such information as that authority may require.

7. Capturing of biometric information.— (1) Every foreigner applying for any category of visa, including registration as Overseas Citizen of India Cardholder under section 7A of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), shall allow his biometric information to be taken by the authority issuing the visa or the authority granting the registration as Overseas Citizen of India Cardholder, as the case may be, before grant of such visa or registration as Overseas Citizen of India cardholder.

(2) A person who is identified as a foreigner or considered to be a foreigner while in India shall allow his biometric information to be taken at such time and at such place by: -

- (a) a specified authority of the State Government or a Union territory Administration;
- (b) civil authority;
- (c) Registration Officer;
- (d) Immigration Officer;
- (e) Border Guarding Forces; or
- (f) Coast Guard,

on the designated electronic portal of the Central Government for the purpose.

(3) The biometric information shall be taken as per specifications specified by the Central Government from time to time.

(4) The biometric information captured shall be valid for ten years from the date of capturing.

(5) The foreigners who do not have fingerprints or poor fingerprints shall be exempted and only facial traits or iris shall be captured for them.

(6) The foreigner who is having less number of fingers shall give fingerprints of existing fingers only.

CHAPTER II

RESTRICTIONS ON CERTAIN ACTIVITIES OF FOREIGNERS

8. Power to impose restrictions.— (1) The civil authority or any authority as specified by the Central Government in this behalf may, by order in writing, direct that any foreigner shall comply with such conditions specified therein regarding –

- (a) his place of residence;
- (b) his movements;
- (c) his association with any person or class of persons specified in the order; and
- (d) his possession of such articles as specified in rule 20 of the rules.

(2) Every State Government and Union territory Administration shall set up dedicated holding centers or camps for the purpose of restricting the movement of foreigners, till they are deported.

9. Restrictions on employment.— (1) No foreigner shall be entitled for appointment to public services and posts in connection with affairs of the Union or of any State except for appointment in such services and posts as the Central Government may, by Special Order in that behalf, specific to a foreigner or specific to a post, as the case may be, specify.

(2) No foreigner who is in possession of a valid visa for taking up employment in India, shall, without the permission of the civil authority, accept employment in an undertaking in the private sector engaged in the supply of power or water or in the petroleum sector.

(3) Any undertaking in private sector engaged in the field of defence, space technology, nuclear energy or human rights or any other sector as specified in this behalf, shall not employ any foreigner without prior permission of the Central Government.

(4) No foreigner employed without the permission of the civil authority in sectors referred to in sub-paragraph (2) or without the permission of the Central Government in sectors referred to in sub-paragraph (3) before the commencement of this Order, shall remain employed in such undertaking or sector, without the permission of the civil authority or the Central Government, as the case may be, after the expiry of the period of three months from the date of commencement of this Order.

(5) The management of any undertaking or sector referred to in sub-paragraphs (2) and (3) shall furnish to the civil authority such information regarding foreigner employed in that undertaking or sector and make available for inspection such records and registers as may be called for by that authority.

(6) Nothing in this paragraph shall apply to a person registered as Overseas Citizen of India Cardholder.

10. Restrictions on certain activities.— A foreigner shall produce, or attempt to produce, or cause to be produced, feature film, documentary film, reality television and web shows or series, commercial television serials or shows and web shows or series or any other mode or medium as may be specified by the Central Government from time to time, intended for public exhibition, only with the permission in writing, and subject to such conditions as may be specified in this behalf.

11. Restrictions on mountaineering expeditions.—(1) No foreigner or group of foreigners shall climb or attempt to climb any mountain peak in India, except those peaks with routes as specified in the First Schedule, —

- (a) without obtaining the prior permission in writing of the Central Government; and
- (b) without specification of route to be followed, attachment of a liaison officer and use of photographic and wireless communication equipment, as may be specified in this behalf by the Central Government.

(2) An application for seeking prior permission for climbing any mountain peak in India may be made to the Indian Mountaineering Foundation, New Delhi in the application form specified in the Second Schedule.

(3) The prior permission of the Central Government shall be required by nationals of China, Pakistan, Bangladesh and Afghanistan or persons having origin in these countries even for climbing peaks which are included in the First Schedule.

Explanation.— For the purposes of this sub-paragraph, the expression ‘origin’ means, a person —

- (i) who, or either of whose parents or any of his grandparents, was born in and was permanently resident in the countries mentioned therein; or
- (ii) who had been a citizen at any point of time of the countries mentioned therein.

(4) The Indian Mountaineering Foundation may specify routes, attach liaison officer and impose such restrictions as may deem necessary in respect of peaks specified in the First Schedule.

CHAPTER III

PREVENTION, DETECTION, RESTRICTING MOVEMENTS AND DEPORTATION OF ILLEGAL MIGRANTS

12. Power to prevent, detect, impose restriction on movement and deportation of illegal migrants.— (1) The Immigration Officer at the immigration post shall take steps including examination of foreigners and inspection of carrier, to prevent foreigners attempting to enter into India without valid travel documents.

(2) The designated Border Guarding Forces or the Coast Guard shall take steps to prevent illegal migrants attempting to enter into India by sending them back after capturing their biometric information and available demographic details on the designated portal of the Central Government.

(3) The civil authority, the State Government or the Union territory Administration or any authority specified in this behalf, shall take steps to detect illegal migrants in India in accordance with the procedure specified by the Central Government from time to time, which may include the following, namely : —

- (a) examination of foreigners;
- (b) inspection of any aircraft, vessel or other mode of transport, if the said authority has reasons to believe that an illegal migrant is travelling therein; and
- (c) inspection of any place or premises, if the said authority has reasons to believe that an illegal migrant is staying or hiding in that place or premises.

(4) In case of the illegal migrants apprehended within India, the following procedure shall be followed, namely:—

- (a) a suspected illegal migrant shall be imposed with restrictions on movement in a holding centre or camp as may be specified by the authorities referred to in sub-paragraph (3) in terms of provisions of the Act and rules and paragraph 8 pending deportation;
- (b) the authorities referred to in sub-paragraph (3) may take appropriate steps to deport the illegal migrant so identified immediately, if the illegal migrant has a valid passport or other travel document;
- (c) in the absence of a valid passport or other travel document, the authorities referred to in sub-paragraph (3) may immediately take appropriate steps for getting the nationality verified and for issuance of travel document in favour of the illegal migrant from the Embassy or High Commission of the country concerned in India through the Ministry of External Affairs and necessary steps shall be taken by such authorities to deport the illegal migrant from the country as soon as the travel document is received;
- (d) matters related to detection and deportation of illegal migrants settled in the country shall be closely monitored by a nodal officer designated for this purpose by the State Government or Union territories in each District, not below the rank of Deputy Superintendent of Police, and shall also be reviewed periodically at the level of State Government or Union territory Administration concerned and cases where nationality of such illegal migrants is pending verification shall be followed up by the State Government or Union territory Administration concerned with the Ministry of External Affairs regularly;
- (e) authorities referred to in sub-paragraph (3) shall update the details of the number of such illegal migrants detected, restricted and deported and cases in which nationality verification is pending on the designated portal of the Central Government;
- (f) the Bureau of Immigration shall be the custodian of data of illegal migrants related to their detection, restriction of movement, deportation and cases in which nationality verification is pending; and
- (g) the Bureau of Immigration shall be the nodal agency for coordinating with stakeholders in matters related with identification, restriction of movement and deportation of illegal migrants.

Explanation.— For the purposes of this paragraph, “illegal migrant” shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955).

13. Expenses of deportation.— Where an Order is made in the case of any foreigner directing that he shall not remain in India or where a foreigner is refused permission to enter India or has entered into India without permission, the Central Government may, if it thinks fit, apply any money or attach the property of the foreigner in payment of the whole or any part of the expenses of or incidental to the voyage from India and the maintenance until departure of the foreigner and his dependents, if any.

CHAPTER IV
PROTECTED AND RESTRICTED AREAS

14. Protected area or Restricted area.— (1) Every foreigner shall be required to obtain a permit to enter into or stay in any Protected area or Restricted area, as specified in the Third Schedule or the Fourth Schedule, as the case may be:

Provided that the provisions of this sub-paragraph shall not apply to, and in relation to —

- (a) any person who is a citizen of Bhutan, except those having his origin in Afghanistan, China or Pakistan; or
- (b) any other person who has been ordinarily resident in that Protected area or Restricted area for a period of not less than five years immediately preceding the date of publication of this Order except a citizen of Afghanistan, China or Pakistan or a person having his origin in these countries:

Provided further that no such permit shall be issued to a foreigner who is a citizen of Afghanistan, China or Pakistan or having his origin in these countries or to a citizen of any other country as may be specified by the Central Government by an Order, direction or instruction issued in this behalf, except with the prior approval of the Central Government.

Explanation.— For the purposes of the first and second proviso, the expression ‘origin’ shall have the same meaning as assigned to it in the *Explanation* to sub-paragraph (3) of paragraph 11.

(2) The Central Government may, by an Order, direction or instruction issued in this behalf, open any specific area or route falling within the Protected areas or Restricted areas for tourism which can be visited by foreigners after obtaining necessary permit subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said Order or direction or instruction.

(3) Every foreigner intending to visit or stay in any Protected area or Restricted area, including any area opened for tourism purpose, may submit an application for a Protected Area Permit or Restricted Area Permit, as the case may be, in the application form specified in the Fifth Schedule electronically on the designated online portal namely, “<https://indianfro.gov.in>” or the mobile application namely, “Indian Visa Su-Swagatam” or by any name or names that may be assigned to it from time to time.

(4) The Protected Area Permit or Restricted Area Permit shall be issued electronically in the format provided in the Sixth Schedule.

(5) The authorities for receiving applications for a Protected Area Permit or Restricted Area Permit and for issuing such a permit shall be specified by the Central Government.

(6) The civil authority may, as to any Protected Area or Restricted Area, by order —

- (a) prohibit any foreigner or any class of foreigner from entering into or remaining in the area without the Protected Area Permit or the Restricted Area Permit, as the case may be;
- (b) impose on any foreigner or class of foreigners entering into or being in the area such conditions or restrictions, as it may think fit as to —

- (i) reporting to the police or any naval, military or air-force authority;
- (ii) surveying or making sketches or photographs;
- (iii) the use or possession of any apparatus, or other article of any description;
- (iv) the acquisition of land or any interest in land within the area;
- (v) any other matter or thing as to which it may deem it necessary in the interest of public safety, impose conditions or restrictions;

- (c) impose on any householder or other person the obligation to report to the police or any naval, military, or air-force authority the presence of any foreigner in his household or in any premises occupied by him or under his control, and, the departure of any such foreigner and such other particulars with respect to any such foreigner as may be specified in the order:

Provided that the civil authority may, subject to any general or specific direction of the Central Government, grant to an individual foreigner a special permission exempting him from any or all of the conditions or restrictions imposed under this sub-paragraph.

CHAPTER V PROHIBITED PLACES

15. Prohibited places.— (1) No foreigner shall, without the permission of the civil authority or the Registration Officer having jurisdiction at such place, visit or reside, in any prohibited place as defined in clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) or any such place as may be specified by the Central Government from time to time.

(2) Every foreigner intending to visit or reside in any prohibited place may submit an application for Prohibited place permit in the form provided in the Fifth Schedule electronically, on the designated online portal or the Mobile Application as referred to in sub-paragraph (3) of paragraph 14.

(3) A Prohibited place permit in the format provided in the Sixth Schedule shall be issued electronically.

(4) Where any foreigner is, on the date of commencement of this Order, residing in any Prohibited place and is not permitted to continue to reside there, he shall, within such time as may be specified by the civil authority or the Registration Officer, remove himself from such place.

(5) The civil authority or the Registration Officer may impose on any householder or other person in such Prohibited place the obligation to report to the police or to any naval, military or air-force authority the presence of any foreigner in his household or in any premises occupied by him or under his control and the departure of any such foreigner and such other particulars with respect to such foreigner as may be specified by such authority.

(6) The military officer for the time being in command of the forces in a Cantonment may, by order in writing, direct any foreigner to remove himself from the Cantonment within such time as may be specified in such order.

CHAPTER VI FOREIGNERS TRIBUNALS

16. Constitution of Foreigners Tribunals.—(1) The Central Government or the State Government or the Union territory Administration or the District Collector or the District Magistrate may, by order, refer the question as to whether a person is or is not a foreigner within the meaning of the Act to a Foreigners Tribunal constituted for the purpose by the Central Government, for its opinion.

(2) The registering authority appointed under sub-rule (1) of rule 19 of the Citizenship Rules, 2009 may also refer to the Foreigners Tribunal the question whether a person of Indian origin, complies with any of the requirements under sub-section (3) of section 6A of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955).

(3) Any person referred to in paragraph 8 of the Schedule to the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003 may prefer an appeal, on the terms and conditions specified therein, before the Foreigners Tribunal constituted under this Order.

(4) The Foreigners Tribunal shall consist of maximum three members having judicial experience as the Central Government may think fit to appoint.

(5) Where the Foreigners Tribunal consists of two or more members, one of whom shall be appointed as the Chairperson thereof.

17. Procedure for disposal of questions referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 16.— (1) The Foreigners Tribunal shall serve on the person to whom the question relates, a copy of the main grounds on which he is alleged to be a foreigner and give him a reasonable opportunity of making a representation and producing evidence in support of his case and after considering such evidence as may be produced and after hearing such persons as may desired to be heard, the Foreigners Tribunal shall forward its opinion to the officer or authority specified in this behalf in the order of reference.

(2) The Foreigners Tribunal shall serve a show cause notice on the person to whom the question relates, that is, the proceedee.

(3) The notice referred to in sub-paragraph (2) shall be served within ten days of the receipt of the reference of such question by the Central Government or State Government or the Union territory Administration or any authority as specified in sub-paragraph (1) of paragraph 16.

- (4) The notice shall be served in English and also in the official language of the State indicating that the burden is on the proceedee to prove that he is not a foreigner.
- (5) The notice shall be served to the proceedee in the following manner, namely:-
- (a) the notice shall be served at the address where the proceedee last resided or reportedly resides or works for gain, and in case of change of place of residence, which has been duly intimated in writing to the investigating agency by the alleged person, it shall be served at such changed address;
- (b) if the proceedee is not found at the address at the time of service of notice, the notice may be served on any adult member of the family of the proceedee and it shall be deemed to be served on the proceedee;
- (c) where the notice is served on the adult member of the family of the proceedee, the process server shall obtain the signature or thumb impression of the adult member on the duplicate of the notice as a token of proof of the service;
- (d) if the adult member of the family of the proceedee refuses to put a signature or the thumb impression, as the case may be, the process server shall report the same to the Foreigners Tribunal;
- (e) if the proceedee or any available adult member of his family refuses to accept the notice, the process server shall give a report to the Foreigners Tribunal in that regard along with the name and address of a person of the locality, who was present at the time of making such an effort to get the notices served, provided such person is available and willing to be a witness to such service and the process server shall obtain the signature or thumb impression of such witness, if he is present and willing to sign or put his thumb impression, as the case may be;
- (f) if the proceedee has changed the place of residence or place of work, without intimation to the investigating agency, the process server shall affix a copy of the notice on the outer door or some other conspicuous part of the house in which the proceedee ordinarily resides or last resided or reportedly resided or personally worked for gain or carries on business, and shall return the original to the Foreigners Tribunal from which it was issued with a report endorsed thereon or annexed thereto stating that he has so affixed the copy, the circumstances under which he did so, and the name and address of the person, if any, by whom the house was identified and in whose presence the copy was affixed;
- (g) where the proceedee or any adult member of his family is not found at the residence, a copy of the notice shall be pasted in a conspicuous place of his residence, witnessed by one respectable person of the locality, subject to his availability and willingness to be witness in that regard and the process server shall obtain the signature or the thumb impression of that person in the manner in which such service is effected;
- (h) where the proceedee resides outside the jurisdiction of the Foreigners Tribunal, the notice shall be sent for service to the officer-in-charge of the police station within whose jurisdiction the proceedee resides or last resided or is last known to have resided or worked for gain and the process server shall then cause the service of notice in the manner as provided herein above;
- (i) if no person is available or willing to be the witness of service of notice or refuses to put his signature or thumb impression, the process server shall file a signed certificate or verification to that effect, which shall be sufficient proof of such non-availability, unwillingness and refusal;
- (j) on receipt of the signed certificate or verification referred to in clause (i), the Foreigners Tribunal shall return such references with such directions as it thinks fit to the authority who has made the reference for tracing out the proceedee and produce before the said Foreigners Tribunal.
- (6) Where the proceedee appears or is brought before the Foreigners Tribunal and he produces the documents in support of his claim, the Foreigners Tribunal may release such person on bail and decide the matter accordingly.
- (7) In case where notice is duly served, the proceedee shall appear before the Foreigners Tribunal in person or by a counsel engaged by him, as the case may be, on every hearing before the Foreigners Tribunal.
- (8) The Foreigners Tribunal shall give the proceedee ten days time to give reply to the show cause notice and further ten days time to produce evidence in support of his case.
- (9) The Foreigners Tribunal may refuse a prayer for examination of witnesses on Commission for production of documents if, in the opinion of the Foreigners Tribunal, such prayer is made to delay the proceedings.
- (10) The Foreigners Tribunal shall take such evidence as may be produced by the Superintendent of Police concerned.
- (11) The Foreigners Tribunal shall hear such persons as, in its opinion, are required to be heard.
- (12) The Foreigners Tribunal may grant adjournment of the case on any plea sparingly and for reasons to be recorded in writing.
- (13) Where the proceedee fails to produce any proof in support of his claim that he is not a foreigner and also not able to arrange for bail in respect of his claim, the proceedee shall be detained and kept in holding centre.

(14) The Foreigners Tribunal shall dispose of the case within a period of sixty days of the receipt of the reference from the Central Government or State Government or Union territory Administration or any authority as specified in sub-paragraph (1) of paragraph 16.

(15) After the case has been heard, the Foreigners Tribunal shall forward its opinion as soon thereafter as may be practicable, to the officer or the authority specified in this behalf in the order of reference.

(16) The final order of the Foreigners Tribunal shall contain its opinion on the question referred to, which shall be a concise statement of facts and the conclusion.

18. Procedure for disposal of questions referred to in sub-paragraph (2) of paragraph 16.— (1) The Foreigners Tribunal shall, before giving its opinion on the question referred to in sub-paragraph (2) of paragraph 16, give the person in respect of whom the opinion is sought a reasonable opportunity of making a representation and producing evidence in support of his case and after considering such evidence as may be produced and after hearing such persons as may desired to be heard, the Foreigners Tribunal shall forward its opinion to the officer or authority specified in this behalf in the order of reference.

(2) The Foreigners Tribunal may take such evidence as may be produced by the registering authority appointed under sub-rule (1) of rule 19 of the Citizenship Rules, 2009, who has made the reference to the Foreigners Tribunal.

(3) The Foreigners Tribunal may hear both the parties.

(4) The Foreigners Tribunal shall dispose of the case within a period of sixty days of the receipt of the reference from the authority as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 16.

(5) After the case has been heard, the Foreigners Tribunal shall forward its opinion as soon thereafter as may be practicable, to the officer or the authority specified in this behalf in the order of reference.

(6) The final order of the Foreigners Tribunal shall contain its opinion on the question referred to, which shall be a concise statement of facts and the conclusion.

(7) Subject to the provision of this Order, the Foreigners Tribunal shall have the power to regulate its own procedure for disposal of the cases expeditiously in a time bound manner.

19. Procedure for disposal of appeal referred to in sub-paragraph (3) of paragraph 16.— (1) While preferring an appeal under paragraph 8 of the Schedule appended to the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the applicant shall provide a certified copy of the rejection order received from the National Register of Indian Citizens authorities along with the grounds for appeal.

(2) The appellant may appear either in person or through a legal practitioner or a relation authorised by the appellant in writing subject to the acceptance of such representation by the Foreigners Tribunal.

(3) The State Government may appoint a pleader to represent the District Magistrate.

(4) The Foreigners Tribunal shall issue a notice to the District Magistrate to produce National Register of Indian Citizens records within thirty days from the date of receipt of the notice and a copy of the said notice shall also be sent to the pleader appearing for the State Government and to the appellant.

(5) The District Magistrate shall provide the National Register of Indian Citizens records in original including the application form and documents submitted by the appellant and orders passed by the National Register of Indian Citizens authorities to the pleader appearing for the State Government against the claims or objections filed by the appellant.

(6) In case no appeal is preferred under paragraph 8 of the Schedule appended to the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003, the District Magistrate may refer to the Foreigners Tribunal for its opinion the question as to whether the person is a foreigner or not within the meaning of the Act in terms of sub-paragraph (1) of paragraph 16.

(7) Persons against whom a reference has already been made by the Central Government or State Government or Union territory Administration or any authority as specified in sub-paragraph (1) of paragraph 16 to any Foreigners Tribunal shall not be eligible to file the appeal before the Foreigners Tribunal.

(8) If any Foreigners Tribunal has already given opinion about a person earlier as a foreigner, such person shall not be eligible to file an appeal to any Foreigners Tribunal.

(9) On behalf of the District Magistrate, the pleader shall produce the National Register of Indian Citizens records before the Foreigners Tribunal.

(10) Upon production of the records, if the Foreigners Tribunal finds merit in the appeal, it shall issue notice to the appellant and the District Magistrate specifying the date of hearing and such date shall be within thirty days from the date of production of the records.

(11) The District Magistrate may depute an officer as authorised representative to act on his behalf in any proceeding before the Foreigners Tribunal.

(12) During the hearing, the Foreigners Tribunal shall give the appellant, the pleader appearing for the State Government and the authorised representative of the District Magistrate, if any, a reasonable opportunity to present their case including filing of any representation or producing documents or evidence in support of their case.

(13) While disposing the appeal or reference mentioned in sub-paragraph (6), the Foreigners Tribunal shall be guided by sub-paragraphs (9), (11) and (12) of paragraph 17.

(14) The Foreigners Tribunal shall dispose of the appeal after hearing the appellant, the pleader appearing for the State Government and the authorised representative of the District Magistrate, if any :

Provided that the Foreigners Tribunal shall also, if the appeal is rejected, give a clear finding as to whether the appellant is a foreigner or not within the meaning of the Act.

(15) The Final order of the Foreigners Tribunal shall contain the following particulars, namely:-

(a) its opinion on the matter whether the appellant is eligible for inclusion in the National Register of Indian Citizens or not and shall also contain as to whether the appellant, if his appeal is rejected, is a foreigner or not within the meaning of the Act;

(b) a concise statement of facts and conclusion based on which the Foreigners Tribunal has arrived at its decision.

(16) The Final order of the Foreigners Tribunal shall be given within a period of one hundred and twenty days from the date of production of the records.

(17) Subject to the provision of this Order, the Foreigners Tribunal shall have the power to regulate its own procedure for disposal of the cases expeditiously in a time bound manner.

20. Procedure for setting aside *ex parte* order.—(1) Where the Foreigners Tribunal has passed an *ex parte* order for non-appearance of the proceedee and he has sufficient cause for not appearing before the Foreigners Tribunal, it may on the application of the proceedee, if filed within thirty days of the said order, set aside its *ex parte* order and decide the case accordingly.

(2) The proceedee may file an application to the Foreigners Tribunal within thirty days to review the decision of the Foreigners Tribunal claiming that he is not a foreigner and the Foreigners Tribunal may review its decision within thirty days of the receipt of such application and decide the case on merits.

(3) Subject to the provisions of this Order, the Foreigners Tribunal shall have the powers to regulate its own procedure for disposal of the cases expeditiously in a time bound manner.

21. Powers of Foreigners Tribunal.— The Foreigners Tribunal shall have the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and the powers of a Judicial Magistrate of the first class under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sahita, 2023 (46 of 2023) in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) issuing commissions for the examination of any witness;

(d) directing the proceedee to appear before it in person;

(e) issuing a warrant of arrest against the proceedee, if he fails to appear before it.

The First Schedule

[See paragraph 11(1), (3) and (4)]

List of mountain peaks opened for mountaineering expeditions by foreigners**I. HIMACHAL PRADESH**

S.No.	Name of the Peak	Height (in metres)	Longitude	Latitude	Remarks
1	CB-9	6108	77 27'	32 34'	Manali- Batal (RH)-BC-C-I,C-II,C-III and summit attempt
2	CB-10 (Tara Pahar)	6227	77 28'	32 36'	Manali-Chhatru-Chhota Dara-Batal (RH)-BC-C-I,C-II and summit attempt
3	CB-11	5955	77 31'	32 22'	-do-
4	CB-12	6258	77 33'	32 20'	-do-
5	CB-13	6164	77 33'	32 21'	-do-
6	CB-13A	6240	77 33'	32 21'	-do-
7	CB-14	6078	77 34'	32 32'	-do-
8	CB-16	5825	77 31'	32 19'	-do-
9	CB-20	5695	77 31'	32 24'	-do-
10	CB-22	5720	77 33'	32 24'	Manali-Chhatru-Chhota Dara-Batal (RH)-Linder-BC-C-I,C-II and summit attempt
11	CB-26	5840	77 29'	32 20'	Batal (RH)-BC-C-I,C-II, and summit
12	CB-31	6096	77 28'	62 25'	Manali-Chhatru-Chhota Dara-Batal (RH)-BC-C-I,C-II and summit
13	CB-32	5639	77 27'	32 26'	Manali-Chhatru-Chhota Dara-Batal (RH)-BC-C-I,C-II and summit
14	CB-33 (Minar)	6185	77 29'	32 28'	Batal (RH)-Dekka-BC-C-I,C-II, and summit
15	CB-34	5635	77 31'	32 28'	-do-
16	CB-35	5568	77 30'	32 29'	Manali- Batal (RH)-BC-C-I,C-II, and summit
17	Unnamed Peak	5510	77 17'	32 28'	Manali- Darcha-Jispa-BC-C-I,C-II, and summit
18	Unnamed Peak	5852	77 14'	32 28'	-do-
19	Unnamed Peak	5765	77 09'	32 33'	Manali- Darcha-Jispa-BC-C-I,C-II, and summit
20	Unnamed Peak	5860	77 38'	32 15'	Manali- GramphoChhatru (RH)- Jitang-PutiRunishigri (BC)-C-I and summit attempt

21	Devachan	6265	77 33'	32 14'	Kulu- Manikaran (RH)- TosSaram- Base Camp-C- I, C-II and C-III and summit attempt
22	Papsura	6440	77 33'	32 12'	Manali (RH)-Manikaran (RH)- Tos(Vill)- Shamshi- sari-BC-ABC-C-I,C-II and C-III and summit attempt
23	Whitae Sail (Dharansura)	6420	77 34'	32 12'	Kulu (RH)-Manikaran (RH)- Tos(Vill)- Shamshi- sari-BC-ABC-C-I,C-II and C-III and summit attempt
24	Unnamed Peak	5790	77 38'	32 14'	Manali-Grampho- Chhatru(RH)-Dhhota Dara-BC,C-I,C-II and summit attempt
25	Tiger Toth	5980	77 36'	32 18'	Manali-Batal Base Camp- C-I,C-II,C-III and summit attempt
26	Unnamed Peak	5360	77 47'	32 08'	Batal-Karacha-Barasigri Glacier-C-I,C-IIand summit attempt
27	Unnamed Peak	6090	77 42'	32 14'	Grampho-Chhota Dara- Batal (HR)- Karcha Nala- BC-C-I,C-II and summit attempt
28	Indra San	6223	77 24'	31 12'	Manali (RH)-Jagatsukh (RH)-Achhika-Seri- Tainta-BC-C-I,C-II,C- III,C-IV and summit attempt
29	Deo Tibba	6001	77 23'	32 11'	Manali (RH)-Jagatsukh (RH)-Achhika-Seri- Tainta-BC-C-I,C-II, (Duhangan col), C-III, and summit attempt
30	AlirathniTibba	5470	77 26'	32 05'	Kuku (RH)-Malansa BC- C-I, C-II and summit attempt
31	Hanuman Tibba	5932	77 02'	32 20'	Manali-Solang-Dhundi (RH)-Beas Kun BC-ABC
32	Manali	5640	77 03'	32 24'	Dhundi (RH)-Beas Kund (BC)-C-I, C-II and summit attempt
33	Makerbeh	6069	77 04'	32 25'	Mandi – Palchan- Dhundi (RH)- Beas Kund BC- C-I, C-II, C- III and summit attempt
34	Shikarbeh	6200	77 03'	32 23'	-do-
35	Behali Jot	6245	76 35'	32 50'	Udaipur (RH) – Margaon- BC (Tal Go) c- II and summit attempt
36	Menthosa	6443	76 42'	32 55'	Manali – Rohtang pass- Tandi- Udhaipur (RH)-

					NiyarMallah- Urgosvill (last vill) BC-C-I, C-II and summit attempt
37	Phabrang	6172	76 47'	32 44'	Manali – Rohtang pass- Tandi- Udhaipur (RH)- NiyarMallah- Urgosvill (last vill) BC-C-I, C-II and summit attempt
38	Unnamed Peak	5472	76 47'	31 44'	Manali- Tandi- Udaipur- Miyar Nallah- Karpat BC- C-I, C-II and summit attempt
39	Unnamed Peak	5598	76 48'	32 46'	-do-
40	Unnamed Peak	5666	76 50'	62 45'	Urgas- Chaliry forest- GangupaNalah- BC-C-I, C-II then summit
41	Kharcha Parbat	6270	77 43'	32 21'	Manali Batal (RH)- BC- ABC-C-I- summit camp and attempt to summit
42	Consolation Peak		77 23'	32 12'	Kulu- Manali (RH)- Chikka- Chandertal- BC- C-II then summit
43	Hanuman Tibba I	5932	77 02'	32 21'	Manali- Dhundi- Beaskund- BC-C-I, C-II then summit
44	Hanuman Tibba-II	5366	77 02'	32 21'	-do-
45	Kullu Makalu	6350			Mountaineering
46	KulluPumori	6481			Mountaineering
47	KulluEiger	5646			Trekking
48	Dibibokri Pyramid	6408			Mountaineering
49	Fluted peak	6137			Mountaineering
50	Hunnungma	5952			Trekking
51	Pyramid	6036			Mountaineering
52	Parbati South	5806			Trekking
53	Rubal Kang	6150			Mountaineering
54	Shigri Parbat	6526			Mountaineering
55	Snow Cone	6311			Mountaineering
56	Snow Dome	5980			Trekking
57	Shitidhar	5294			Trekking
58	Ashagiri	6100			Mountaineering
59	CB-17	5875			Trekking
60	CB-18	5915			Trekking
61	CB-19	5890			Trekking
62	CB-48(Tamoo)	5904			Trekking
63	CB-49(Tilakalhar)	5964			Trekking

64	CB-50	6096			Mountaineering
65	CB-52	5944			Trekking
66	CB-53(Sharmili)	6000			Mountaineering
67	CB-54	6069			Mountaineering
68	CB-55(Sharmili)	5956			Trekking
69	CB-57(Tapugiri)	5791			Trekking
70	KR-1	6157			Mountaineering
71	KR-2	6187			Mountaineering
72	KR-3	5154			Trekking
73	KR-4	6340			Mountaineering
74	KR-5(CB-7)	6258			Mountaineering
75	KR-6	5187			Trekking
76	KR-7	6096			Mountaineering
77	KR-8	6005			Mountaineering
78	Lalana	6265			Mountaineering
79	M-1	5730			Trekking
80	M-2	5925			Trekking
81	M-3	5925			Trekking
82	M-4(Mulkila)	6571			Mountaineering
83	M-5	6370			Mountaineering
84	M-6	6182			Mountaineering
85	M-7(Taragiri)	6279			Mountaineering
86	M-8	6096			Mountaineering
87	M-9	5736			Trekking
88	M-10	5852			Trekking
89	Mulkila(M 04)	6517			Mountaineering
90	T-1	5669			Trekking
91	T-2	6035			Mountaineering

II. JAMMU AND KASHMIR

S.No	Name of the Peak	Height (in metres)	Longitude	Latitude	Remarks
1	Bobang	5971	76.133333	33.416667	Leh- Harpass-Kijai Nala-Nagdal Lake-C- I, C-II summit attempt
2	Tanak Peak	5948	76.1	33.8	Kargil- (BC)-Sanku-Pan (RH) to BC-C-I, C-II then summit
3	Yan	6230	76.066667	33	Leh (RH)- Gya-Gyamarnala-Kongmarule- Nimaling-

					Shang- Shangphy- BC-ABC then summit
4	Eiger	6001	76.096295E	35.578045N	Mountaineering
5	Cerro Kisthwar	6200	76.5769E	33.3489N	Mountaineering
6	Chomochior	6322	76.6500E	33.3500N	Mountaineering
7	Kailash	6400	75.6827E	32.8700N	Mountaineering
8	Agyasol	6200	76.349111E	33.351966N	Mountaineering
9	Umasi	6020	Umasi La pass situated at Great Himalayan Range in between Kishtwar and Zaskar		Mountaineering
10	Kalidahar, Kishtwar (Spires)	5900	76.6000E	33.3500N	Trekking
11	Dandagoporum	6100	76.5900E	33.3600N	Mountaineering
12	Mardi Phabrang	6062	76.3167E	33.3333 N	Mountaineering
13	Tupendu I	5700	75.8300E	33.3500N	Trekking
14	Tupendu II	5600	75.8300E	33.3500N	Trekking
15	Kishtwar Shivling	6040	76.4456E	33.3841N	Mountaineering
16	Barmmah Peak	5813	76.051111E	33.506389N	Trekking

III. LADAKH

S.No	Name of the Peak	Height (in metres)	Longitude	Latitude	Remarks
1	Nun	7135	76.016667	33.983333	(East- Leh-Kargil-Panikhar- Gulmotongas (RH)- BC-C-I, C-II, C-III and summit attempt
2	Kun	7077	76.05	34.016667	Leh- Kargil-Panikhar-Gulmotongas (RH)-BC-C-I, C-II, C-III and summit attempt
3	Pinnacle	6955	76.083333	34.016667	-do-
4	White Needle	6420	76.066667	33.983333	Leh- Kargil-Panikhar-Gulmotongas (RH)-BC-C-I, C-II, C-III and summit attempt
5	Z-2 peak	6152	76.2	33.783333	Kargil- gulmotongas-Ringdoom- Lalung Glacier- BC-C-I, C-II then summit
6	Z-3 Hill	6270	76.316667	33.7	Kargil- Gulmotongas-Haskira Glacier- C- I, C-II then summit
7	Z-I	6155	76.133333	33.933333	-do-
8	Z-8	6050	76.333333	33.833333	-do-

9	Kangri	5508	77.466667	34	Leh- Stock Vill- (RH)- BC-ABC- C-I, C-II and summit attempt
10	Kangri	5900	77.483333	33.95	-do-
11	Shingrugo		76.966667	33.466667	Kargil- Padam- Pibting C- I, C-II then summit
12	Lingsarmo	6955	76.081111	34.1725	(S.No.15 to 118 – Map No.) 52-B-04
13	Rungofarka	6395	76.059444	34.034722	52-B-04
14	Techafarka	6495	76.093889	34.033611	52-B-04
15	Pt 6148	6148	76.035556	34.046944	52-B-04
16	Shafat I	6800	76.085278	34.011111	52-B-04
17	Photoksar	6080	76.796667	34.028333	52-B-16
18	Shafat II	6302	76.111944	33.943889	52-C-01
19	Shafat III	6155	76.139444	33.937778	52-C-01
20	Chiling I	6349	76.162222	33.811944	52-C-01
21	Chiling II	6253	76.166667	33.819167	52-C-01
22	Lalung I	6243	76.236944	33.759722	52-C-01
23	Lalung II	6126	76.200556	33.783333	52-C-01
24	Lalung III	6157	76.2	33.756111	52-C-01
25	Pt 6048	6048	76.254722	33.798889	52-C-05
26	Pt 6197	6197	76.262778	33.784444	52-C -05
27	Pt 6274	6274	76.254722	33.817778	52-C-05
28	Pt 6485	6485	76.339167	33.756667	52-C-05
29	Pt 6067	6067	76.261111	33.768333	52-C-05
30	Pt 6035	6035	76.305	33.7	52-C-06
31	Pk 6000	6000	76.403056	33.646389	52-C-06
32	Pt 6125	6125	76.365556	33.630833	52-C-06
33	Pt 6080	6080	76.365556	33.621944	52-C-06
34	Pt 6240	6240	76.371667	33.584444	52-C-06
35	Hagshu I	6515	76.465278	33.545833	52-C-06
36	Pt 6035	6035	76.479722	33.526389	52-C-06
37	Pt 6157	6157	76.816389	33.417222	52-C-15
38	Pt 6162	6162	76.808889	33.398333	52-C-15
39	Pt 6184	6184	76.807222	33.389722	52-C-15
40	Pt 6431	6431	76.813056	33.385833	52-C-15
41	Pt 6436	6436	76.794722	33.367222	52-C-15
42	Pt 6028	6028	76.859167	33.371667	52-C-15

43	Pt 6107	6107	76.785556	33.334444	52-C-15
44	Pt 6022	6022	76.768889	33.328333	52-C-15
45	Pt 6018	6018	77.069722	33.760278	52-G-01
46	Pt 6126	6126	77.017222	33.030556	52-G-01
47	Pt 6034	6034	77.050278	33.790278	52-G-01
48	Pt 6075	6075	77.209167	33.641944	52-G-02
49	Pt 6120	6120	77.150833	33.68	52-G-02
50	Pt 6150	6150	77.176389	33.6625	52-G-02
51	Pt 6020	6020	77.037222	33.156667	52-G-04
52	Pt 6140	6140	77.030833	33.133333	52-G-04
53	Pt 6165	6165	77.015556	33.1225	52-G-04
54	Pt 6045	6045	77.038333	33.113611	52-G-04
55	Pt 6080	6080	77.0025	33.105278	52-G-04
56	Pt 6070	6070	77.033889	33.075833	52-G-04
57	Pt 6180	6180	77.008056	33.073611	52-G-04
58	Pt 6005	6005	77.052222	33.009722	52-G-04
59	Pt 6060	6060	77.086944	33.015278	52-G-04
60	Pt 6125	6121	77.441944	33.986667	52-G-05
61	Kangyatse II	6210	77.551944	33.7525	52-G-09
62	Kangyassay I	6401	77.558333	33.748056	52-G-10
63	Pt 6090-I	6069	77.581667	33.738611	52-G-10
64	Pt6265	6265	77.574444	33.725278	52-G-10
65	Pt 6340	6340	77.561111	33.717778	52-G-10
66	Pt 6280	6280	77.550833	33.725278	52-G-10
67	Pt 6090-II	6090	77.538333	33.74	52-G-10
68	Pt 6225	6225	77.591389	33.702222	52-G-10
69	Pt 6000	6000	77.584722	33.711944	52-G-10
70	Pt 6190	6190	77.570278	33.706389	52-G-10
71	Pt 6230	6230	77.545833	33.704167	52-G-10
72	Pt 6170	6170	77.546944	33.673333	52-G-10
73	Pt 6025	6025	77.580556	33.673056	52-G-10
74	Pt 6040	6040	77.583333	33.645278	52-G-10
75	Pt 6030	6030	77.595556	33.625278	52-G-10
76	Pt 6120	6120	77.598333	33.61	52-G-10
77	Khyam I	6101	77.655278	33.503056	52-G-10
78	Khyam II	6100	77.664444	33.523333	52-G-10
79	Zara I	6130	77.6325	33.490833	52-G-11
80	Zara II	6000	77.635278	33.476111	52-G-11

81	Pt 6163	6163	78.220278	33.489167	52-K-03
82	Pt 6045	6045	78.120278	33.353611	52-K-03
83	Pt 6126	6126	78.123333	33.341667	52-K-03
84	Pt 6029	6029	78.155833	33.337778	52-K-03
85	Pt 6148	6148	78.1075	33.329167	52-K-03
86	Pt 6230	6230	78.158889	33.322778	52-K-03
87	Pt 6335	6335	78.18	33.330278	52-K-03
88	Pt 6280	6280	78.184167	33.313611	52-K-03
89	Pt 6385	6385	78.198611	33.306667	52-K-03
90	Pt 6205	6205	78.212222	33.293611	52-K-03
91	Pt 6260	6260	78.215278	33.281667	52-K-03
92	Pt 6090	6090	78.223333	33.300833	52-K-03
93	Pt 6045	6045	78.243333	33.305833	52-K-03
94	Pt 6050	6050	78.239167	33.286667	52-K-03
95	Pt 6069	6069	78.016944	33.07	52-K-04
96	Pt 6069	6069	78.003056	33.096111	52-K-04
97	Pt 6012	6012	78.1325	33.2325	52-K-04
98	Pt 6150	6150	78.121389	33.198333	52-K-04
99	Pt 6135	6135	78.141667	33.190833	52-K-04
100	Pt 6205	6205	78.163333	33.181389	52-K-04
101	Pt 6030	6030	78.174167	33.192778	52-K-04
102	Pt 6005	6005	78.178333	33.204444	52-K-04
103	Pt 6100	6100	78.077222	33.012778	52-K-04
104	Pt 6060	6060	78.095	33.069167	52-K-04
105	Pt 6080	6080	78.105833	33.058611	52-K-04
106	Pt 6000	6000	78.116667	33.070833	52-K-04
107	Pt 6035	6035	78.161667	33.058333	52-K-04
108	Pt 6105	6105	78.154167	33.044722	52-K-04
109	Pt 6380	6380	78.174444	33.138333	52-K-04
110	Pt 6355	6355	78.174444	33.124444	52-K-04
111	Pt 6020	6020	78.196667	33.143889	52-K-04
112	Pt 6130	6130	78.204167	33.159722	52-K-04
113	Pt 6094	6094	78.205278	33.1625	52-K-04
114	Pt 6100	6100	78.216667	33.123889	52-K-04
115	Golap Kang	5900	77 28' 33"	33 57' 35"	Trekking

IV. SIKKIM

S.No.	Name of the Peak	Height (in Meters)	Longitude	Latitude	Remarks
1	Jopono	5936			Trekking
2	Koktang	6147			Mountaineering
3	Nepal Peak	7168			Mountaineering
4	Pyramid Peak	7123			Mountaineering
5	Talung	7349			Mountaineering
6	Talung South I	6970			Mountaineering
7	Talung South II	7388			Mountaineering
8	Tent Peak	7365			Mountaineering
9	Tingchen Khang	6010			Mountaineering
10	Zemu Peak	7038			Mountaineering

V. UTTARAKHAND

S.No.	Name of the Peak	Height (in meters)	Longitude	Latitude	Remarks
1	Panwali Dwar	6663	79 57'	30 17'	Song (RH) – Khati-Dwalio- Phukia- Base Camp- C-I, C- II and summit attempt
2	Nanda Devi East	7437	79 59'	30 21'	Munshyari (RH)- Lilam-Martoli (Vill)- Nasanpatti Bhadeligwar BC-C-I, C-II, C-III and summit attempt
3	Nandakhat	6545	79 58'	30 18'	Bharari (RH) Loharkhet-Khati - Dwali- (Vill)- Base Camp C-I, C- II, C-III summit attempt
4	Mrigthuni	6855	79 49'	30 17'	Bharari (RH) Loharkhet-Khati - Dwali- (Vill)- Base Camp C-I, C- II, C-III summit attempt
5	Maiktoli	6803	79 52'	30 16'	-do-
6	Trishul-I	7120	79 46'	30 18'	Ghat (RH) – Sital- Sutol-Lat Kopri-Chandniya Ghat- BC-C-I, C-II, C-III summit attempt
7	Trishul-II	6690	79 46'	30 17'	-do-
8	Trishul-III	6008	79 48'	30 17'	-do-
9	Tharkot	6099	79 49'	30 13'	Bharari (RH) - Khati via Dhakuri- Jatolia- Sunder-Dunga- Sukhran Cave BC C-I, C- II, C-III and summit attempt

10	Nanda Ghunti	6390	79 43'	30 20'	Debal (RH) – Hemkund (BC)- Roopkund- Attempt Nanda ghunti via the Ronti Saddle
11	Ronti	6063	79 43'	30 22'	-do-
12	Bhanoti	5645	79 50'	30 12'	Bharari (RH) - Loharkhet-Dhakuri - Khati (Vill)- Base Camp - C-I, C- II, and summit attempt
13	Baljuri	5922	79 57'	30 15'	Bharari (RH) - Loharkhet-Dhakuri - Khati (Vill)- Base Camp - C-I, C- II, C- III and summit attempt
14	Nanda Kot	6861	80 04'	30 16'	Song (RH) Loharkhet-Dhakuri Pass- Khati (Vill)- Dwali- C-I, C- II and summit attempt
15	Lepsa Dhura	5913	80 04'	30 14'	-do-
16	Unnamed Peak		77 16'	32 32'	Domphu Gompa (RH)- KhoksarNaiTempala Pass (BC)- CI summit attempt
17	Bara sukha		78 36'	31 04'	Uttarkashi- Dunga- Pura (RH)- Tangua- Rania- Base Camp- C- I & C-II then summit attempt
18	Rudugaira	5819	78 52'	30 56'	Gangotri (RH) – Tapovan (BC) then summit
19	Swargtrohini-I	6252	78 30'	31 06'	Deherdun- Natwar & Sansiri (RH)- Taial- Osala- BC, BC-I and summit attempt
20	Swargtrohini-II	6278	78 30'	31 06'	-do-
21	Banderpunchi	6320	78 33'	31 00'	-do-
22	Srikanth	6133	78 48'	30 57'	Uttarkashi- Bhatwari- Sukki (RH)- Hasil- along Tel Gad Nullah- BC-I, BC-II and summit attempt
23	Gangotri-I	6672	78 50'	30 55'	Gangotri (RH)- Ruduagira Nallah- BC- C-I - C-II and summit attempt
24	Gangotri-II	6590	78 51'	30 54'	-do-
25	Gangotri-III	6577	78 52'	30 48'	-do-
26	Joanali	6632	78 51'	30 52'	-do-
27	Jogin-I (6465)	6465	78 55'	60 52'	-do-
28	Jogin-II	6342	78 55'	30 53'	Gangotri (RH)- Ruduagira Nallah- BC- C-I - C-II and summit attempt
29	Jogin-III	6166	78 56'	30 52'	-do-
30	Thalaysagar	6964	78 59'	30 51'	-do-

31	Manda	6568	79 00'	59 55'	Gangotri-Chirbas- BC- I, BC-II and summit attempt
32	Meru North	6450	79 02'	59 52'	Gangotri-Chirbas- Gaumukh- Tapovan BC- I, BC-II and summit attempt
33	Meru East	6261	79 02'	29 52'	-do-
34	Kirti Stambh	6270	79 01'	30 49'	Gangotri-Chirbas- Gaumukh- BC- I, BC-II and summit attempt
35	Bhatekhunta	6578	79 02'	30 48'	Gangotri-Chirbas- Gaumukh- BC- I, BC-II and summit attempt
36	Kedarnath	6962	79 04'	30 47'	-do-
37	Kedr Dome	6830	79 04'	30 48'	Gangotri-Chirbas- Gaumukh- BC- I, BC-II and summit attempt
38	KarchaKund	6632	79 07'	30 46'	-do-
39	Shivling	6543	79 04'	30 52'	Gangotri- Gaumukh- Nandaban- BC- I, BC-II and summit attempt
40	Bhagirath-I	6856	79 09'	30 51'	-do-
41	Bhagirath-II	6512	79 09'	30 51'	-do-
42	Bhagirath-III	6454	79 08'	30 52'	Gangotri- Gaumukh- Nandaban- BC- I, BC-II and summit attempt
43	Vasuki Parhal	6792	79 10'	30 52'	-do-
44	Satopaqnth	7075	79 13'	30 50'	-do-
45	Sudarshan Parbat	6507	79 05'	30 58'	Gangotri- Gaumukh- BC-I, BC-II and summit attempt
46	Changabang	6866	79 55'	30 29'	Joshimath (RH)- Lata Vill. Belta- Latakark- Dibrugatta- Upper Deodi- BC- C-I, C-II and summit attempt
47	Nilkantha	6597	79 24'	30 43'	Joshimath- Badrinath- BC- I and summit attempt
48	Chaukhamba-I	7886	79 15'	30 43'	Joshimath- Mana Vill- BC-I, BC-II, BC-III and summit attempt
49	Chaukhamba-II	7070	79 15'	30 43'	-do-
50	Chaukhamba-III	6995	79 15'	30 43'	-do-
51	Chaukhamba-IV	6854	79 15'	30 43'	-do-
52	Changuch	6322	80 02'	30 17'	Bharari (RH)- Loharkhet- Khati- Dwali (Vill)- Base Camp-C-I, C-II and summit attempt
53	Stok Kangri	6150	77 28'	33 59'	Trekking

					Leh-Stok Vill(RH)-TC-II-BC-C-I-C-II and summit attempt
54	Ladakhi (H.P)		77 03'	32 22'	Trekking Dhundi (RH)-Beas Kund(BC)-AB-C-I and summit attempt
55	Friendship	6284	77 12'	32 23'	Trekking Dhundi (RH)-Beas Kund(BC)-ABC-C-I and summit attempt
56	Avalanche	6443			Mountaineering
57	Bhrigupanth	6772			Mountaineering
58	Bharigu Parbat	6041			Mountaineering
59	Kalidhang	6375			Mountaineering
60	Yanbuk	5953			Trekking
61	Ratangarian	5858			Trekking
62	Chirbas Parbat	6529			Mountaineering
63	Mahalaya Parbat	5947			Trekking
64	Rudugaira	5819			Trekking
65	Balakun	6471			Mountaineering
66	Banderpunch West	6102			Mountaineering
67	Bewtarholi	6352			Mountaineering
68	Betartholi South	6318			Mountaineering
69	Bhagnyu	5706			Trekking
70	Garur Parbat	6504			Mountaineering
71	Garur Forked	6267			Mountaineering
72	Kalanka	6931			Mountaineering
73	Parbati Parbat	6257			Mountaineering
74	Pawagarh	5306			Trekking
75	PurbiDunagiri	6489			Mountaineering
76	Rishi Pahar	6992			Mountaineering
77	Narayan Parbat	5965			Trekking
78	Nar Parbat	5855			Trekking
79	Black Peak	6387			Mountaineering
80	Dangthal	6050			Mountaineering
81	Devisthan-I	6678			Mountaineering
82	Devisthan-II	6529			Mountaineering
83	Devtoli	6788			Mountaineering
84	Dunagiri	7066			Mountaineering

85	Hardeol	7151			Mountaineering
86	Janhukot	6806			Mountaineering
87	Kirti Stambha	6270			Mountaineering
88	Lamchir	5662			Trekking
89	Lamchir South	5209			Trekking
90	Lampak South	6324			Mountaineering
91	Mahalaya Parbat	5947			Trekking
92	Manda-I	6568			Mountaineering
93	Manda-II	6529			Mountaineering
94	Manda-III	6510			Mountaineering
95	Nanda Bhanar	6269			Mountaineering
96	Nanda Khani	6029			Mountaineering
97	Nanda Lapak	5782			Trekking
98	Panchachuli-I	6355			Mountaineering
99	Panchachuli-II	6904			Mountaineering
100	Panchachuli-III	6312			Mountaineering
101	Panchachuli-IV	6334			Mountaineering
102	Panchachuli-V	6437			Mountaineering
103	Rishi Kot	6236			Mountaineering
104	SAF Minal	6911			Mountaineering
105	Srikantha	6133			Mountaineering
106	Sumeru Parbat	6330			Mountaineering

The Second Schedule

[See paragraph 11 (2)]

Application form for seeking prior permission for climbing mountain peaks in India

Expedition details

Expedition details		Remarks
1.	Name of the peak to be climbed and Altitude along with Co-ordinates Alternative peak and Altitude (with Co-ordinates) (In case the peak for which permission is sought is not available for booking)	
2.	Organizer's country of Residence/ Citizenship/ Origin	
3.	Route chart	Attach (Geographical Map)
4.	Itinerary with dates (Beginning from the country of origin)	Attach
5.	Particulars of leader	Give in the format enclosed
6.	Particulars of team members	Give in the format enclosed
7.	Insurance Cover obtained	Yes/ No

8.	Whether the leader and members of the expedition will apply for e-Mountaineering visa or for regular paper visa at Indian Embassy/ High Commission or Mission In case of applying for regular Paper visa, name and place of the nearest Indian Embassy/ High Commission or Mission where application for visa will be submitted (indicate the address and contact details clearly)	
9.	Handling Agency Hired (Name, address and email ID)	
10.	Doctor/ Paramedic in the Team	Yes/ No
11.	Mountaineering equipment, clothing, food stuff and other stores being brought to India	Attach List
12.	Source of financing the expedition in broad terms	
13.	Whether Walkie Talkie sets or other similar equipment will be brought to India. If so, application for same should be filled up and attached	

(Signature of the leader)

Address:

Name

Date

Particulars of the leader and team members (separately for leader and each member of the team)

**Passport
size Photograph**

1.	Name	
2.	Father's name	
3.	Nationality	
4.	Address	
5.	Telephone number and email ID	
6.	Date of Birth and age	
7.	Occupation/ Profession	
8.	Passport number	

9.	Place and Date of issue of passport	
10.	Date of expiry of passport	
11.	Name and address/ telephone number/ Email ID of the next of kin (for notifying in the event of injury/ death)	
12.	Mountaineering and Trekking experience (Attach details)	

Date:

(Signature)

Place :

Name

Note :-

- (1) Application may be sent to the Indian Mountaineering Foundation at least ninety days before the proposed date of arrival of an expedition in India at the following address:-
The Honorary Secretary, Indian Mountaineering Foundation, 6, Benito Juarez Road, Opposite Anand Niketan, New Delhi – 110021, India.
Email : director@indmount.org
- (2) A liaison officer has to accompany each foreign expedition irrespective of whether the peak lies in the protected / restricted area or open area
- (3) For all other terms and conditions, please visit the website of Indian Mountaineering Foundation at www.indmount.org

The Third Schedule

[See paragraph 14 (1)]

Protected Areas

S. No.	State/ Union territory	Protected Area
1.	Arunachal Pradesh	Entire area of the State
2.	Himachal Pradesh	As indicated in Appendix
3.	Jammu and Kashmir	Between the Inner Line and the International Border, as indicated in Appendix
4.	Ladakh	Between the Inner Line and the International Border as indicated in Appendix
5.	Manipur	Entire area of the State
6.	Mizoram	Entire area of the State
7.	Nagaland	Entire area of the State
8.	Rajasthan	As indicated in Appendix
9.	Sikkim	Entire area of the State
10.	Uttarakhand	Between the Inner Line and the International Border, as indicated in Appendix

Appendix to the Third Schedule**HIMACHAL PRADESH**

S. No.	Name of Village	Revenue Village Name	Patwar Circle	Tehsil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
District Kinnaur				
1.	Kunnu	Kunnu	Thangi	Moorang
2.	Charang	Charang	Thangi	Moorang
3.	Nesang	Nesang	Kanam	Pooh
4.	Dubling	Dubling	Pooh	Pooh
5.	Dabling	Dabling	Pooh	Pooh
6.	Khab	Khab	Namgia	Pooh
7.	Namgia	Namgia	Namgia	Pooh
8.	Tashigang	Tashigang	Namgia	Pooh
9.	Kaa	Kaa	Leo at Yangthang	Pooh
10.	Yangthang	Yangthang	Leo at Yangthang	Pooh
11.	Maling	Maling	Leo at Yangthang	Pooh
12.	Nako	Nako	Leo at Yangthang	Pooh
13.	Maling Dogri	Maling Dogri	Leo at Yangthang	Pooh
14.	Chango	Chango	Chango	Pooh
District Lahaul and Spiti				
1.	Dhankar	Sham	-	Spiti
2.	Shichiling	Sham	-	Spiti
3.	Poh	Sham	-	Spiti
4.	Tabo	Sham	-	Spiti
5.	Lari	Sham	-	Spiti
6.	Samdo	Sham	-	Spiti
7.	Korik	Sham	-	Spiti
8.	Gue	Gue	-	Spiti
9.	Hurling	Gue	-	Spiti

JAMMU AND KASHMIR

Position of Inner Line	Geo-Coordinates	
	Longitude	Latitude
From the point where National Highway 44 (erstwhile NH 1A) crosses the Punjab/Jammu and Kashmir Union Territory boundary along National Highway 44 (erstwhile NH 1A) up to JAMMU- along RANBIR CANAL road to AKHNUR- along CHENAB River up to junction of CHENAB and ANS River -Eastwards along CHENAB	74° 46' 11"	30° 10' 45"
CHANDRABHAGAR up to its junction with BICHIARIR	75° 10' 20"	33° 15' 57"

along RIASI/ANANTNAG District boundary up to-	74°34' 30"	33° 30' 28"
following PIRPANJAL RANGE to point 12947 -	74° 31' 52"	33° 32' 28"
KHABI KI GALI -	74° 31' 39"	33° 33' 56"
PIRPANJAL PASS-	74° 31' 16"	33° 37' 54"
point 15569 -	74° 32' 29"	33° 40' 52"
CHOTI GALI -	74° 30' 19"	33° 42' 56"
point 15560 -	74° 28' 04"	30° 45' 02"
point 15357-	74° 27' 15"	33° 45' 26"
ASDHAR MARG GALI -	74° 27' 45"	33° 46' 21"
NURPUR GALI -	74° 27' 32"	33° 47' 52"
PATHRI KI GALI -	74° 26' 30"	33° 49' 22"
point 14756 -	74° 25' 38"	33° 49' 48"
KHARA KI GALI -	74° 24' 45"	33° 51' 29"
CHINNAMH GALI -	74° 24' 18"	33° 52' 50"
JAMIAN WALI GALI -	74° 24' 04"	33° 55' 29"
CHORPANJAL PASS -	74° 21' 53"	33° 57' 27"
DEVAHARI GALI -	74° 20' 22"	33° 57' 14"
point 12890 -	74°19' 02"	33° 57' 27"
NILKANT GALI -	74°18' 33"	33° 59' 02"
point 13780 -	74°18' 38"	34°00' 06"
ZAJSUR GALI -	74° 18' 07"	34° 01' 04"
GURDALI GALI -	74° 16' 52"	34° 01' 44"
KHANPATHRI -	74° 15' 48"	34° 03' 02"
MARPATHRI -	74° 15' 42"	34° 04' 03"
point 11385 -	74° 15' 20"	34° 04' 39"
thence Northwards along URI-BARMULA Boundary -	74° 15' 55"	34° 08' 09"
up to Road Boundary crossing -	74° 16' 26"	34°10' 54"
Village ZAINPUR -	74°15' 55"	34° 11' 16"
Northwards along track to point 8000 -	74° 16' 39"	34° 13' 34"
along road to Road Junction -	74° 16' 45"	34° 14' 33"
along road to read track Junction -	74° 16' 48"	34° 15' 35'
South West along track to KANWARN and Track Crossing -	74° 16' 28"	34° 15' 25"
Northwards along KANWARN up to Nala Junction -	74° 16' 48"	34° 16' 19"
Village TAKIAKAMASHAH -	74° 16' 21"	34° 16' 36"

Westwards along track to village PAZALPUR -	74° 13' 59"	34° 17' 25"
Northwards along track to village SHAEIKHPURA -	74° 13' 55"	34° 19' 36"
along track to village DRANGSO -	74° 12' 50"	34° 20' 35"
along track to road track Junction -	74° 12' 45"	34° 21' 11"
along track to road track Junction -	74° 11' 46"	34° 23' 53"
NALA Junction -	74° 11' 37"	34° 24' 02"
Westwards along Nala to Nala Junction -	74° 10' 10"	34° 24' 03"
Northwards along track to point 6288-	74° 09' 38"	34° 25' 35"
along track to village KAKROSA -	74° 09' 47"	34° 27' 03"
Westward along track to village TRAT PURA -	74° 06' 55"	34° 28' 00"
Track junction -	74° 06' 21"	34° 28' 22"
North East to Village SHULUR -	74° 07' 02"	34° 29' 08"
along track to road junction -	74° 07' 13"	34° 29' 58"
Northwards along LAWODUGURN up to its source -	74° 07' 50"	34° 33' 58"
along ridge line to point 10639 -	74° 07' 55"	34° 34' 39"
PUTAKHAN GALI -	74° 07' 13"	34° 29' 58"
NAWAN GALI -	74° 11' 16"	34° 36' 22"
KANARI KHAN -	74° 12' 05"	34° 37' 35"
point 11824 -	74° 12' 20"	34° 38' 45"
SAFA WALI GALIE -	74° 13' 48"	34° 37' 57"
KRUPANWALI -	74° 15' 00"	34° 38' 12"
ATHAM GALI -	74° 17' 09"	34° 38' 29"
point 11443 -	74° 21' 49"	34° 39' 04"
PURA GALI -	74° 23' 19"	34° 39' 07"
ZIMINDARKHAN -	74° 25' 20"	34° 37' 14"
NAO GALI -	74° 27' 19"	34° 36' 19"
GRANG -	74° 31' 53"	34° 34' 57"
point 11485 -	74° 31' 33"	34° 33' 20"
point 11472 -	74° 32' 08"	34° 31' 40"
Point 11397 -	74° 34' 16"	34° 30' 44"
along foot track to point 7106 -	74° 36' 50"	34° 29' 01"
via PINGRATHARI -	74° 35' 34"	34° 30' 26"
and village KHORI -	74° 36' 09"	34° 29' 47"
along BONAR up to its Junction with MADMATIR -	74° 39' 09"	34° 26' 46"

Northeast along MADMATTIR up to its Junction with VIJUNAR -	74° 42' 07"	34° 29' 35"
along MADMATTI Stream up to River Nala Junction -	74° 50' 52"	34° 30' 02"
along SALNAI Nala and SHONSHPHALL NALA up to -	74° 56' 27"	34° 27' 51"
thence East along the rest line of SOGPUTDHAR ridge to point 13750 -	75° 05' 38"	34° 24' 10"
Nala Junction -	75° 08' 13"	34° 24' 26"
along LOKUT BAIB NAR up to -	75° 11' 55"	34° 22' 40"
Northwards along crest line to point 14670 -	75° 12' 12"	34° 28' 11"
point 15630 -	72° 17' 45"	34° 21' 54"
following District boundary to BOT KULANGAN PASS -	75° 17' 45"	34° 22' 35"

KARU.UPSHI up to 1 mile South of UPSHI-thence West of Road UPSHI MANALI up to CHUMIKGIARSA on LADAKH / HIMACHAL PRADESH border.

STIPULATIONS

Notwithstanding anything contained herein above, a foreigner shall be permitted to: -

- (a) travel along National Highway 44 (erstwhile NH 1A) between the border of Punjab/Jammu and Kashmir and Jammu-Akhnur road subject to his complying with the following conditions: -
- (i) his movement from Jammu to Akhnur shall be confined to the road west of Ranbir Canal; and
- (ii) his movement in Jammu and Akhnur towns shall be restricted to the Municipal limits of these towns.
- (b) visit Gompas at Tia Timosgam, Rizong, Likir, Phyang, Sankar, Chemre, Gya, Miru and Runtse subject to such conditions as may be specified by the Central Government in this behalf.

LADAKH

Position of Inner Line	Geo-Coordinates	
	Longitude	Latitude
Point 14850 - pins somewhere near Zero Point of Zojila pass in District Kargil	75°24' 08"	34°17' 17"
Point 15310 - pins somewhere near Zojila Pass of District Kargil	75° 27' 09"	34°17' 08"
thence one mile North of road ZOJILA-DRAS-KARGIL-BODKHARBU-KHALSI-NIMU-LEH (up to and including GOMPA in area - pins in Leh town in District Leh	77° 35' 09"	34° 11' 00"

RAJASTHAN

Sl. No.	Revenue District	Tehsil	Block	Sub-Division	Remarks
District : Jaisalmer					
1	Jaisalmer	Pokaran	-	-	Area west of National Highway (NH) - 11 of Tehsil Pokaran
2	Jaisalmer	Jaisalmer	-	-	Area west of NH-11 of Tehsil Jaisalmer and the area west of NH 68 passing from Jaisalmer city HQ to Tehsil Fatehgarh border.
3	Jaisalmer	Ramgarh	-	-	Entire Tehsil Ramgarh
4	Jaisalmer	Sam	-	-	Entire Tehsil Sam
5	Jaisalmer	Fatehgarh	-	-	Area west of NH 68 of Tehsil Fatehgarh
District : Bikaner					
1	Bikaner	Khajuwala	Khajuwala	Khajuwala	-
2	Bikaner	Chhatargarh	Khajuwala/ Poogal	Chhatargarh	-
3	Bikaner	Poogal	Poogal	Poogal	-
4	Bikaner	Bajju	Bajju	Bajju	-
District : Sriganganagar					
1	Sri Ganganagar	Sri Ganganagar	Sri Ganganagar	1.Hindumalkot 2. Mirzewala 3. Chunavad	-
2	Sri Ganganagar	Sri Karanpur	Sri Karanpur	Kesarisinghpur	-
3	Sri Ganganagar	Padampur	Padampur	1.Beenjhbayala 2. Ridmalsar	-
4	Sri Ganganagar	Gajsinghpur	Padampur	-	-
5	Sri Ganganagar	Raisinghnagar	Raisinghnagar	1. Muklawa 2. Sameja Kotti	--
6	Sri Ganganagar	Anupgarh	Anupgarh	-	-
7	Sri Ganganagar	Gharsana	Gharsana	-	-
8	Sri Ganganagar	Rawla	Gharsana	365 Hide	-
9	Sri Ganganagar	Sri Vijaynagar	Sri Vijaynagar	Jaitsar	-
10	Sri Ganganagar	Suratgarh	Suratgarh	Rajiyasar (Area located West of NH 62)	-

District : Barmer					
1	Barmer	Sedwa	Sedwa	Fagalia	-
2	Barmer	Dhanau	Chohtan	-	-
3	Barmer	Chohtan	Chohtan	Leelsar	-
4	Barmer	Ramsar	Ramsar	-	-
5	Barmer	Gadraroad	Gadraroad	Harsani	-
6	Barmer	Sheo	Sheo (west side of NH 68)	-	-
District : Phalodi					
1	Phalodi	Bap	Bap	Nokh	-
District : Jalore					
1	Jalore	Sanchore	Sanchore	-	-
2	Jalore	Chitalwana	Chitalwana	-	-
District : Balotra					
1	Balotra	Pachpadra	Balotra	Balotra	Gram: Sambhra Rakba: 400-0, 2614-10, 272-00, 248-00, 756-10, 575-02, 47-00, 375-00, 17-08 East Khasra- 302/ 280 and other revenue with boundary of gram Mandapura West Khasra - 283/164, 291/29 North Khasra - Other revenue Gram Champaberi Khasra 32/125, 33/126, 34/127, 181/34, 219/34, 182/34, 220/34, 221/34 South Khasra - 302/280
2	Balotra	Pachpadra	Balotra	Balotra	Gram – Sajiyali, Rupja, Kantwada Rakba – 561-07, 06-18, 1148-12, 09-00, 04-14, 50-00, 04-05, 584-14, 04-15, 06-17, 1698-04,

					03-11, 407-08, 03-07, 582-03, 08-16, 625-00 East Khasra – Other revenue Gram Sambhra West Khasra – 151/1, 109/1, 107/1, 110/1, 158/100, 160/100, 162/2, 163/8, 165/8, 166/8, 179/9, 180/9, 99, 98, 97, 91, 95, 94, 125/18, 170/20, 88, 195/84, 194/84, 193/84, 192/84, 105, 197/32, 126/31, 127/31, 80, 145/79, 147/49, 148/79, 149/79, 78, 58, 178/77, 177/77, 76, 70, 71, 72, 73 North Khasra – Other revenue Gram Champaberi South Khasra – Other revenue Gram Sambhra
3	Balotra	Pachpadra	Balotra	Balotra	Gram – Variya, Varecha Rakba – Khasra No. 333/125 Rakba 0.2291 hectare East Khasra – 249/125 West Khasra – 249/125 North Khasra – 123, 247/122 South Khasra – 249/125

Note : The above mentioned description of protected areas is subject to the following exceptions: -

- (i) The peripheral areas of cities, towns and villages on the National Highway Nos. 62, 11 and 68 through which it passes;
- (ii) the city limits of Suratgarh, Bikaner, Phalodi, Pokaran, Jaisalmer, Barmer and Sanchores.

(iii) The following villages and areas of tourist interest in the district of Jaisalmer:

Amarsagar, Ludrava, Kuldara, Bada Bagh (Black Bar), Akal, Sam, Unda and Khuhri

UTTARAKHAND

Position of Inner Line	Geo-Coordinates	
	Longitude	Latitude
From SINGA ghati -	78° 18' 48"	31° 16' 47"
along the ridge to point 5424 metres-	78° 20' 30"	31° 16' 48"
along the same ridge to point 5890 metres -	78° 29' 30"	31° 11' 45"
along the same ridge up to its junction with spur -	78° 37' 37"	31° 13' 20"
thence South along the spur to point 5959 metres -	78° 36' 30"	31° 08' 55"
along the spur to the small top -	78° 40' 25"	31° 07' 14"
It then descends along a small spur and meets SIYAN GAD at point -	78° 39' 10"	31° 05' 50"
along left bank of SIYAN GAD to its junction with BHAGIRATHI R. -	78° 48' 20"	31° 02' 20"
along right bank of BHAGIRATHI R to its junction with a small Nala -	78° 47' 47"	31° 02' 33"
thence along Nala northwards upstream to point 4515 metres -	78° 48' 21"	31° 04' 04"
along the spur to top -	78° 51' 26"	31° 05' 30"
It then turns southwards along the ridge to point 4573 metres -	78° 52' 27"	31° 01' 40"
then descends along the spur to JADH GANGA -	78° 52' 40"	31° 03' 04"
cross the river and ascends along the spur to point 4710 metres -	78° 55' 05"	31° 01' 10"
along ridge eastwards to KALI DHANG 6373 metres -	79° 00' 35"	31° 02' 33"
along the ridge to CHIRBAS PARBAT-	79° 03' 15"	31° 02' 12"
along the ridge to Matri, 6721 metres -	79° 04' 25"	31° 00' 52"
along the ridge to SRI KALIASH, 6932 metres -	79° 10' 46"	31° 01' 04"
south eastwards along the ridge to point 6796 metres-	79° 12' 40"	30° 57' 58"
to its junction with MANA DHAR along the ridge southwards to CHAUKHAMBHA III. 6974 metres -	79° 16' 35"	30° 43' 30"
along the ridge Eastwards to NILKAN-THA 6596 metres -	79° 24' 35"	30° 43' 45"
along the Ridge to point 5965 metres -	79° 26' 35"	30° 45' 35"
it then descends along the ridge to ALAKNANDA R.-	79° 29' 55"	30° 45' 45"
crosses the river and ascends to points 5564 metres -	79° 32' 10"	30° 45' 20"
along the ridge to point 5485 metres -	79° 37' 42"	31° 46' 41"
along the ridge to PATABAN, 6127 metres -	79° 42' 27"	30° 45' 15"
along the ridge to HATHI PARBAT, 6727 metres -	79° 42' 20"	30° 41' 07"
southwards along the ridge to point 5780 metres-	79° 43' 40"	30° 37' 37"
along the ridge to small top -	79° 45' 28"	30° 38' 10"

It then descends along the spur to DHAULI GANGA -	79° 48' 20"	30° 36' 15"
along DHAULI GANGA to point -	79° 47' 00"	30° 35' 25"
thence up to the spur to top -	79° 50' 06"	30° 35' 00"
along the ridge to CHANGABANG -	79° 66' 26"	30° 30' 00"
along the ridge northwestwards to point 6992 metres -	79° 59' 50"	30° 32' 24"
along the ridge southwards to BHAMCHHU, 20680 ft. -	80° 01' 2"	30° 26' 58"
along the same ridge to point -	79° 59' 17"	30° 19' 00"
southeastwards along the ridge to NANDAKOT, 22510 ft. -	80° 03' 37"	30° 17' 10"
To LASPA DH RA, 19850 ft. -	80° 05' 08"	30° 13' 24"
south-eastwards along the ridge to KAGUDI BHEL -	80° 09' 25"	30° 10' 28"
down the spur north-eastwards to Nala junction 6820 ft. -	80° 15' 10"	30° 11' 20"
Thence northwards along the ridge to point 16286 ft. -	80° 14' 55"	30° 17' 40"
along the ridge to point BAMBHA DHURA, 20780 ft. -	80° 17' 00"	30° 26' 29"
south-eastwards along the ridge to point 19630 ft. -	80° 22' 52"	30° 22' 10"
Thence along the ridge to RALAM DHURA 18470 ft. -	80° 23' 14"	30° 18' 05"
along the ridge to RAJRAMBA, 21446 ft. -	80° 22' 34"	30° 15' 15"
along the ridge southward to point 22650 ft. -	80° 25' 40"	30° 1 ½' 52"
along the ridge to point 21120 ft. -	80° 28' 24"	30° 1 ½' 25"
southwards along the ridge to point, 19920 ft. -	80° 27' 50"	30° 09' 34"
along the ridge to point 18940 ft. -	80° 29' 00"	30° 07' 14"
along the ridge to BAISI KHAL 12830ft.-	80° 28' 34"	30° 03' 26"
along the ridge southwards to top -	80° 26' 10"	29° 57' 40"
thence southwards point 12492 ft. -	80° 23' 58"	29° 56' 06"
Thence along then spur south-westwards to point -	80° 23' 05"	29° 47' 05"
it then descends along the spur to the junction of KALI R. AND GORI GANGA. R.	80° 22' 46"	29° 45' 00"
On the INDO NEPAL BORDER		

The Fourth Schedule

[See paragraph 14(1)]

Restricted Areas

S.No.	State/ Union territory/ Others	Restricted Area
1.	Andaman and Nicobar Islands	Entire area of the Union Territory
2.	Tibetan Settlements, Monasteries, Institutions, Nunneries and other locations, as given below:	

(A) Tibetan Settlements**Arunachal Pradesh**

1. Tenzingang / Bomdila – P.O. Tenzingang/ Kalkatang, Distt. West Kameng, PIN-790002
2. Dargyeling / Tindolong /Tezu,P.O. Tindolong, Tezu, Distt. Lohit, PIN – 792001
3. Choephelling /Miao - P.O. Miao, Distt. Changlang, Pin-792122

Himachal Pradesh

4. Phuntsokling / Dalhousie – Middle Bakrota, Dalhousie PIN – 176304, Distt. Chamba
5. Tibetan Cholsum Industrial Society / Bhuppur Village Bhuppur, Pin- 173025, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmour
6. Sakya Tibetan Society / Puruwala – Village – Gorkhuwala, P.O. – Puruwala, PIN – 173025, Tehsil Paonta Sahib, Distt. Sirmour
7. Kham Kathok Tibetan Society / Sataun – Village Sataun, Pin – 173029, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmour
8. Tibetan Gapa Welfare Society / Kamrao – Village Tilordhar, Kamrao, Tehsil Kamrao, Distt. Sirmour
9. Dolanji – Dolanji, Tehsil Pachchad, Distt. Sirmour
10. Palrabling/ Dobhi – P.O. Dobhi, Phati, Tehsil Mandalgarh, PIN-175129, Distt. Kullu
11. Yangchen Gatseling/ Panthaghathi –Lower Panthaghathi, PIN- 171009, Shimla
12. Tashiling /Pandoh – Muhal Siyog Pandoh, Distt. Mandi
13. Nangchen /Chauntra – P.O. Chauntra, Tehsil Jogindernagar, PIN-175015, Distt. Mandi
14. Tashijong – P.O. Tashijong, Tehsil Baijnath, PIN-176125, Distt. Kangra
15. Bir – P.O. Bir, Tehsil Baijnath, PIN-176125, Distt. Kangra
16. Dege division – P.O. Bir, Tehsil Baijnath, PIN-176125, Distt. Kangra

Ladakh

17. Sonamling TR Settlement located at following four places – Leh, PIN- 194101.
 - (i) Choglamsar (4 camps)
 - (ii) Agling
 - (iii) Spituk
 - (iv) Changthang Area

(8 Groups/Camps) as under:-

- (a) Bilasalsa
- (b) Koyul
- (c) Dungti
- (d) Nyoma
- (e) Sumdo
- (f) Samad

(g) Lamsangnyak

(h) General area: Hanley

Sikkim

18. Khunphenling / Rabangla, P.O. Rabangla, Pin – 737139,
Distt. South Sikkim

Uttarakhand

19. Dekyiling / Sahastradhara – P.O.Kulhan, PIN – 248001, P.S. Rajpur, Sahastradhara Road, Distt. Dehradun
20. Dhondupling/ Clement Town – Gram Asarodi, Clement Town, PIN – 248002, Distt. Dehradun
21. Lingsang/ Manduwala – Manduwala, PIN 248007, P.S. Sahaspur, Distt. Dehradun
22. Doeguy- Yougyelling /Lakhanwala / Herbertpur (3 camps), Lakhanwala, P.O. Jassowala, District Dehradun

(a) Lakhanwala

(b) Bhaluwala

(c) Khera

23. Dhondenling/ Mangluwala / Nalapani – Nalapani, PIN – 248001, P.S. Raipur, Distt. Dehradun
24. Tibetan Nehru Memorial Foundation /Chandrabhani/DokhamDharawali P.S. Patel Nagar, PIN – 248001,
Distt. Dehradun

Karnataka

25. Doeguling/ Mundgod Tattihalli, PIN – 581411, Taluk Mundgod,
Distt. Uttara Kannada
26. Dhondenling / Kollegal – Taluk Kollegal, PIN – 571457, Distt. Chamrajnagar
27. Tibetan Dickey Larsoe/Bylakuppe – P.O. Bylakuppe, PIN – 571104, Periapatna Taluk, Distt. Mysore
28. Lugsung Samdupling/ Bylakuppe – P.O. Bylakuppe, PIN – 571104, Periyapatna Taluk, Distt. Mysore
29. Rabgayling/ Hunsur – P.O. Gurupura, PIN-571188, Hunsur Taluk, Distt. Mysore

West Bengal

30. Tibetan Refugee Self Help Centre (TRSHC), Darjeeling, Hillside,
27, West Lebong Cart Road, Darjeeling
31. Tashiling / Sonada, Darjeeling, Petrol Pump, P.O. Sonada,
P.S. Jore bungalow, Distt. Darjeeling

Odisha

32. Phuntsokling, P.O. Chandragiri, PIN – 761017, Distt. Gajapati

Chhattisgarh

33. Phendeling/ Mainpat- Ropakhar, P.O. Kamleshwarapur,
PIN – 497127, Distt. Sarguja

Maharashtra

34. Norgyeling / Bhandara – Nr. Village Butai, Tahsil Gothangaon,
P. S. Keshori, Distt. Gondia

(B) Tibetan Monasteries**Uttarakhand**

1. Tashi Kyil Monastery, Tibetan Colony, Clement Town, Dehradun
2. Mindrolling Monastery/ Nyingmapa Mahabuddha Vihar, Tibetan Colony, Clement Town, Dehradun
3. Drikung Kagyu Jangchupling Monastery, Sahastradhara Road, Kulhan, Dehradun
4. Ngor Pal Ewam Choden Monastery, Manduwala, Dehradun

Himachal Pradesh

5. Namgyal Monastery, McLeodganj, Distt. Kangra
6. Kirti JapaDatsang (Kirti Monastery), McLeodganj, Distt. Kangra
7. Dip Tse Chokling Monastery, McLeodganj, Distt. Kangra
8. Nechung Monastery, Gangchen Kyishong, Dharamsala, Distt. Kangra
9. Gadong Saljed Ling Monastery, Gangchen Kyishong, Dharamsala, Distt. Kangra
10. Gyuto Tantric Monastery, Sidhbari, Distt. Kangra
11. Chime Gatseling Monastery, Norbulingka/ Sidhpur, Distt. Kangra
12. Shalu Monastery/Drubten Pedme Jyepai Gatsal Institute, Trilokpur, Distt. Kangra
13. Palpung Sherabling Monastery, Bhattu, Distt. Kangra
14. Nyingmapa Monastery, Rewalsar, Distt. Mandi
15. Dhakpo Shedrupling Monastery, Kais, Distt. Kullu
16. Jonang Thakten Phunstok Choeling Monastery, Sanjauli, Distt. Shimla

(C) Institutions, Nunneries and other locations**Karnataka**

1. Atisha Charitable Trust (land inhabited by the Shugden deity followers), Mysuru, Sy.No. 187/188,
Arasinakere Village, Marballi Post, Jayapura Hobli, Mysuru – 570008

Uttarakhand

2. 225, Tibetan Women Centre, Rajpur Road, Dehradun
3. Sakya Centre, Rajpur Road, Dehradun

Himachal Pradesh

4. The Gaden Phodrang (Private office of the DL), McLeodganj, Distt. Kangra
5. Institute of Buddhist Dialectics, McLeodganj, Distt. Kangra
6. Jamyang Choeling Nunnery, McLeodganj, Distt. Kangra

7. Gaden Choeling Nunnery, McLeodganj, Distt. Kangra
8. Central Tibetan Administration Complex, Gangchen Kyishong, Dharamsala, Distt. Kangra
9. Library of Tibetan Works & Archives, Gangchen Kyishong, Dharamsala, Distt. Kangra
10. Men-Tsee-Khang, Gangchen Kyishong, Dharamsala, Distt. Kangra
11. Upper TCV School, Naddi, Distt. Kangra
12. Tushita Meditation Centre, Dharamkot, McLeodganj, Distt. Kangra
13. Dhamma Sikhara Vipassana Centre, Dharamkot, McLeodganj, Distt. Kangra
14. Shugseb Nunnery, Gharoh
15. Dolmaling Nunnery, Sidhpur, Distt. Kangra
16. Academy of Tibetan Culture, Biography & Research Centre, Library, Administrative Office and Workshop of Norbulingka Institute, Sidhpur, Distt. Kangra
17. Tibetan Handicraft Centre, Norbulingka/ Sidhpur, Distt. Kangra
18. Jonang Dukhor Jordruk Gomdra Chokhor Ling/ Buddhist Educational Society, Sidhpur, Distt. Kangra
19. College for Higher Tibetan Studies, Sarah, Distt. Kangra
20. Karma Drubgyu Thargay Ling Nunnery, Trilokpur, Distt. Kangra
21. Dongyu Gatsal Ling Nunnery, Padhiarkar, Palampur, Distt. Kangra
22. TCV School, Gopalpur, Distt. Kangra
23. Zigar Drukpa Kagyu Institute of Buddhist Studies and Meditation, Rewalsar, Distt. Mandi
24. Zangdok Palri and Retreat Centre, Rewalsar, Distt. Mandi
25. Drikung Kagyud Dharma Mandir Welfare Society, Rewalsar, Distt. Mandi
26. TCV School, Suja, Distt. Mandi
27. Dechen Choekorling Mahavira Turst, Sharabai, Bhuntar, Distt. Kullu
28. Palpung Kamtsang Yeshi Rabyeling Nunnery, Bajaura, Distt. Kullu
29. Ngagyur Samten Chokhorling, Pangan, Manali, Distt. Kullu

Note :

(1) Foreigners visiting the following 8 Tibetan Settlements are exempted from the requirement of obtaining a Permit as mentioned in paragraph 14 of this Order, subject to the condition that the concerned Tibetan Settlement must mandatorily submit the arrival report of the foreigner in Form III as prescribed in rule 17 of the rules to the local S.I.B. unit and Foreigners Registration Officer (F.R.O.)/Foreigners Regional Registration Officer (F.R.R.O.) concerned within the timeline stipulated therein :-

Tibetan Settlements of –

Mainpat (Sarguja District) and Phendeling (Sarguja District) in the State of Chhatisgarh.

Bhandara (Now Gondiya) (Gondia District) in the State of Maharashtra.

Chandragiri, Tankilipadar, Labarsing, Jeerango and Mehendragad (all in Gajapati District) in the State of Odisha.

(2) Visit to Settlements/ Monasteries/ Institutes covered in this Schedule during daytime shall be permitted without a Permit as mentioned in paragraph 14 of this Order provided the Settlements/ Monasteries/Institutes furnish details of the visitor, giving name, parentage, Date of Birth, Nationality, Passport number and Visa Number to the Foreigners Registration Officer (F.R.O.)/Foreigners Regional Registration Officer (F.R.R.O.) concerned.

(3) A Permit with 3–year validity may be issued to the foreign students coming for studies in Institutes covered in this Schedule subject to the Institute concerned certifying the bonafide of the student.

(4) In States such as Arunachal Pradesh and Sikkim, where the entire area is covered by this Order, grant of permit to visit the Tibetan Settlements, Monasteries, institutions, nunneries and other locations covered in this Schedule should not be treated as a substitute for the permit as may be required for visiting these States, since the foreigners would be required to travel through other areas of the State before visiting the Tibetan Settlements, Monasteries, institutions, nunneries and other locations in these States. In such cases, the foreigners will also be required to obtain separate Protected Area Permit for visiting these States.

The Fifth Schedule

[See paragraphs 14(3) and 15(2)]

Application form for Protected Area Permit (PAP) / Restricted Area Permit (RAP)/Prohibited Place Permit (Pr PP)

Name of applicant Mr./Mrs./Miss	
Nationality	
Passport No	
Occupation	
Address in India	
Address abroad	
Contact number	
E-mail ID	
Applying for Restricted/ Protected/ Prohibited area (specify category)	
Place(s) within the said area proposed to be visited	
Period of Proposed visit :	From: To:
Purpose of visit	
Clearance/invitation letter from authority in charge of the organization in the Protected area or Restricted area or Prohibited place which is proposed to be visited (mandatory for Prohibited area permit)	

Signature of the applicant

The Sixth Schedule

[See paragraphs 14(4) and 15(3)]

Format of the Protected Area Permit (PAP)/ Restricted Area Permit (RAP)/ Prohibited Place Permit (Pr PP)

1. Service number
2. Name in Full
3. Father's Name
4. Mother's Name
5. Date and Place of Birth
6. Gender
7. Present Nationality
8. Number and Expiry of Passport
9. Number and Expiry of Visa

10. Visa type and Valid For
11. Service Rendered on
12. Observation
13. Reason for fees
14. Fees (in Indian rupees)
15. Employer/ Institution/ Business/ Medical Address
16. Name of Husband/ wife and children and their nationality (if accompanying the visitor):

Sl.No.	Accompany name	Date of Birth (dd/mm/yyyy)	Relation	Nationality	Passport No.

Area (s) Permitted:

Sl. No.	Area Type (Protected/ Restricted/ Prohibited)	State	District	Area	Valid From (dd/mm/yyyy)	Valid To (dd/mm/yyyy)	Purpose

Date :

Signature and Seal of the Authority

[F. No. 25022/04/2025-F.I]

NITESH KUMAR VYAS, Addl. Secy.